न्याय सुरक्षा

मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद वांग्मय से एक संकलन
Version 1

31 अक्टूबर २०१८

श्रद्धेय श्री ए. नागराज जी द्वारा प्रणेत मध्यस्थ दर्शन (सह अस्तित्ववाद) में से शब्दों के संदर्भों के खोजने के क्रम में यह "न्याय सुरक्षा" शब्द के संदर्भों का संकलन है। यदि यहाँ लिखे हुए और मध्यस्थ दर्शन के मूल वाङ्ग्मय में कोई अंतर मिले तो मूल वाङ्ग्मय को ही सही माना जाए। यहाँ लिखे हुए में त्रुटियों के सुधार और इसको और उपयोगी बनाने हेतु भागीदारी करने के लिए रोशनी साहू (sahuroshani@gmail.com) से संपर्क करें।

Version 0.1		Roshani Sahu, 31/10/2018

न्याय–सुरक्षा की परिभाषा

- न्याय सुरक्षा – न्याय पूर्वक ही व्यक्ति परिवार अखण्ड समाज, न्यायपूर्वक वर्तमान में विश्वास करना विश्वस्त होना। (पृष्ठ नंबर: 103)
  (परिभाषा संहिता, संस्करण : तृतीय 2012, मुद्रण: 14 जनवरी 2016)

अनुक्रमणिका

स्वास्थ्य और इससे संबन्धित शब्द को लेकर मध्यस्थ दर्शन वांग्मय में आये सन्दर्भों को निम्न क्रम से संकलित किया गया है.

1. मानव व्यवहार दर्शन ३
2. मानव कर्म दर्शन ४
3. मानव अभ्यास दर्शन ५
4. मानव अनुभव दर्शन ५
5. समाधानात्मक भौतिकवाद ६
6. व्यवहारात्मक जनवाद ८
7. अनुभवात्मक अध्यात्मवाद १४
8. व्यवहारवादी समाजशास्त्र १७
9. आवर्तनशील अर्थशास्त्र २५
10. मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान ३७
11. मानवीय संविधान सूत्र व्याख्या ३९
12. जीवन विद्या – एक परिचय ७३
13. विकल्प ७४
14. जीवन विद्या– अध्ययन बिन्दु ७५
15. मानवीय आचरण सूत्र ७७
16. संवाद – भाग १ ७८
17. संवाद – भाग २ ७९
18. 10 सोपानीय व्यवस्था के अंतर्गत न्याय सुरक्षा व्यवस्था ८१

मानव व्यवहार दर्शन

(संस्करण: 2011, मुद्रण: 2015)

- जागृत मानव परंपरा में राज्य का स्वरूप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र अध्ययन से और आचरण से व्याख्या होने के आधार पर विधि को पहचानने के मुख्य रूप से पाँच मुद्दे पाए गए हैं। यह– (१) मानवीय शिक्षा संस्कार, (२) **न्याय–सुरक्षा**, (३) उत्पादन कार्य, (४) विनिमय कोष, (५) स्वास्थ्य–संयम के रूप में गण्य हैं।

  राज्य प्रक्रिया में उक्त पाँचों व्यवस्थाएं सार्वभौमिकता के अर्थ में ही सार्थक होना पाया जाता है। मानवीय शिक्षा–संस्कार की सफलता अर्थ–बोध होने के रूप में है। **न्याय–सुरक्षा** की सफलता संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन पूर्वक उभय–तृप्ति के रूप में सार्थक होना पाया जाता है। उत्पादन–कार्य हर परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में, समृद्धि के अर्थ में सार्थक होना पाया जाता है। विनिमय–कोष श्रम–मूल्य के पहचान सहित, श्रम विनिमय पद्धति से सार्थक होता है। और स्वास्थ्य–संयम मानव–परंपरा में जीवन जागृति को प्रमाणित करने योग्य शरीर की स्थिति–गति के रूप में सार्थक होता है। यह सब मानव सहज जागृति के अक्षुण्णता का द्योतक है अथवा सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज और उसकी अक्षुण्णता का द्योतक है। यही राज्य वैभव का स्वरूप है। इस विधि से हर परिवार समाधान–समृद्धि पूर्वक जीना होता है। **(अध्याय:16 (ii), पृष्ठ नंबर: 130–131)**

संदर्भ: मानव कर्म दर्शन

(संस्करण: 2010, मुद्रण:2017)

- अनुभव ही जागृति और जीवन की परम अभिव्यक्ति, सम्प्रेषणा, प्रकाशन है। परम का तात्पर्य अनुभव से ज्यादा होता नहीं, जीवन उससे कम में अधूरा रहता है। अनुभव पूर्वक जीवन में तृप्ति होना पाया जाता है। जीवन तृप्ति अपने आप में मानव परम्परा में समाधान, समृद्धि, अभय के आधार पर सुख, शांति, संतोष के रूप में पहचानना होता है। सहअस्तित्व में अनुभव ही परम है, यही आनन्द है। इसका प्रमाण, मानव परम्परा में, से, के लिये परम है। इनका अर्थात् मानव लक्ष्य का मूल्यांकन प्रणाली, व्यवस्था में समाहित रहता है, यही **न्याय सुरक्षा व्यवस्था** है। **न्याय सुरक्षा** विधि से मानव हर स्थिति गति में विश्वस्त रहना, आश्वस्त रहना पाया जाता है। फलस्वरूप, जीवन सहज सम्पूर्ण वैभव मानव परम्परा में प्रमाणित होने का मार्ग प्रशस्त रहता है। यही जागृति परम्परा है। जीवन तृप्ति का प्रमाण मानव का अखण्ड समाज, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदार होना है। मानव परम्परा में व्यवस्था होना, व्यवस्था विधि से ही समाधान, समृद्धि, अभय सहअस्तित्व प्रमाणित होना स्वभाविक रहता है। यही जागृति का भी प्रमाण है, सम्पूर्ण मानव जीवन का भी प्रमाण है। मानव परम्परा का परम वैभव है। प्रयोजन रूपी व्यवस्था ही मानव परम्परा की सर्वोच्च उपलब्धि है। इन्हीं उपलब्धियों में स्थिरता, निश्चयता स्पष्ट है। **(अध्याय: 3, पृष्ठ नंबर: 75)**
- समझदारी के साथ मानव का स्वास्थ्य संयम विधा में भागीदारी करना एक स्वभाविक प्रक्रिया है। इसके साथ ही शिक्षा संस्कार, **न्याय सुरक्षा**, उत्पादन कार्य, विनिमय कार्यों में भागीदारी करना सभी समझदार मानव का कर्त्तव्य एवं दायित्व हो पाता है। समझदारी के साथ कर्त्तव्य और दायित्व स्वीकृति सहज रूप में प्रमाणित हो जाता है। समझदारी के अनन्तर अर्थात् सहअस्तित्ववादी ज्ञान, विज्ञान, विवेक संपन्नता के उपरान्त दायित्व और कर्त्तव्य को स्वीकारने में देरी होती ही नहीं, यह स्वयं स्फूर्त विधि से प्रमाणित होती, प्रगट होती है। इन सबको भली प्रकार से परीक्षण, निरीक्षण कर निश्चित किया गया है। हर नर–नारी इसको परीक्षण पूर्वक सत्यापित कर सकते हैं, यह मानव परम्परा के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा रही है। **(अध्याय: 3, पृष्ठ नंबर: 149)**

संदर्भ: मानव अभ्यास दर्शन

(संस्करण: द्वितीय, मुद्रण: 2018)

- उत्पादन का सीधा संबंध विनिमय कार्य व स्वास्थ्य संयम कार्य, शिक्षा–संस्कार, **न्याय–सुरक्षा**, उत्पादन–कार्य एवं स्वास्थ्य–संरक्षण से हैं। इन पाँचों की एकसूत्रता उत्पादन के लिये अनिवार्य है। यही व्यवस्था का आद्यान्त कार्यक्रम है। मूल्य–विहीन संबंध नहीं है। संबंध विहीन व्यवस्था एवं व्यवहार नहीं है। उत्पादन के संबंध–निर्वाह में जो न्यूनताएं हैं वही लाभोत्पादक वाणिज्य के जन्म का कारण है। यह उस समय तक रहेगा जब तक उत्पादन संबंध का निर्वाह एकसूत्रतापूर्वक पूर्ण न हो जाय। **(अध्याय:15 , पृष्ठ नंबर: 64)**

संदर्भ: मानव अनुभव दर्शन

(संस्करण: 2011, मुद्रण: 2016)

- N o t f o u n d

संदर्भ: समाधानात्मक भौतिकवाद

(संस्करण: 2009)

- प्रामाणिक होने के लिए सह–अस्तित्व रूपी सत्य में अनुभव करना मानव के लिए संभव है। यह सभी को तभी संभव हैं, जब शिक्षा का मानवीयकरण हो जावे। इन तीनों स्थितियों में मानव के वैभवित होने के लिए जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन (अनुभव) ज्ञान और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान ही प्रधान तत्व है। इस सत्य सहज जागृति को मानव प्रमाणित करें यह एक आवश्यकता है क्योंकि:–
    1. जागृति पूर्वक ही मानव परपंरा सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक व्यक्त होता है।
    2. जागृतिपूर्ण मानव परंपरा में ही जागृति पूर्ण शिक्षा–संस्कार सर्व सुलभ होता है।
    3. जागृति पूर्वक ही मानव परंपरा में **न्याय और सुरक्षा** सर्व सुलभ होता है।
    4. जागृति सहज मानव परम्परा में उत्पादन सुलभता प्रमाणित होता है।
    5. जागृतिपूर्ण मानव पंरपरा में ही आवर्तनशील अर्थ प्रणाली श्रम नियोजन, श्रम विनिमय पद्धति से विनिमय सुलभता होता है।
    6. जागृति पूर्ण मानव परंपरा में ही परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था दस सोपानीय विधि से सर्वसुलभ हो पाता है। ये सभी मानवों को लिए आशित (अपेक्षित), आकांक्षित और आवश्यकीय उपलब्धियाँ हैं। इसके सफल होने के मूल में मानव परंपरा है। अर्थात् मानवीयतापूर्ण शिक्षा, संस्कार, संविधान और व्यवस्था है। यह मानवीयतापूर्ण अथवा जागृतिपूर्ण पद्धति, प्रणाली और नीति से प्रमाणित होता ही है। **(अध्याय: 6, पृष्ठ नंबर:** 119–120)

- न्याय पूर्वक सुख और शांति, व्यवस्था पूर्वक शांति और संतोष, तथा अनुभव पूर्वक संतोष और आनंद जीवन में प्रमाणित होता है। प्रत्येक मानव इसे अनुभव कर सकता है। ऐसे अखण्ड समाज– परिवार मूलक व्यवस्था, विश्व परिवार में व्यवहार रूप दे सकता है। व्यवस्था कम से कम 100 से 200 परिवारों के बीच में, अर्थात् 1000 से 2000 जनसंख्या के बीच स्वायत्त विधि से सफल हो सकती है। स्वराज्य की परिभाषा ही हैं–स्वयं का वैभव, स्वयं का स्वरूप मानव, मानव के समान वस्तु जीवन है। जीवन का संबोधन ''स्वयं" अथवा ''स्व" है। इस प्रकार जीवन का वैभव ही राज्य है। अस्तु, जीवन का वैभव– स्वराज्य। जीवन वैभव जागृति की अभिव्यक्ति हैं। जागृति का अर्थ सर्वतोमुखी समाधान एवं प्रामाणिकता है। इसका व्यवहार रूप परिवार परंपरा में समृद्धि, अभय, सह–अस्तित्व है। यही एक परिवार से विश्व परिवार तक प्रमाणित होने की वस्तुएँ हैं। इसके क्रियान्वयन क्रम में सर्वमानव के लिए न्याय सुलभता, उत्पादन सुलभता, विनिमय सुलभता लक्ष्य है। इसकी अक्षुण्णता के लिए शिक्षा–संस्कार, स्वास्थ्य–संयम सहज सुलभ रहेगा। इसको ही ग्राम स्वराज्य व्यवस्था का रूप देने के क्रम में दस सदस्यीय

परिवार स्वयं अपने एक परिवार के प्रतिनिधि को, पहचानने की व्यवस्था रहेगी। हर दस (10) परिवार से एक एक सदस्य ''परिवार समूह सभा" के लिए निर्वाचन पूर्वक पहचान करेगा। ऐसे दस परिवार समूह सभा अपने में से एक एक व्यक्ति को ग्राम परिवार सभा के लिए निर्वाचन पूर्वक पहचान करेगा। ग्राम सभा में समाहित दस (10) व्यक्तियों में से सभा प्रधान को पहचाने रहेंगे। ग्राम सभा, ''स्वराज्य कार्य संचालन" समितियों को, मनोनीत करेगी। ऐसी समितियाँ पाँच होगी–

1. शिक्षा–संस्कार समिति
2. **न्याय सुरक्षा समिति**
3. स्वास्थ्य संयम समिति
4. उत्पादन कार्य समिति
5. विनिमय कोष समिति

इन सबके अपने–अपने कार्य परिभाषित, व्याख्यायित रहेंगे। **(अध्याय: 8, पृष्ठ नंबर: 181–182)**

- मानवीयता पूर्ण व्यवहार, व्यवस्था, संविधान, शिक्षा–संस्कार के साथ–साथ आहार, विहार, व्यवहार, व्यक्तित्व और प्रतिभा में संतुलन को प्रमाणित करने के लिए अति आवश्यक है। व्यवहार, मानवीय आचरण के रूप में, व्यवस्था में भागीदार होने के रूप में स्पष्ट व नियंत्रित, संतुलित हो जाता है। व्यवस्था में भागीदारी, व्यवहार में संबंधों व मूल्यों को निर्वाह करना, व्यवस्था के लिए पूरक होता है। व्यवस्था में भागीदारी प्रधानतः **न्याय–सुरक्षा**, उत्पादन–कार्य और विनिमय–कोष कार्यों में भागीदारी हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रत्येक मानव आहार–विहार करता ही है। **(अध्याय: 9 (1), पृष्ठ नंबर: 200)**

संदर्भ: व्यवहारात्मक जनवाद

(**संस्करण:** 2009, **मुद्रण:** 2017)

- हर राज्य राष्ट्रीय पर्व दिवस की पावन बेला में राज्य की अखंडता सार्वभौमता, अक्षुण्णता का नारा अथवा जिक्र करते ही हैं। जबकि सन 2000 के पहले दशक तक ऐसा कोई ऐसा राज्य अथवा धर्म नहीं हुआ जिसका अन्य धर्मों के साथ विरोध ना हो, अथवा जो सबके लिए स्वीकार्य हो, ऐसा कोई धर्म ग्रंथ तैयार हो नहीं पाया। सभी अपने ढंग से श्रेष्ठता का दावा करते ही हैं। हर श्रेष्ठता की कसौटी है, जो सर्वमान्य स्वीकृत हो जिसके फलन में समाधान, समृद्धि, अभय सह अस्तित्व के रूप में प्रमाणित हो, स्वीकृत हो, और व्यवस्था के रूप में मानवीय शिक्षा– संस्कार, **न्याय– सुरक्षा**, परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कार्य, विनिमय कोष, (लाभ हानि मुक्त) और स्वास्थ्य– संयम कार्य रूप में प्रमाणों का वर्चस्व वर्तमान हो। इस प्रकार अखंड समाज, सार्वभौमता का प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है। इन प्रयोजनों के साथ ही निरंतरता का वैभव होना पाया जाता है। **(अध्याय: 3, पृष्ठ नंबर: 44)**

- भाषा अपने में बोली के रूप में आता ही है। हर बोली का अर्थ होना पाया जाता है। ऐसे अर्थ अस्तित्व में कोई वस्तु, घटना, फल, परिणाम के रूप में होना पाया जाता है। इसी के साथ क्रियाकलाप, व्यवहार प्रक्रिया भी भाषा के अर्थ के रूप में अस्तित्व में होता ही है। अस्तित्व में होना है अर्थ व वस्तु है क्योंकि प्रयोजन, परिणाम, फल, क्रिया, प्रक्रिया भी वस्तुगत विद्या ही है। ये सारे अर्थ, प्रयोजन के साथ ही सार्थक होना देखा गया है। सार्थकता तो सुस्पष्ट है। समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व ही वांछित उपलब्धि व वस्तु है। इसी के साथ संपूर्ण प्रकार के शिक्षा– संस्कार प्रक्रिया, **न्याय सुरक्षा** प्रक्रिया, उत्पादन–कार्य प्रक्रिया, विनिमय–कोष प्रक्रिया, स्वास्थ्य–संयम क्रियाकलाप के शब्द का अर्थ समझ में आता है जिससे मानवाकांक्षा अथवा मानव प्रमाणित होने की अपेक्षा मानव परंपरा में समाहित है ही। **(अध्याय: 3, पृष्ठ नंबर: 45)**

- व्यवहार व्यवस्था का तात्पर्य अथवा समाज व्यवस्था का तात्पर्य मानव में, से, के लिए लक्ष्य समेत जीने की विधि, विधान, कार्य और व्यवहार ही है। व्यवहार विधि संबंधो के आधार पर मूल्यों के निर्वाह करने के दायित्व पर निर्भर किया जाता है। इसके लिए जो क्रमबद्धता अर्थात निर्वाह के लिए जो क्रम बद्धता होती है यही विधान है। इन विधि विधान के आधार पर सर्वप्रथम स्वस्थ मानसिकता की पहचान, निर्वाह, मूल्यांकन विश्वास का मूल आधार होता है। स्वस्थ मानसिकता जागृत मानसिकता होती है। जागृत मानसिकता अनुभवमूलक मानसिकता है। जागृतिपूर्ण मानसिकता अपने में मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता को प्रमाणित करने के क्रम में उद्धत रहती ही है। मानवीयता, देव मानवीयता, में परिवार और समाज व्यवस्था मानवीयता पूर्ण आचरण सहित प्रमाणित होना

बनता है। इसी क्रम में दिव्य मानवीयता समग्र व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक स्वतंत्रता, स्वराज्य को प्रमाणित करने में सार्थक हो जाती है। स्वतंत्रता, स्वराज्य सह अस्तित्व विधि से वैभवित होते है। स्वराज्य व्यवस्था में स्वाभाविक विधि से मानवीय शिक्षा–संस्कार, **न्याय–सुरक्षा**, उत्पादन–कार्य, विनिमय–कोष, स्वास्थ्य–संयम कार्य और व्यवस्था अपने आप में निर्वाह होते है। ऐसे स्वराज्य व्यवस्था परिवार मूलक विधि से विश्व परिवार व्यवस्था तक दश सोपानीय विधि से सार्थक हो जाते है। हर स्थितियों में सामान्य रूप में 10–10 समझदार व्यक्तियों की एक सभा सम्पन्न होती है। एक परिवार में 10 समझदार व्यक्ति होते हैं। ऐसे 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति परिवार व्यवस्था के अतिरिक्त और सोपानीय व्यवस्था में भागीदारी के लिए निर्वाचित रूप में प्रस्तुत होना बनता है। ऐसे व्यक्ति को हर परिवार में पहचान लेना एक स्वाभाविक प्रक्रिया रहता ही है। (**अध्याय: 6, पृष्ठ नंबर: 83**)

- दरिद्रता का तात्पर्य बौद्धिक रूप में समझदारी में विपन्नता, भौतिक समृद्धि होने में विपन्नता, समाधानित होने में विपन्नता, वर्तमान में विश्वास (अभयता) में विपन्नता, सहअस्तित्व में विपन्नता, व्यवस्था में भागीदारी करने में विपन्नता, उत्पादन कार्य करने में विपन्नता, **न्याय–सुरक्षा** में विपन्नता, स्वास्थ्य–संयम में विपन्नता, उपकार कार्यो में विपन्नता ये सभी विपन्नताएँ मानव को दरिद्र बनाने में समर्थ है। इन सभी प्रकार की विपन्नताओं से मुक्ति समझदारी से ही है। (**अध्याय: 6, पृष्ठ नंबर: 87**)

- स्वराज्य के नाम से सन 1947 में भारत की स्थानांतरित होकर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में आई। तब से अभी तक अपनी मनमानी रूप में जाने की छूट के रूप में स्वराज्य को पहचाना गया। शासन का मतलब संविधान के अनुसार संयत रहना, संविधान को मानना, संविधान के अनुसार जीना माना गया। सरकार का मतलब गद्दी परस्त जो कहे वही सही है बाकी सब गलत। ग्राम स्वराज इन तीनों विधि से कारगर नहीं होता है। इन तीनों प्रकार की मानसिकता से राज्य सफल होता नहीं। सन 1947 से अभी तक देश के कोने–कोने से जिनको अच्छे आदमी माने रहते हैं अथवा जो लोगों को आश्वासन दिए रहते हैं ऐसे लोग जनप्रतिनिधियों के रूप में स्वीकृत होते हैं। केवल बातचीत करते हैं कोई निष्कर्ष अभी तक निकला नहीं जिससे सर्व शुभ हो। गांव की ग्राम पंचायतों में भागीदारी करते हुए लोग गांव के शुभ को कैसे पहचानेंगे। गांव से ही सर्वाधिक जन प्रतिनिधि निर्वाचित होकर राज्यसभा लोकसभा विधानसभा में जाते हैं। तमाम सुविधा होते हुए कुछ निष्कर्ष निकाल नहीं पाए। गांव के लोग अपने गांव के शुभ सुख सुविधा की सुरक्षा को बनाए रखने के साथ में **न्याय सुरक्षा** को बनाए रखे इसके लिए दिशा एवं लक्ष्य को कैसे पहचाना जाए सोचना चाहिए। तथा इस पर संवाद की आवश्यकता है। अभी न्यायालय में न्याय को पहचाना नहीं पहचान नहीं हो पाई है। अभी तक न्यायालय में फैसले का सिलसिला चल रहा है वह भी गवाहियों के आधार पर ना कि घटना के आधार पर। न्याय के पक्ष में निर्णय के साथ सुधार का कोई कार्यक्रम नहीं रहा। अपराधी को न्यायिक बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। गलती करने वालों को सही करने की दिशा देने की कोई

व्यवस्था नहीं है। इसके मूल में सभी मानव यदि समझदार होते हैं तो गलती और अपराध करेंगे ही नहीं, गलती अपराध मुक्त होना ही समाधान संपन्नता है। समाधान सम्पन्न मानसिकता से हर व्यक्ति परस्परता में न्याय ही करता है अन्याय कर ही नहीं सकता। सभी मानव अपने में से न्यायिक होने के उपरांत अन्याय का खतरा ही कहां है? **(अध्याय: 6, पृष्ठ नंबर: 90)**

- हर मानव स्वराज्य स्वतंत्रता चाहता ही है। स्वतंत्रता का स्वरूप यही है :–
    - स्वयं में विश्वास करने में स्वतंत्रता
    - श्रेष्ठता का सम्मान करने में स्वतंत्रता
    - प्रतिभा को लोकव्यापीकरण में स्वतंत्रता
    - व्यक्तित्व को प्रमाणित करने की स्वतंत्रता
    - उत्पादन में स्वावलंबी होने की स्वतंत्रता
    - व्यवहार में सामाजिक होने की स्वतंत्रता

  यही छ: विधा में स्वतंत्रता है इसमें निष्णात होने के फलस्वरूप:–

    - मानवीय शिक्षा कार्य में स्वतंत्रता
    - **न्याय सुरक्षा** कार्य में स्वतंत्रता
    - उत्पादन कार्य में स्वतंत्रता
    - विनिमय कार्य में स्वतंत्रता
    - स्वास्थ्य–संयम कार्य में स्वतंत्रता

  स्वयं स्फूर्त विधि से सम्पन्न होती है। इनमें हमें पारंगत होना है प्रमाणित होना है यही स्वतंत्रता का वैभव है। स्वतंत्रता के साथ स्वराज्य, स्वराज्य के साथ स्वतंत्रता अविभाज्य है। परिवार संबंध, मानव संबंध, प्राकृतिक संबंधो में न्याय और संतुलन प्रमाणित करने में स्वतंत्रता बनी ही रहती है। **(अध्याय: 6, पृष्ठ नंबर: 91)**

- इस प्रकार से **तीसरे सोपान** के लिए दस जनप्रतिनिधि परिवार समूह सभा से निर्वाचित होकर ग्राम सभा के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके निर्वाचन की कालावधि को हर ग्राम सभा अपनी अनुकूलता के आधार पर अथवा सबकी अनुकूलता के आधार पर निर्णय लेगी। उस कालावधि तक मूलत: परिवार से निर्वाचित होकर परिवार समूह से निर्वाचित होकर ग्राम परिवार सभा कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए पहुँचे रहते है। इनके लिए कोई मानदेय या वेतन स्वीकार नहीं होता है। क्योंकि हर परिवार समृद्ध रहता ही है। समाधान समद्धि के आधार पर ही जनप्रतिनिधि निर्वाचन होना पाया जाता है। जब दसो जनप्रतिनिधि एकत्रित होते है ये सभी प्रतिनिधि हर कार्य करने योग्य रहते हैं। व्यवस्था कार्य में ऐसा कोई भाग नहीं रहेगा जिसे यह कर नहीं पायेगे। दूसरा हर कार्य के लिए समय और

प्रक्रिया को निर्धारित करने में समर्थ रहेंगे। इस शोध के आधार पर मानवीय शिक्षा– संस्कार में पारंगत जैसे एक गॉव में प्राथमिक शिक्षा का आवश्यकता तो रहता ही है उसमें पारंगत रहेंगे। **न्याय–सुरक्षा** कार्य में पारंगत रहेंगे। उत्पादन–कार्य में पारंगत रहेंगे। विनिमय कार्य में पारंगत रहेंगे। स्वास्थ्य संयम कार्य में भी पारंगत रहेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य विधा में सभी पारंगत रहेंगे। (**अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:112–113**)

- (**तीसरे सोपान**) व्यवस्था की दूसरी कड़ी में **सुरक्षा कार्य** सम्पन्न होगे। इसमें ग्राम परिवार सभा के लिए निर्वाचित दसो सदस्य सुस्पष्ट ज्ञान सम्पन्न, विवेचना, विश्लेषण में पारंगत रहेंगे। हर परिवार समझदार परिवार होने के आधार पर गलती और अपराध की कोई संभावना नहीं रहती। फिर भी ऐसी कोई प्रवृत्ति उदय होने से घटना तक पहुंचने के पहले सुधार होने की व्यवस्था रहेगी। ऐसी व्यवस्था का प्रभावशीलन परिवार से ही आरम्भ होकर परिवार समूह, ग्राम परिवार सभा में कार्यरत निष्णात व्यक्तिगण सुधार के दायी रहेंगे। जो अनुचित है अनावश्यक है अथवा गलती अपराध है ऐसी मानसिकता को पहचानने का दायित्व सर्वप्रथम परिवार में उसके अनन्तर परिवार समूह सभा में और ग्राम परिवार में रहेगी। ग्राम के सम्पूर्ण सौ परिवार दायी रहेंगे। जैसे ही ऐसी मानसिकता देखने मिले तुरन्त सुधारने का कार्य करेंगे। और पूरा गाँव के सौ परिवारो का मूल्यांकन, वर्ष में एक बार अथवा छः महीने में एक बार, आवश्यकता पड़ने से महीने में एक बार होना स्वाभाविक रहेगी। इसकी सुगमता हर दस परिवार के प्रतिनिधि करेंगे। हर परिवार अपना मूल्यांकन स्वयं करेगा। इन दोनो आधार पर ग्राम सभा अपना ध्यान देकर मूल्यांकन की घोषणा करेगा। इनमें से कोई भी परिवार में श्रेष्ठता की आवश्यकता होने पर अथवा परिवार समूह में श्रेष्ठता की आवश्यकता होने पर ग्राम सभा उसकी भरपाई करने का कार्य करेंगे। मूल्यांकन का ध्रुव बिन्दु समाधान, समृद्धि सम्पन्नता होगा। तीसरा बिन्दु उपकार कार्य में प्रवर्तन समाज गति के रूप में मूल्यांकित होगी। (**अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:114**)

- (**चौथा सोपान**) – सर्वमानव अपने में शुभ चाहने वाला होने के आधार पर और सर्वमानव समझदार होने के आधार पर और सर्वमानव व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के आधार पर मूल्याँकन होता रहेगा। ग्राम समूह सभा में शिक्षा–संस्कार पहली कड़ी है, दूसरी कड़ी में **न्याय–सुरक्षा** कार्य संपन्न होना पाया जाता है। **न्याय सुरक्षा** कार्य में निष्णात व्यक्तित्व का इसके पूर्व की सोपानीय कार्यो के आधार पर पहचान हुआ रहता ही है। यह हर निर्वाचित व्यक्ति का साधारण रूप में पहचान होना स्वाभाविक है। पीछे कहे गये तीन सोपान में मानव न्याय जो अनसुलझा रह जाता है उसको सुलझाने के लिए ग्राम समूह सभा का महिमा मंडित कार्य रहेगा। यह 1000 परिवार के साथ न्याय दृष्टि को, सत्य दृष्टि को सजग बनाए रखने का अनुपम सौभाग्य है। इस विधि से न्याय सुरक्षा आश्वस्त होने का कार्यक्रम विस्तृत होना समझ में आता है। इसका मूल्याँकन हर ग्राम मौहल्ला सभा के माध्यम से क्रियान्वयन होना व्यवहारिक हो पाता है। ग्राम समूह सभा अपने **न्याय सुरक्षा** कार्य का समीक्षा और मूल्यांकन

प्रक्रिया को सम्पादित करेगा।जिससे सभी मानव संतुष्ट रहने का गवाही अथवा प्रमाण तैयार होगा। यह मानव इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर: 118)**

- छठवाँ सोपान –

दूसरी कड़ी में **न्याय–सुरक्षा** अपने में एक वैभवशाली कार्यक्रम होना स्वाभाविक रहेगा। पीछे की पांचो कड़ियों में कोई समस्या शेष रहने की स्थिति में इस सोपान के निष्णात व्यक्ति उसे समाधान करने के दायी रहेंगे। **न्याय–सुरक्षा** एक बहुमूल्य कार्यक्रम है यही विश्वास का, अभयता का प्रधान कार्यक्रम है। पूरे मंडल का **न्याय–सुरक्षा** विधा में जागृत रहना मंडल सभा का अति प्रमुख कार्य रहेगा। मंडल परिवार सभा की जितनी भी समितियाँ होती है सभी सोपानीय सभाओं का **न्याय सुरक्षा** विधा का पूर्ण चित्रण, समीक्षा, मूल्याँकन कार्य सम्पादित होगा साथ में प्रस्ताव भी रहेगा। हर सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी के लिए आगे सीढ़ी से पीछे सीढ़ी के लिए, **न्याय–सुरक्षा** का प्रस्ताव बना रहना यह मानव अधिकार है। इसके आधार पर ही व्यवहारान्वय और मूल्याँकन होना स्वाभाविक है। **न्याय–सुरक्षा** सहअस्तित्व वादी विधि से सम्पन्न होना पाया जाता है। इसके लिए दूसरी कोई विधि भी नहीं है। मानवत्व अथवा मानवीयता सहअस्तित्ववादी विधि से प्रमाणित हो पाती है। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर: 120–121)**

- सातवीं सोपान–

दूसरी कड़ी **न्याय–सुरक्षा** है। **न्याय–सुरक्षा** विधा में मंडल समूह परिवार सभा में पहुंचे हुए सभी विद्वान जागृत मानव कोटि के ही होंगे। जिनके अधिकार में **न्याय सुरक्षा** के लिए आवश्यकीय सभी दूर संचार उपलब्ध रहेगा ही। फलस्वरूप दस मंडलों में **न्याय सुरक्षा** विधा से जुड़कर **न्याय सुरक्षा** की स्थिति गति का पूरा आँकलन बना ही रहेगा। इसमें से मंडल परिवार सभा में कार्यरत **न्याय सुरक्षा** कार्य में कोई समस्या हो उसे पूर्णतया समाधान प्रस्तुत करने का कार्य करेगा। प्रधान रूप से पाँचों कड़ियो में एक तारतम्यता किये रहेंगे। हर विद्वान जो परिवार सभा में भागीदारी करने के लिए प्रस्तुत होते है वे सब स्वायत्त परिवार के प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे। जहाँ तक दूर संचार तंत्र रहेगी वह सब मंडल समूह परिवार सभा के स्वायत्त में रहेगी। इसका प्रावधानीकरण मंडल परिवार सभा में कार्यरत या संचालित उत्पादन कार्य के चलते सम्पन्न हुआ रहना पाया जाता है। इस क्रम में मंडल समूह परिवार सभा अपना पहचान सदा सदा के लिए बनाने का कार्य करेगा। मंडल समूह परिवार सभा में जितने भी **न्याय सुरक्षा** के दस मंडल से प्रस्तुत होता है यह सब को समाधानित करेंगे। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर: 122–123)**

- आठवीं सोपान–

दूसरी कड़ी **न्याय–सुरक्षा** यथावत रहेगी विशेषकर परस्पर सीढ़ियो के बीच विसंगतियों को समाधानित करती रहेगी। राज्य सुरक्षा के सम्बन्ध में शोध कार्य सम्पन्न होता रहेगा। ग्राम सुरक्षा से मुख्य राज्य सुरक्षा तक एक मधुरिम एक सूत्र विधियों को जाँचते रहेंगे। इन में मजबूती को बनाते रहेंगे। साथ में मार्गदर्शन सभी सोपानों के साथ आदान प्रदान विधि से सम्पन्न होता रहेगा। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर: 124)**

- नवें सोपान–

इस सभा की दूसरी कड़ी **न्याय– सुरक्षा** कार्य रहेगी इसे पड़ोंसी राज्यों में अर्थात परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को पड़ोंसी राज्यों में प्रवाहित करने के लिए सभी उपायों का प्रयोग करेगी। इस विधि से लोकव्यापीकरण प्रवृत्ति का प्रमाण प्रधान राज्य सभा के दायित्व में रहेगी। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:125)**

- दसवीं सोपान–

इस सभा की दूसरी कड़ी **न्याय सुरक्षा** है। **न्याय सुरक्षा** में सर्वाधिक रूप में मानव न्याय अथवा समाज न्याय, लोककल्याण कार्यो में श्रेष्ठता गति और सन्तुष्टि का आँकलन करना रहेगा। उसमें से किसी भी श्रेष्ठता की, गति की आवश्यकता है उसके लिए समुचित मार्गदर्शन करना इस सभा का अधिकार रहेगा। इसी के साथ साथ प्राकृतिक संतुलन, जीव संतुलन, वनस्पति संतुलन, खनिज संतुलन, ऋतु संतुलन के सम्बंध में समुचित मार्गदर्शन को प्रस्तुत करना, अध्ययन योग्य विधि से स्वस्थ रखने के लिए सर्वाधिक ध्यान देना उसके लिए समुचित मार्गदर्शन अध्ययन विधि से प्रस्तुत करना रहेगा। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर: 126)**

संदर्भ: अनुभवात्मक अध्यात्मवाद

(संस्करण: 2009)

- समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने का तात्पर्य – मानवीय शिक्षा कार्य में, **न्याय सुरक्षा** कार्य में, परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कार्य में, लाभ–हानि मुक्त विनिमय कार्य में, स्वास्थ्य–संयम कार्य में भागीदारी करने से है। **(भूमिका से)**

- भ्रमित राज्य और धर्म के साथ व्यापार शोषणाधीन हो चुका है। व्यापार मानसिकता में शोषण का ही एकमात्र बुलंद आवाज है, उसमें सभी छल–कपट–दंभ–पाखण्ड समाया हुआ है। इसी क्रम में मानवेत्तर वस्तु व्यापार, मानव व्यापार, देह–व्यापार, धर्म व्यापार, ज्ञान व्यापार, तकनीकी व्यापार में अधिकाधिक व्यक्ति प्रवृत हो चुके हैं। इसका मूल कारण भ्रमित सामुदायिक परंपराएँ ही हैं। व्यापार विधि से हर मानव किसी न किसी का शोषण करता ही है। राज्य विधा में द्रोह–विद्रोह होता ही है। धर्म विधा में अपना पराया बना रहता है। इस शताब्दी के मध्यावधि से अभी तक सर्वधर्म सम्मेलन के नाम से अनेकानेक भाषण करने वाले विभूतियों को देखा गया है। सब अपने–अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते है। कभी–कभी एक दूसरे को सराहते भी हैं। इसके बावजूद कौमी–मजहबी संघर्ष, दूसरे विधि से कौमी मजहबी मानसिकता के आधार पर राज्यों के साथ संघर्ष, सत्ता हथियाने, दमन करने, तंग करने का प्रयास देखा गया है। जबकि मानव जाति एक है, धर्म एक है फलस्वरूप अखण्ड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, शांति, **न्याय, सुरक्षा**, समृद्धि, समाधान, सह–अस्तित्व, वर्तमान में विश्वास जागृति सहज विधि से नित्य समीचीन है ही। यही अनुभवमूलक आदर्शवाद मानवीयता सहज समाधानात्मक भौतिकवाद का स्वरूप है। अनुभवमूलक विधि से ही जागृति का प्रमाण होना देखा गया है। **(अध्याय: 2, पृष्ठ नंबर: 32)**

- उक्त मुद्दों पर स्वीकृत अधिकारों के आधार पर किये गये समझौते बारंबार बदलते भी रहते है। इसी के साथ इस शताब्दी के अंतिम दशक तक में यह भी देखा गया जिस देश के पास सर्वाधिक समर शक्ति हाथ लगी है वह किसी के अधिकारों को भी हथिया लिया है और अपने अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इस शताब्दी के पहले भी इस प्रकार की नजीरें उपनिवेश के रूप में घटित होना ख्यात हो चुकी है। इस प्रकार कोई भी अपने सामरिक कूटनीतिक (अन्त:कलह को पैदा करो–राज करो) मानसिकता से ही पहले भी जो अपना देश नहीं है ऐसे देशों पर अधिकार पाने का प्रयोग किया है। यह राज्याधिकार मानसिकता मूलत: अपने स्वजनों, स्वजातियों और स्वदेशियों के सुविधा के लिये अन्य देश की सम्पदाओं को अपहरण कर, शोषण कर अपने देश में उपयोग करने के रूप में प्रयास करना देखा गया है। आदिकाल से ही सामरिक शक्ति सम्पन्न राज्य को विकसित राज्य, उस देश में निवास करने वालों को विकसित जनजाति होना मान्यता के रूप में लोकव्यापीकरण हुआ है जबकि युद्ध न तो

विकास का आधार है, कड़ी है, न प्रक्रिया है। क्योंकि इससे अखण्ड समाज का एक भी सूत्र–व्याख्या, प्रयोजन प्रमाणित नहीं होता। जबकि मानवीयतापूर्ण पद्धति, प्रणाली, नीति से अखण्ड समाज का ही सूत्र रचना, व्याख्या व प्रयोजन नित्य समीचीन है। इससे वंचित होने का एक ही कारण है, भ्रमात्मक मानसिकता अथवा भय, प्रलोभन, आस्थाओं से ग्रसित मानसिकता ही है। अभी तक जितने भी झीना–झपटी युद्ध, विश्वयुद्ध हुए हैं, वे सब उक्त तीनों आधारों पर ही सम्पन्न हुए हैं। अतएव अनुभव मूलक विधि से ही मानवीयतापूर्ण पद्धति प्रणाली नीतिपूर्वक है। अखण्ड समाज सार्वभौम व्यवस्था, मानवीयतापूर्ण शिक्षा–संस्कार सुलभता, **न्याय–सुरक्षा** सुलभता, उत्पदान–कार्य सुलभता, विनिमय–कोष सुलभता, स्वास्थ्य संयम सुलभता नित्य वैभव के रूप में इसी धरती पर वैभवित होना सहज है, नियति है, एक अपरिहार्यता है। ऐसी ऐश्वर्य सम्पन्न मानव परंपरा महिमा से ही अनेक राज्य, समुदाय सम्बन्धी अधिकारोन्माद समापन होना स्वाभाविक है। इसका समापन और मानवीयता का उदय अर्थात् जागृति ही मानव परंपरा में, से, के लिये मौलिक संक्रमण और परिवर्तन है। **(अध्याय: 2, पृष्ठ नंबर: 37–38)**

- स्वास्थ्य–संयम जागृति विधि से अर्थात् अनुभव विधि से स्वायत्त होना सहज है। सम्बन्ध–मूल्य–मूल्यांकन–उभय तृप्तिकारी मानसिकता स्वयं का प्रमाण है और स्वास्थ्य समाधान, सह–अस्तित्व, वर्तमान में विश्वास, परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन–कार्य, **न्याय–सुरक्षा** में भागीदारी उसकी निरंतरता को बनाये रखने योग्य शरीर को संतुलित किये रहना स्वायत्तता के रूप में हर व्यक्ति में प्रमाणित होना समीचीन है। जीवन जागृति को मानव परंपरा में प्रमाणित करने के लिये शरीर की आवश्यकता और इसका उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनों के सम्बन्ध में हर व्यक्ति जागृत रहना आवश्यक होना है क्योंकि अनुभव की महिमा जागृति ही है। इसी सत्यतावश मानवीयतापूर्ण शिक्षा–संस्कारपूर्वक ही अथवा सुलभता से ही स्वायत्तता अपने आप संस्कारित होना पाया जाता है। स्वायत्त मानव ही परिवार मानव होना, परिवार मानव ही अखण्ड समाज, सार्वभौम व्यवस्था का धारक–वाहक होना, अखण्ड समाज, सार्वभौम व्यवस्था ही मानव में, से, के लिये परम सौभाग्य स्थिति, गति होना, फलस्वरूप मानव सहज सर्वशुभ, जीवन सहज नित्य शुभ, हर मानव में, से, के लिये प्रमाणित होता है। **(अध्याय: 2, पृष्ठ नंबर: 39–40)**

- मानव परंपरा में शिक्षा–संस्कार, **न्याय–सुरक्षा**, उत्पादन कार्य, विनियम कोष, स्वास्थ्य–संयम, व्यवस्था व व्यवस्था में भागीदारी सहज मुद्दों पर जागृत सहज प्रमाण होना, जानने–मानने–पहचानने में निरीक्षण समर्थ होना और निर्वाह करने में निष्णात रहना ही प्रामाणिकता है। निष्णातता का तात्पर्य निरीक्षण पूर्वक हर कार्य व्यवहारों को पूर्ण रूपेण, पूर्णता के अर्थ में प्रतिपादित, प्रकाशित और प्रमाणित करना ही है। यह मानव सहज अपेक्षा और आवश्यकता होना देखा गया। इसकी दूसरी विधियों में मानव कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत–कारित और अनुमोदित विधाओं में जागृतिपूर्ण कार्यकलापों को प्रमाणित करना ही है। यह सर्वमानव स्वीकृत है। स्वीकृति को

सर्वत्र देखने के लिए जागृत होना चाहते हैं या भ्रमित रहना चाहते हैं, इसके उत्तर में हर व्यक्ति जागृति का ही पक्ष लेते हैं।... (**अध्याय: 6, पृष्ठ नंबर: 225**)

- मानव में जागृत परंपरा स्थापित होने प्रमाणित होने और उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए सर्वसुखवादी विधि और व्यवस्था ही एक मात्र शरण है। यह पहले से ही स्पष्ट हो चुकी है जागृति ही विधि है, इसे प्रमाणित करना ही व्यवस्था है। यही व्यवस्था मानवीयता पूर्ण शिक्षा–संस्कार सुलभता व्यवस्था अपने स्वरूप में **न्याय–सुरक्षा** सुलभता, विनियम–कार्य सुलभता, उत्पादन–कार्य सुलभता, स्वास्थ्य–संयम कार्य सुलभता रूप में होना देखा गया है। यह सर्वसुलभ होना समीचीन है, आवश्यक और संभव है। मानव परंपरा में जागृति का प्रमाण मानवीयतापूर्ण शिक्षा–संस्कार ही है। जागृति और व्यवस्था के निरंतरता क्रम में स्वास्थ्य–संयम प्रणाली अपने आप मानव में, से, के लिये करतलगत होता है। इस प्रकार जागृति और जागृतिमूलक विधि से व्यवस्था सार्वभौम होना स्वाभाविक है। क्योंकि हर मानव जागृत होना चाहता ही है और हर मानव व्यवस्था में जीना चाहता ही है। यही अस्तित्व में अनुभव की महिमा है सह–अस्तित्व का प्रभाव है फलत: जागृति और जागृति का प्रमाण रूप सार्वभौम व्यवस्था मानव परंपरा में सार्थक होता है। यही ''अनुभवात्मक अध्यात्मवाद'' का प्रयोजन है। (**अध्याय: 6, पृष्ठ नंबर: 226–227**)

संदर्भ: व्यवहारवादी समाजशास्त्र

(**संस्करण** : 2009)

- अस्तु, संग्रह सुविधा भोग, अतिभोग, बहुभोग मानसिकता–उपक्रम, प्रौद्योगिकी, विज्ञान विधि से समाज रचना उसका निरंतरता और इस पृथ्वी का नैसर्गिक संतुलन अर्थात् पृथ्वी के चार अवस्थाओं के परस्परता में संतुलन और सम्पूर्ण मानव में संतुलन चिन्हित रूप में प्राप्त नहीं हो पाता है। यह सम्पूर्ण मेधावियों में स्पष्ट हो चुका है। अतएव इसका विकल्प गतिशील होना ही एकमात्र उपाय है।

  विकल्पों का प्रधान बिन्दुओं को,

  1. चेतना विकास मूल्य शिक्षा–संस्कार तकनीकी शिक्षण कार्य में विकल्प,
  2. ज्ञान, दर्शन, विवेक, विज्ञान विधि विचारों में विकल्प,
  3. **न्याय सुरक्षा** विधान में विकल्प,
  4. स्वास्थ्य संयम कार्य में विकल्प,
  5. विचार व आचरण विधि में विकल्प,
  6. व्यवहार कार्य विधि में विकल्प,
  7. उत्पादन विधि में विकल्प,
  8. विनिमय विधि में विकल्प,
  9. उपयोग विधि में विकल्प।

  इन विकल्पों को हम भले प्रकार से पहचान चुके हैं। इस विश्वास से कि हम जिन विकल्पों को अखण्ड समाज सार्वभौम व्यवस्था के सूत्र के रूप में समझ चुके हैं वह सर्वमानव में स्वीकृत है ही। **(अध्याय: 4, पृष्ठ नंबर: 69–70)**

- स्वतंत्रता :– प्रत्येक मानव अखण्ड समाज सार्वभौम व्यवस्था (मानव धर्म) में भागीदारी निर्वाह करने, कराने एवं करने के लिये मत देने में स्वतंत्र है। अखण्ड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की अक्षुण्णता मानवीय शिक्षा–संस्कार, स्वास्थ्य–संयम, **न्याय–सुरक्षा**, उत्पादन–कार्य, विनिमय–कोष, सुलभता सहित है जिसका क्रियान्वयन दस सीढ़ी में होता है। 1. 'परिवार' सभा, 2. 'परिवार समूह' सभा, 3. 'ग्राम परिवार' सभा, 4. 'ग्राम समूह' परिवार सभा, 5. 'ग्राम क्षेत्र' परिवार सभा, 6. 'मंडल' परिवार सभा, 7. 'मंडल समूह' परिवार सभा, 8. 'मुख्य राज्य' परिवार सभा, 9. 'प्रधान राज्य' परिवार सभा और 10. 'विश्व राज्य'। **(अध्याय: 5, पृष्ठ नंबर: 126)**

- परिवार सभा सभ्यता – सम्बन्ध, मूल्य, मूल्यांकन विधियों से सम्पन्न अनुभव ही सभ्यता की प्रतिष्ठा है। परिवार ही अपने परिपक्वता विधि से सभा के स्वरूप में प्रमाणित होता है। इस प्रकार सभा ही सभ्यता की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन स्रोत है। सभा स्वरूप क्रम से दस सीढ़ियों में स्पष्ट है। मूलतः परिवार सभा ही अन्य स्तरीय सभाओं की रचना–कार्य और प्रवृत्तियों को प्रवर्तित करता है। परिवार में समाधान, समृद्धि और परस्परता में विश्वास, प्रतिष्ठा के रूप में अनुभव होना ही, उसकी विशालता की आवश्यकता स्फूर्त होती है। इसी क्रम में परिवार के अन्य कार्य सूत्र भी आशय के रूप में सूत्रित रहता ही है। धरती में अकेले व्यक्ति या परिवार नाम की स्वरूप की व्यवस्था नहीं है। अनेक व्यक्ति, अनेक परिवार के रूप में मानव प्रकाशित है। इसलिये परस्पर परिवार में विश्वास का सूत्र फैलना एक आवश्यकता रहता ही है। इसी क्रम में परिवार समूह, ग्राम मुहल्ला परिवार होना एक साधारण विधि है। इसमें परिवार का आशित विनिमय, न्याय, स्वास्थ्य–संयम, शिक्षा–संस्कार अपेक्षा के रूप में ही रहता है। क्योंकि परिवार आवश्यकीय सभी सामान्य आकांक्षा एवं महत्वाकांक्षा सम्बन्धी वस्तुओं को निर्मित नहीं करता। आवश्यकता से अधिक एक–दो वस्तुओं को अवश्य ही उत्पादित करता है एवं विनिमय पूर्वक अन्य वस्तुओं में बदलने की आवश्यकता बनी रहती है। यह एक आवश्यकीय प्रक्रिया है। इसे दूर–दूर तक सूत्रित करना एक आवश्यकता है। मानव जागृतिपूर्वक ही सामाजिक होना पाया जाता है। यह शिक्षा–संस्कारपूर्वक ही होता है। इसका परीक्षण, सर्वमानव के साथ होना सहज है। इस विधि से संबंधों को विशाल और विशालतम रूप देना आवश्यकता है। इसी विधि से ग्राम परिवार सभा से विश्व परिवार सभा तक सम्बन्ध रचना मानव का चिर कामना नैसर्गिकता सहज विधि से स्पष्ट हुआ है। इस विधि से धरती के मानव न्याय, जो अखण्ड समाज के अर्थ को ध्वनित करता है, के साथ समाधान जो सार्वभौम व्यवस्था को ध्वनित करता है, के साथ जागृति जो इन दोनों को संतुलित रूप में प्रमाणित है, के साथ निरन्तर जीने की कला को, अनुभव बल को, विचार शैली को सर्वथा परिपूर्ण रूप में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना संभव है। जागृत परंपरा ही शिक्षा–संस्कार, **न्याय–सुरक्षा**, विनिमय–कोष, उत्पादन–कार्य और स्वास्थ्य–संयम के रूपों में हर सभा के परस्परता में, हर सभा में प्रमाणित होता है और उसका मूल्यांकन होना एवं उसकी तृप्ति सर्वसुलभ होना ही मानवीयतापूर्ण आचार संहिता का परम लक्ष्य है। **(अध्यायः 6, पृष्ठ नंबरः 133–135)**

- ....इससे यह स्पष्ट हो गया है कि हर मानव चाहे नर हो चाहे नारी हो, स्वस्थ रहने के मापदण्ड अस्तित्व सहज सह–अस्तित्व क्रम में स्वायत्त मानव के रूप में स्पष्ट किया जा चुका है। जिनमें ही मानवत्व रूपी स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार को स्वयं स्फूर्त विधि से प्रमाणित होना पाया गया है। ऐसा स्वायत्त मानव स्वस्थ मानव परिवार परंपरा में, व्यवहार परंपरा में, उत्पादन परंपरा में, विनिमय परंपरा में, स्वास्थ्य–संयम परंपरा में, मानवीयता पूर्ण शिक्षा–संस्कार परंपरा में और **न्याय–सुरक्षा** परंपरा में भागीदारी को निर्वाह करना ही समग्र व्यवस्था में भागीदारी का

तात्पर्य है। यह समझदार परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था विधि से समाज रचना परिवार से ग्राम परिवार, ग्राम परिवार से विश्व परिवार तक और ग्राम स्वराज्य सभा से विश्व परिवार सभा तक इन सभी आयामों में भागीदारी का सूत्र, व्याख्या अग्रिम अध्यायों में स्पष्ट हो जाएगी। **(अध्याय: 6, पृष्ठ नंबर: 159)**

- परिवार विधि में हर सम्बोधन प्रयोजन से लक्षित होना पाया जाता है। और हर प्रयोजन हर व्यक्ति के अपेक्षा सहित सम्बोधन का वस्तु है।

समितियों में सम्बोधन

सम्बोधन प्रयोजन

आचार्य–आवेदक – **न्याय–सुरक्षा** विधा में **(अध्याय: 6, पृष्ठ नंबर: 183)**

- मानव सहज जागृति प्रभाव विशालता की ओर गतिशील होना स्वाभाविक है। जैसा मानवीयतापूर्ण शिक्षा–संस्कार एक परिवार में परिवार का विरासत न होकर सम्पूर्ण विश्व मानव का स्वत्व होना पाया जाता है। इसीलिये मानवीयतापूर्ण शिक्षा–संस्कार सार्वभौम होना सहज है। इसी प्रकार **न्याय–सुरक्षा**, उत्पादन–कार्य, विनिमय–कोष, स्वास्थ्य–संयम क्रियाकलाप भी सार्वभौम होता ही है। इन पाँचों आयाम का सार्वभौम रूप में वर्तमान होना ही अखण्ड समाज, सार्वभौम व्यवस्था का द्योतक है। दाम्पत्य संबंध ऐसी व्यवस्था में भागीदारी का संकल्पोत्सव होना पाया जाता है, ऐसे संकल्प का प्रमाण समाधान और समृद्धि का स्वरूप ही है। यही परिवार मानव का लक्ष्य और आवश्यकता है। **(अध्याय: 6, पृष्ठ नंबर: 229–230)**

- व्यवस्था संबंध – व्यवस्था में जीने का प्रमाण परिवार में होता है। समग्र व्यवस्था में भागीदारी सहज क्रम में व्यवस्था संबंध को पहचानने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। जैसा परिवार में **न्याय–सुरक्षा** का प्रमाण संबंध, मूल्य, मूल्यांकन तन, मन, धन का सदुपयोग–सुरक्षा विधि से प्रमाणित हो जाता है। यही परिवार मानव का मानवीयतापूर्ण परिवार का परिभाषा है। इसीलिये परिवार में परस्पर हुई पिता–पुत्र, भाई–बहन, मित्र, गुरू, शिष्य, पति–पत्नि, माता–पिता इन संबंधों में संबोधन सहज संबध चिन्हित होता है और उत्पादन–कार्य में भागीदारी प्रमाणित रहता ही है। हर परिवार में वस्तुओं का उपयोग, सदुपयोग भी साक्षित रहता है। विनिमय–कार्य के लिये और विशाल संबंध की आवश्यकता बनी रहती है। एक परिवार की आवश्यकता जितने प्रकार की वस्तुओं की बना रहता है उनमें से कुछ वस्तुओं को किसी भी परिवार में उत्पादित होना स्वाभाविक है विनिमयपूर्वक एक परिवार में उत्पन्न वस्तु को दूसरे परिवार प्राप्त कर लेना ही वस्तुओं का आदान–प्रदान का तात्पर्य है। इस विधि से विनिमय एक आवश्यकीय क्रियाकलाप है; यह स्पष्ट हो जाता है। व्यवस्था के आयामों में विनिमय एक आयाम है। व्यवस्था रूप में ही संपूर्ण आयाम सहित परंपरा स्पष्ट होती है यथा मानवीयतापूर्ण शिक्षा–संस्कार परंपरा अन्य सभी चार

आयामों के लिये स्त्रोत और संतुलन सूत्र होना पाया जाता है। प्रत्येक आयाम में मानव अपने संतुलन पूर्वक कार्य–व्यवहार करने के क्रम में हर सूत्र व्याख्यायित हो जाता है। यथा मानवीय शिक्षा–संस्कार में ये देखने को मिलता है कि यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता रूप में समझा हुआ को संस्कारों के रूप में; किया हुआ को प्रमाणों के रूप में दूसरी भाषा में जिया हुआ को अथवा जीने की विधि को प्रमाण के रूप में देखा जाता है। समझने का जो कार्यक्रम है जिसमें समझाने वाली क्रिया समाहित रहती हैं यही संस्कार का कारण है यह अध्ययन पूर्वक सम्पन्न होना पाया जाता है।

शिक्षा–संस्कार ही परस्परता में संतुलन विधि से प्रमाणों का सूत्र और जीने की विधि में उसका व्याख्या स्वाभाविक रूप में संपन्न होता है। यही शिक्षा–शिक्षण और संस्कार में संतुलन का तात्पर्य है अर्थात् हर व्यक्ति में समझा हुआ सभी समझदारी जीने की कला में प्रमाणित होता है। समझदारी का संपूर्ण स्वरूप जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान, व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी का होना पाया जाता है। व्यवस्था क्रम में ही **न्याय–सुरक्षा** अपने में संतुलन को प्रमाणित होना एक अनिवार्यता है। न्याय का स्वरूप संबंध, मूल्य–मूल्याँकन उभय तृप्ति के रूप में देखने को मिलता है। सुरक्षा का स्वरूप जिसके साथ वस्तुओं का सदुपयोग हुआ रहता है वह उसका सुरक्षा को प्रमाणित किया रहता है। इस क्रिया का मूल स्त्रोत संबंधों में विश्वास ही है। यह अस्तित्व सहज सह–अस्तित्व का वैभव है। इससे स्पष्ट है कि जागृत मानव तन, मन, धन सहित ही संपूर्ण संबंधों के साथ प्रमाणित होना पाया जाता है। जागृत मानसिकता का तात्पर्य अनुभव मूलक विधि से कार्य करने, अनुभवगामी विधि से फलित होने का क्रियाकलाप; क्योंकि संपूर्ण अनुभव मूलक क्रियाकलाप स्वाभाविक रूप में अनुभवगामी विधि से आर्वतित होना देखा गया है। अनुभव जीवन सहज परम जागृति का नाम है। इसका संपूर्ण स्वरूप जीवन ज्ञान में परिपूर्णता, अस्तित्व दर्शन ज्ञान में पूर्णता और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान में परिपूर्णता के स्वरूप में देखने को मिलता है और भले प्रकार से यह जी कर देखा गया है। अस्तु, मानव परंपरा में अनुभवमूलक प्रणाली से अनुभवगामी प्रणाली सहज आर्वतनशीलता वश ही न्याय सुलभता व तन, मन, धन का सुरक्षा अपने–आप में सदुपयोग सहित प्रमाणित हो जाता है। तन, मन, धन का सदुपयोग का तात्पर्य ही है सम्बन्धों का निर्वाह। (अध्याय: 6, पृष्ठ नंबर: 233–236)

- दृष्टा पद का प्रमाण ही है जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना; यह हर मानव में स्वीकृत है, अपेक्षित है। यह जागृति पूर्वक सफल होता है। अतएव मानव दृष्टा पद जागृति प्रतिष्ठावश ही निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण कार्य संपन्न करता है। फलस्वरूप मानवत्व सहित जीने का प्रमाण वर्तमानित होता है। इसी क्रम में तन, मन, धन का सदुपयोग–सुरक्षा स्वाभाविक कार्य होने के कारण सदुपयोग विधि से सुरक्षा प्रमाणित होता है; और सुरक्षा–विधि से सदुपयोग प्रमाणित होता है। यही **न्याय–सुरक्षा** का, संतुलन का तात्पर्य है। सदुपयोग और सुरक्षा करने की संपूर्ण संभावना, मानव परंपरा में प्राकृतिक ऐश्वर्य के रूप में देखने को मिलता है। प्राकृतिक ऐश्वर्य नैसर्गिकता के रूप में

समीचीन है। मानव परंपरा संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था के रूप में समीचीन है। संस्कृति क्रम में शिक्षा–संस्कार ही प्रधान मुद्दा है और सभ्यता में इसी शिक्षा–संस्कार का प्रमाणपूर्वक पोषण विधि प्रमाणित होता है; यह आचरण का ही स्वरूप है। इसी के साथ नैसर्गिकता समीचीनता अपने–आप में ऋतु–संतुलन के रूप में वर्तमानित रहना ही उसकी सार्थकता है और मानव के लिये अपरिहार्यता है। इसे सुरक्षित रखना मानव का मौलिक अधिकार है। इस प्रकार मानवीयतापूर्ण पद्धति, सभ्यता रूपी मानवीय आचरण ही मौलिक अधिकारों के रूप में विभिन्न आयामों में विभिन्न सार्थक अर्थों में प्रायोजित होना पाया जाता है। इस प्रकार अर्थ का सदुपयोग ही सुरक्षा को प्रमाणित करता है। यही संतुलन का तात्पर्य है। ऐसी **न्याय–सुरक्षा** क्रम में उत्पादन–कार्य एक आयाम है। **(अध्याय: 6, पृष्ठ नंबर: 237–238)**

- जागृति सहज कार्यक्रम दायित्व और कर्तव्य के आधार पर ही सुयोजित हो पाता है। ऐसे सुयोजन परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के रूप में सर्वसुलभ होता है। जागृति पूर्वक जीने की कला ही सुयोजना का साक्ष्य है। परिवार मूलक स्वराज्य–व्यवस्था में व्यवस्थापूर्वक ही अखण्ड समाज, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी सम्पन्न होना पाया जाता है। इसी सत्यवश, यही सत्यता मानव परंपरा में सर्वतोमुखी समाधान, समृद्धि, अभय, सह–अस्तित्व के रूप में प्रमाणित होता है; जिसका अक्षुण्णता सहज होना पाया जाता है। मानव का अभीष्ट सदा–सदा से ही और सदा–सदा के लिये शुभ ही शुभ होना देखा गया है। ऐसा सार्वभौम शुभ अखण्ड समाज, सार्वभौम व्यवस्था रूपी कार्यक्रम ही है। ऐसा कार्यक्रम स्वाभाविक रूप में ही जागृति सहज शिक्षा–संस्कार विधि से स्पष्ट हो जाती है। मानवीयतापूर्ण शिक्षा–संस्कार अपने–आप में अस्तित्व मूलक मानव केन्द्रित चिन्तन, मध्यस्थ दर्शन (सह–अस्तित्ववाद) के रूप में स्पष्ट हो जाता है। यही सह–अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान सम्पन्नता सहित होने वाले अध्ययन, अवधारणा, अनुभव है। सह–अस्तित्व में अनुभव के आधार पर ही अखण्ड समाज, सार्वभौम व्यवस्था का प्रमाण मानव परंपरा में ही प्रमाणित होना समीचीन है। यही जागृति का द्योतक है। मानवीयतापूर्ण परंपरा का प्रमाण मानवीय शिक्षा–संस्कार सुलभता, **न्याय–सुरक्षा** सुलभता, विनिमय–कोष सुलभता, उत्पादन–कार्य सुलभता और स्वास्थ्य–संयम सुलभता ही है। इन्हीं पाँच आयामों के योगफल में संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था अपने–आप प्रमाणित होता है और अखण्ड समाज, सार्वभौम व्यवस्था का स्वरूप और उसकी निरंतरता बना ही रहता है। ऐसे भागीदारी में दायित्व, कर्तव्य का प्रमाण हर मानव में, से, के लिए सहज सुलभ होता है। **(अध्याय: 8, पृष्ठ नंबर: 265–266)**

- ग्राम–मुहल्ला सभा से मनोनीत–अनुशासित पाँच समितियों का कार्यरत रहना स्वराज्य व्यवस्था का वैभव है। इन वैभव के सफलताओं को देखने सुनने के लिये पूरे ग्राम मुहल्लावासी को उत्सुक रहना आवश्यक है। ग्राम सभा से निश्चित नियंत्रित विधि से एक–एक समिति का मूल्यांकन कार्यक्रम का तौर–तरीका जो अपनाये गये थे उसके

आधार पर सफलता का समारोह सम्पन्न करना आवश्यक रहता ही है। इसका समयावधि ग्राम सभा के समयानुसार सम्पन्न होना व्यवहारिक है। इसी के अनुसार **न्याय–सुरक्षा** समिति के सफलताओं को समीक्षा कर पूरा ग्रामवासियों को अवगाहन कराने का कार्य सम्पन्न किये जाने के रूप में देखने को मिलता है। इससे सम्पूर्ण ग्रामवासी **न्याय–सुरक्षा** सुलभ होने में विश्वस्त एवं आश्वस्त होने का अवसर समारोह समय में स्वाभाविक रूप में देखने को मिलता है। इसी उमंग के साथ भविष्य के प्रति भरोसा करना स्वाभाविक होता है। वर्तमान तक की सफलता भविष्य के प्रति आश्वस्तता का हर संगम स्थिति, गति, उत्साह और प्रसन्नता के स्वरूप में ही प्रमाणित होना देखा गया है। इसी प्रकार उत्पादन–कार्य समिति, विनिमय–कोष समिति, स्वास्थ्य–संयम कार्य समिति, मानवीयतापूर्ण शिक्षा–संस्कार समितियों का वर्तमान तक के सफलता, भविष्य में आश्वस्त होने का सफल योजना के अवगाहन तक का समारोह प्रसन्नता में अभिभूत होना, स्वाभाविक है। ऐसी अभिभूति के साथ ही हर्ष ध्वनि सफलता का कीर्ति गायन, भविष्य में सफलता का आकांक्षा, सम्भावना सहित कर्तव्यों और दायित्वों की स्वीकृति और उसका उद्गार सहित हर्ष ध्वनि गीत–संगीत का वातावरण बनाया जाना समारोह–वैभव का प्रतिष्ठा रहेगा। अस्तु, ग्राम सभा बनाम पाँचों समितियों सहित सफलता का आंकलन अग्रिम योजनाओं का प्रकाशन समारोह का सारतत्व रहेगा। यही व्यवस्था मूलक समारोहों की महिमा है। इसी प्रकार हर स्तरीय समितियों में समारोह कार्य सम्पन्न होना स्वाभाविक रहेगा। यह विश्व परिवार पर्यन्त व्यवहारान्वयन होना देखने को मिलता है। सम्पूर्ण मानव इस धरती मे समारोह और उत्साहपूर्वक संतुष्ट होते हैं। इसकी नित्य समीचीनता जागृति परंपरा पर्यन्त बनी ही रहेगी। (**अध्याय: 9, पृष्ठ नंबर: 292–293**)

- **न्याय–सुरक्षा का मूल्यांकन** – मूल्यों का मूल्यांकन क्रम में **न्याय–सुरक्षा** स्वाभाविक रूप में सार्थक होना पाया जाता है। सम्बन्धों का पहचान के साथ ही मूल्यों का निर्वाह करना स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह जागृत मानव का सार्वभौम प्रमाण है। मूल्यों का निर्वाह क्रम में अर्पण, समर्पण, पोषण, संरक्षण सहज रूप में ही प्रमाणित हो पाता है। जागृत का ही जागृतिशील इकाई को पहचानना–निर्वाह करना एक दायित्व है। इसी दायित्व के आधार पर जिनके साथ सम्बन्धों का निर्वाह होता है। ऊपर कहे चार सूत्रों में से कोई न कोई सूत्र सह–अस्तित्व सहज वर्तमान रहता ही है। इसलिये परस्पर सुरक्षा समीचीन रहता है और प्रमाणित रहता है। सुरक्षा का तात्पर्य यही हुआ अर्पण, समर्पण, पोषण, संरक्षण। यह चारों सूत्र विधि से प्रमाण, समाधान, समृद्धि सम्पन्न परिवार मानव से ही प्रावधानित होना पाया जाता है। अर्पण, समर्पण तब तक भावी रहता है जब तक संतान अपने स्वायत्तता और परिवार मानव प्रतिष्ठा को प्रमाणित नहीं करता है। अर्पण–समर्पण का दूसरा स्थिति कोई दूसरा रोगी हो जाए उसके साथ अर्पण, समर्पण होने का सूत्र क्रियाशील होना पाया जाता है। तीसरा स्थिति यही है किसी देश में प्राकृतिक प्रकोप जैसे–चक्रवात, भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी, उल्कापात, शिलापात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, से पीड़ित लोगों के साथ अर्पण–समर्पण का सूत्र क्रियाशील होना पाया जाता है। ऐसे अर्पण–समर्पण से किसी का पोषण और संरक्षण

प्रमाणित होता है यही सुरक्षा का तात्पर्य है। इस प्रकार पोषण शरीर पक्ष को, संरक्षण मानसिकता विचार पक्ष को विश्वस्त कर देता है। यही परस्परता में समाधान, समृद्धि, सम्पन्न मानव परंपरा में होने वाली सुरक्षा कार्य विधि अपने–आप स्पष्ट है।

हर परिवार मानव संबंधों का पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन पूर्वक उभयतृप्ति पाने के कार्यक्रम में निष्णात रहता ही है। ऊपर कहे परिस्थितियाँ स्वाभाविक रूप में मानव सम्बन्धों के साथ वर्तमानित होने वाले संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता का ही महिमा है। ऐसे कार्य–कलापों का मूल्यांकन उभय–पक्ष करता है। शैशवकालीन स्थितियों के अलावा अन्य सभी स्थितियों में परस्पर मूल्यांकन सम्पन्न होना सहज है। जैसे प्राकृतिक प्रकोप के लिये अर्पण–समर्पण, किया गया पूरकता कार्य विधि का मूल्यांकन उभय पक्ष करना स्वाभाविक है और इसमें उभय तृप्ति का होना भी स्वाभाविक है। इसी प्रकार रोगी और संतानों के साथ किया गया अर्पण समर्पण से उन–उन का सुरक्षा स्वाभाविक रूप से सम्पन्न हो पाता है। जिससे उभयतृप्ति होना देखा गया है। यही न्याय है। संतान जब कौमार्य और युवावस्था में होते हैं अभिभावकों से निर्वहन किया गया क्रियाकलाप अर्पण – समर्पण का मूल्यांकन स्वाभाविक रूप में जीवन–जागृतिपूर्वक होता ही है। मानवीय शिक्षा पूर्वक जीवन जागृति समीचीन रहता ही है। इसी प्रकार सभी सम्बन्धों में किया गया पहचान मूल्यों का निर्वहन और उभयतृप्ति जागृत परंपरा में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में उभयतृप्ति नित्यभावी रहता ही है। जागृत परंपरा में केवल किशोरावस्था तक मानव संतान जागृतिशील रहना देखा गया है। युवा और प्रौढ़ अवस्था में हर मानव, परिवार मानव के रूप में वैभवित रहता ही है। परिवार मानव का स्वरूप, कार्य और परिभाषा सदा–सदा ही न्याय और नियम सम्बन्ध विधि से ही सम्पन्न हुआ करता है। इसी के प्रमाण में हर परिवार मानव समाधान, समृद्धि, अभय, सह–अस्तित्व का धारक–वाहक होना जागृति सहज तथ्य है। जागृति मानव का वर होने के कारण जागृतिपूर्वक ही हर मानव मानवत्व सहित व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होना समग्र व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह करता हुआ देखने को मिलता है। यही न्याय का आद्यान्त स्वरूप है। शिशुकाल में केवल मूल्यांकन व्यक्त नहीं हो पाता है, तृप्ति अपने–आप प्रमाणित होती है। यह पोषण–संरक्षण का फलन होना पाया जाता है। मूल्यांकन पूर्वक तृप्त रहने के लिये उभय जागृत रहना आवश्यक रहता ही है। जागृत परंपरा में हर संतान जागृतशील होता ही है। जागृति के अनन्तर मूल्यांकन भावी हो जाता है। मूल्यांकन में उभयतृप्ति ही संतुलन बिन्दु है। यही न्याय का प्रकाशन है। ऐसा मूल्यांकन हर **न्याय–सुरक्षा** समिति में सम्पन्न होना स्वाभाविक है।

न्याय–सुरक्षा समिति किसी भी स्थिति में मूल्यांकन करने में समर्थ रहता है। हर स्थितियों में सम्बन्ध, मूल्य, मूल्यांकन ही प्रमुख बिन्दु बना रहता है। जागृत मानव; सम्बन्धों की अवधारणा से परिपूर्ण रहता ही है। मूल्यों का अनुभव हर जागृत मानव में वर्तमान रहता ही है। इसी आधार पर मूल्यांकन सुलभ हो जाता है। फलस्वरूप समीचीन उभय पक्ष में तृप्ति का होना देखा जाता है।

न्याय–सुरक्षा का स्वरूप, कार्य और फलन परस्पर तृप्ति ही है। यह तृप्ति परस्परता में विश्वास के रूप में ही पहचाना जाता है। विश्वास अपने में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करने के रूप में प्रमाणित हो जाता है। इस विधि से **न्याय–सुरक्षा** जागृत परंपरा सहज लोक–मानस का स्वरूप होना पाया जाता है। अतएव **न्याय–सुरक्षा** पूरे गाँव का, नगरवासी, धरती में निवासियों का जागृत मानसिकता का ही गति और स्थिति है। गति में सम्बन्ध, मूल्य, अर्पण, समर्पण, मूल्यांकन और उभय तृप्ति ही है। उभयतृप्ति निरंतर सह–अस्तित्व का प्रमाण है। सह–अस्तित्व के रूप में ही न्याय अपने में नित्य ध्रुव है। दूसरे ओर तृप्ति ही नित्य ध्रुव है। इसी बीच में सम्पूर्ण क्रियाकलाप जागृत मानव परंपरा में मूल्यांकित हो जाता है। इस विधि से **न्याय–सुरक्षा** मानव परंपरा में सहज व्यवहारिक अनिवार्यतम प्रक्रिया–प्रणाली के रूप में स्पष्ट है। **(अध्याय:10 , पृष्ठ नंबर: 298–301)**

संदर्भ: आवर्तनशील अर्थशास्त्र

(संस्करण: 2009)

- परिवार का तात्पर्य सीमित संख्यात्मक स्वायत्त नर–नारियों का न्याय पूर्वक सहवास रूप है। यह अपने आप में स्वयं स्फूर्त विधि से परस्पर संबंधों को पहचानना मूल्यों को निर्वाह करना, मूल्यांकन करना और उभय तृप्ति पाना होता है। इसी के साथ–साथ समझदार परिवारगत उत्पादन कार्य में परस्पर पूरक होना, परिवार की आवश्कता से अधिक उत्पादन करना अथवा होना होता है। यही परिवार का कार्यकलाप का प्रारंभिक स्वरूप है। संबंध, मूल्य, मूल्यांकन विधि से समाज रचना और अखंड समाज होना पाया जाता है अथवा संभावनाएं है ही। समाज रचना विधि ही व्यवस्था का आधार है। व्यवस्था का स्वरूप पांचों आयामों में यथा

  1. **न्याय सुरक्षा,**
  2. उत्पादन कार्य
  3. विनिमय कोष
  4. स्वास्थ्य संयम, और
  5. शिक्षा संस्कार

  कार्यकलापों के रूप में प्रमाणित हो पाता है और उसकी निरंतरता संभावित है। सभी आयामों में भागीदारी को निर्वाह करना ही समग्र व्यवस्था में भागीदारी का तात्पर्य है। ऐसी व्यवस्था सार्वभौम होने की संभावना समीचीन है जिसकी अक्षुण्णता मानव परंपरा में भावी है। ऐसी व्यवस्था को कम से कमएक गाँव से आरंभ करना और सभी आयामों में भागीदारी को निर्वाह करने योग्य अर्हता सें समूचे ग्राम वासियों को सम्पन्न करना एक आवश्यकता है। ऐसे अर्हता से सम्पन्न परिवार मानव और परिवार कम से कम 100 परिवार के सह–अस्तित्व में परिवारमूलक स्वराज्य व्यवस्था समझदारी पूर्वक प्रमाणित हो पाता है। ऐसी परिवारमूलक स्वराज्य व्यवस्था में ही आवर्तनशील अर्थशास्त्र चरितार्थ होना सहज संभव है। **(अध्याय: 2, पृष्ठ नंबर: 30–31)**

- पूरे गाँव में आवर्तनशीलता को इस प्रकार पहचानना आवश्यक और सहज है कि प्रत्येक परिवार समूचे ग्राम परिवारों के साथ एक दूसरे को किसी संबंध से पहचानते हैं, मूल्यों का निर्वाह करते हैं मूल्यांकन करते हैं। सदा तृप्ति मिलती ही रहती है। दूसरा श्रम मूल्यों के आधार पर वस्तु मूल्यों का मूल्य निर्धारित करते हैं और परस्पर विनिमय करते हैं। हर परिवार में आवश्कता से अधिक उत्पादन कार्य स्पष्ट रहता ही है। इस प्रकार वस्तुओं का उत्पादन, विनिमय और **न्याय–सुरक्षा** कार्यकलाप एक दूसरे से पूरक विधि से आवर्तनशील होते हैं। क्योंकि श्रम नियोजन, श्रम मूल्य में सामरस्यता, संबंध और मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य में सामरस्यता और उसका नित्य गति के रूप में व्यवहार और विनिमय एक–दूसरे के लिए पूरक होते हैं और नित्य गतिशील रहते हैं इस प्रकार इसकी आवर्तनशीलता समझ में आती है।

  इसी क्रम में परिवार सहज सहवास, ग्राम मोहल्ला सहज सहयोग, राष्ट्र और विश्व परिवार सहज सह अस्तित्व के रूप में आवर्तनशील अर्थ व्यवस्था को जानना–मानना–पहचाननना–निर्वाह करना नियति सहज समीचीन है। परिवारमूलक विधि से एक ग्राम और ग्राम मूलक विधि से एक परिवार व्यवस्था पांचों आयामों के रूप में वैभवित

होना सहज है। यही पाँचों आयामों की परस्पर पूरकताएं आवर्तनशीलता को प्रमाणित करना मानव का सहज अपेक्षा और जागृति क्रम घटना की समीचीनता अध्ययनगम्य हो जाता है। एक ग्राम व्यवस्था में **न्याय सुरक्षा** कार्य में भागीदारी, विनिमय कोष कार्यो में भागीदारी निरंतर समीचीन रहता है। परिवार व्यवस्था में जीना प्रमाणित रहता है। इन तीनों आयामों के लिए स्रोत रूप में स्वास्थ्य संयम कार्यों में भागीदारी और शिक्षा संस्कार कार्यों में भागीदारी की आवश्यकता, सम्भावना और प्रयोजन समीचीन रहता ही है। हर समझदार परिवार मानव कहे गये पाँच आयामों में भागीदारी को निर्वाह करने योग्य होता ही है। इसका स्रोत शिक्षा–संस्कार विधि से सम्पन्न होने की व्यवस्था है।

समूचे व्यवस्था का अर्थात् एक परिवार से विश्व परिवार, मानव व्यवस्था को पहचानने–निर्वाह करने के क्रम में दस सीढ़ियों में पहचानना सहज है। यथा

1. परिवार सभा व्यवस्था
2. परिवार समूह सभा व्यवस्था
3. ग्राम परिवार सभा व्यवस्था
4. ग्राम समूह परिवार सभा व्यवस्था
5. ग्राम क्षेत्र परिवार सभा व्यवस्था
6. मंडल परिवार सभा व्यवस्था
7. मंडल समूह परिवार सभा व्यवस्था
8. मुख्य राज्य परिवार सभा व्यवस्था
9. प्रधान राज्य परिवार सभा व्यवस्था और
10. विश्व राज्य परिवार सभा व्यवस्था।

इन दसों सीढ़ियों का अन्तर संबंध हर एक व्यक्ति 10 व्यक्ति को अथवा हर 10 व्यक्ति एक–दूसरे को मानव सहज संबंधों के रूप में पहचानने, उसमें निहित मूल्यों को निर्वाह करने के रूप में समझा गया है। इस क्रम में एक परिवार सभा से कम से कम 10 व्यक्ति होना मानते हुए इसे चित्रित किया गया है। 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को किसी निश्चित काल तक परिवार समूह सभा व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह करने के लिए निर्वाचित करेंगे। ऐसे 10 परिवारों में से निर्वाचित एक–एक व्यक्ति मिलकर एक परिवार समूह सभा के रूप में कार्य करना होगा। ऐसे 10 परिवार समूह सभाएं अपने में से एक–एक व्यक्ति निर्वाचित करेंगे। ऐसे 10 व्यक्ति मिलकर एक ग्राम मोहल्ला स्वराज्य परिवार सभा व्यवस्था गठित करेंगे। यही निर्वाचित 10 व्यक्ति मिलकर, ग्राम के कम से कम 1000 व्यक्ति में से ही 5 समितियों को मनोनीत करेंगे। ये 5 समितियाँ क्रम से 1.**न्याय–सुरक्षा**, 2.उत्पादन–कार्य, 3.विनिमय–कोष, 4.शिक्षा–संस्कार और 5.स्वास्थ्य–संयम समितियाँ रहेंगी। इसमें मूलत: महत्वपूर्ण मुद्दा यही है परिवार के सभी सदस्यों को स्वयं पर विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, प्रतिभा और व्यक्त्वि में संतुलन, व्यवसाय में स्वावलंबी, व्यवहार में सामाजिक योग्य क्षमता–योग्यता–पात्रता को स्थापित करने के उपरांत ही परिवारमूलक स्वराज्य व्यवस्था सभा का गठन करना सहज है। ऐसे 10–10 व्यक्तियों का 10 ग्राम स्वराज्य परिवार सभाओं में से 1–1 व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे। ऐसे 10 व्यक्ति मिलकर एकग्राम समूह परिवार सभा का गठन करेंगे। और इसमें भी पांच आयाम रूपी समितियों को मनोनीत व्यक्तियों से गठित करेंगे। इसी प्रकार क्रम से प्रधान राज्य परिवार सभा का गठन, पाँचों आयाम रूपी समितियों का मनोनयन सम्पन्न होगा। इस धरती पर जितने भी

प्रधान राज्य परिवार सभाएं होंगी वे सब अपने–अपने निर्वाचित सदस्यों को पहचानने, इस प्रकार विश्व परिवार सभा व्यवस्था भी मनोनयन पूर्वक 5 व्यवस्था समितियों को गठित करेगा। ये सभी समितियाँ ग्राम से विश्व तक अंतर सम्बन्धित रहना होगा। सभी स्तरीय सभाएं इन पाँचों समितियों का मूल्यांकन करते हुए श्रेष्ठता की ओर कार्य और प्रयोजन पर बल देते रहना बनता है। इस विधि से भविष्य का हर क्षण उत्सव मय होना समझ में आता है।
दसों स्तरीय निर्वाचित सभाओं, सभाओं से मनोनीत समितियों के अंतरसम्बन्धों को बनाए रखने के लिए संचार, दूरभाष, परिवहन मार्ग, जल, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए हर स्तरीय सभाएँ और समितियाँ दायित्व का वहन करेंगे। हर स्तरीय सभा का क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ी ही रहेगी। इस प्रकार अंतर संबंधों बाह्य संचारों का आवर्तनशीलता में निरंतर व्यवस्था क्रम सुदृढ़ और मधुरिम होने का स्वरूप समझ में आता है। हर स्तरीय समितियाँ स्थानीय सभी कार्यकलापों को विधिवत समृद्ध बनाते ही रहेंगे। जैसा मकान बनाना, सड़क बनाना, कूप खनन करना, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ गृह निर्माण करना, पूरे ग्राम के लिए आवश्यकीय गृह निर्माण वस्तुओं को सुलभ करना, रेलमार्ग, वायुमार्ग, जल मार्ग का व्यवस्था प्रदान करना बना रहेगा।
न्याय सुरक्षा के साथ–साथ ग्राम सुरक्षा कार्यक्रम, **न्याय सुरक्षा** समिति से संचालित रहेगा। इसी प्रकार हर स्तरीय सुरक्षा विधि बना रहेगा। यह क्रम से क्षेत्र सुरक्षा के अनन्तर ग्राम सुरक्षा की आवश्यकता, प्रधान राज्य के अनन्तर मुख्य राज्य सुरक्षा तक की गौणता और विश्व राज्य व्यवस्था के अनंतर प्रधान राज्य सुरक्षा की आवश्यकताएँ शून्य होना भावी है। भले ही आज बीसवीं शताब्दी के दसवें दशक में इसे कल्पना के रूप में ही स्वीकार लें। इस धरती की हालत वैज्ञानिक युग के अनन्तर जैसे बन पड़ी है और पर्यावरण संतुलन जैसा जर्जर छिन्न–भिन्न होता जा रहा है, उनके पहले भी किए गए, सोचे गए परिणामों के फलस्वरूप अनेकानेक नस्ल, रंग, जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, देश, भाषा, वर्गों के रूप में बांटकर अनेक अहमता की दीवालें बन चुकी है। पूर्ववर्ती विधि से बनी हुई तमाम समुदायों में बंटी हुई मानव जाति सह–अस्तित्व, अभय, समृद्धि और समाधान सम्पन्न होना संभव नहीं है। विकल्पात्मक अखंड सार्वभौम और अक्षुण्ण समाज व्यवस्था और जागृति सहज विधि से सम्पन्न होने के लिए विकल्पात्मक समाज–रचना विधि–व्यवस्था कार्यविधि, व्यावहारिक योजना विधि। इसके लिए विकल्पात्मक जीने की कला विधि, विकल्पात्मक विचार विधि, विकल्पात्मक दर्शन विधियों को जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना अनिवार्य है। **(अध्याय: 3, पृष्ठ नंबर:57–62)**

- परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य सभा अपने ही ग्राम के व्यक्तियों में से 5 समितियों को गठित करेगा। यह प्रधानत:– (1) **न्याय–सुरक्षा** करेगा अथवा **न्याय सुरक्षा** को संतुलित बनाए रखेगा, (2) उत्पादन–कार्यकलाप को संतुलित बनाए रखेगा, (3) विनिमय कोष कार्यों को संतुलित बनाए रखेगा, (4) शिक्षा–संस्कार कार्य को संतुलित बनाए रखेगा और (5) स्वास्थ्य–संयम कार्यों को संतुलित बनाए रखेगा। इन्हीं कार्यकलापों के आधार पर क्रमश: (1) **न्याय–सुरक्षा** समिति (2) उत्पादन–कार्य समिति (3) विनिमय–कोष समिति (4) शिक्षा–संस्कार समिति और (5) स्वास्थ्य–संयम समिति नामकरण होगा। कार्य और नाम से यह सुस्पष्ट है कि इस स्वरूप के साथ मानव प्रयोजन, आवश्यकता और अनिवार्यता को अनुभव कर सकता है। इसी क्रम में विश्व परिवार सभा तक 5–5 समितियों का गठन होना सहज है। और हर समिति हर स्तरीय समिति एक दूसरे के साथ संचार और अनुप्राणन संबंध को बनाए रखेंगे। इसमें से विनिमय कोष समिति के द्वारा विनिमय कार्यों को गाँव में और एक–दूसरे गाँव के साथ सार्थक होगी। हर गाँव में ग्राम सभा ही वस्तु मूल्यों का मूल्यांकन, उसका ध्रुवीकरण क्रियाकलापों की विधि पर निर्णय लेगा। **(अध्याय: 4, पृष्ठ नंबर: 139–140)**

- **स्वराज्य व्यवस्था के लिए पूर्व तत्परता एवं आंकलन**

न्याय सुरक्षा सम्बन्धी आंकलन :–

1. ग्राम का प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और पात्रता के अनुसार उत्पादन करता है या उत्पादन में भागीदार है या नहीं ? के रूप में उत्पादन न्याय का आंकलन।
2. उत्पादित वस्तुओं का शोषण विहीन पद्धति से कहाँ तक विनिमय, आदान–प्रदान हो रहा है–के रूप में विनिमय न्याय का आंकलन।
3. स्वधन, स्वपुरूष/स्वनारी, दया पूर्ण कार्यों और तन, मन, धन रूपी अर्थ के सदुपयोग के आधार पर, आचरण–न्याय का आंकलन।
4. सम्बन्धों के साथ विश्वास निर्वाह के रूप में, व्यवहार–न्याय का आंकलन।
5. वर्तमान में कितने अपराध और अपराधी हैं ? कितने अपराध जमीन जायदाद सम्बन्धी है ? नारी–पुरूष सम्बन्धों से संबंधित अपराध कितने दर्ज हैं ? ऐसे दर्ज अपराधों की संख्या कितनी है जिनका निर्णय होना शेष है?
6. वर्तमान न्याय–व्यवस्था के प्रति मानसिकता कैसी है ?
7. गाँव सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का आंकलन व वर्तमान में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है ? **(अध्याय:9, पृष्ठ नंबर: 259)**

- **स्वराज्य सभा**

कार्य शैली :–

प्रत्येक ग्राम सभा, ''ग्राम स्वराज्य व्यवस्था'' को स्थापित करने के लिए निम्न 5' समितियों का गठन करेगी :–

1. मानवीय शिक्षा–संस्कार समिति
2. उत्पादन–कार्य व सलाहकार समिति
3. लाभ–हानि मुक्त सहकारी विनिमय–कोष समिति
4. स्वास्थ्य–संयम समिति
5. **मानवीय न्याय–सुरक्षा समिति**

उपर्युक्त समितियाँ ग्राम सभा के मार्गदर्शन के आधार पर कार्य करेंगी। उपरोक्त समितियाँ क्रम से ग्राम में शिक्षा–संस्कार व्यवस्था, उत्पादन–कार्य व्यवस्था, विनिमय–कोष व्यवस्था, स्वास्थ्य–संयम व्यवस्था व **न्याय सुरक्षा** व्यवस्था को स्थापित करेंगी। उपरोक्त समिति के सदस्यों का मनोनयन ग्राम सभा करेगी। प्रत्येक मनोनीत सदस्य इन समितियों का अंशकालिक सदस्य होगा व वह अपनी समिति का कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वाह अपने निजी व्यवसाय के अलावा करेगा। वयोवृद्ध स्त्री व पुरुष, जो जीवन विद्या व वस्तु विद्या में पारंगत है उनको समितियों के अंशकालिक व पूर्णकालिक सदस्य होने का अवसर रहेगा। प्रत्येक समिति का विस्तृत कार्यक्रम अगले खंडों में विस्तार से दिया गया है। ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के लक्ष्य निम्न होंगे :–

1. गाँव के प्रत्येक मानव को मानवीय शिक्षा संस्कार से सम्पन्न करना।
2. प्रत्येक व्यक्ति को व्यवसाय में निपुणता–कुशलता को सहज सुलभ करना।
3. प्रत्येक व्यक्ति को व्यवहार में सामाजिक बनाना।

4. प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी उत्पादन कार्य में प्रवृत्त करना।
5. उत्पादित वस्तुओं को विनिमय कोष द्वारा, लाभ हानि मुक्त पद्धति से क्रय–विक्रय करने की व्यवस्था प्रदान करना और ग्रामवासियों के लिए आवश्यकीय वस्तुओं को उपलब्ध कराना।
6. प्रत्येक व्यक्ति को **न्याय व सुरक्षा** सहज सुलभ कराना। साथ ही सुधारवादी प्रक्रिया से, गलती व अपराधों का निराकरण करना।
7. प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति अवधारणा पूर्वक संकल्पबद्ध करना, व्यायाम व खेलों के लिए प्रोत्साहित करना, संक्रामक रोग–विरोधी टीकों की उपयोगिता से अवगत कराना। साथ ही सहज व सस्ती चिकित्सा की व्यवस्था करना।
8. प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, परिवार व्यवस्था के प्रति विश्वास व निष्ठा उत्पन्न करना।
9. प्रत्येक व्यक्ति/परिवार अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करे, ऐसा सुनिश्चित उपाय करना।
10. ग्राम के लिए सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करना।
11. व्यक्तित्व व प्रतिभा का संतुलन उदय हो, ऐसा सुनिश्चित उपाय करना।
12. प्रत्येक परिवार में भौतिक समृद्धि व बौद्धिक समाधान साक्षित करना, समस्त ग्रामवासियों की परस्परता में अभयता व सह–अस्तित्व चरितार्थ करना। **(अध्याय: 9, पृष्ठ नंबर: 262–264)**

- स्वराज्य सभा

परिवार समूह व परिवार प्रतिनिधि के कर्तव्य एवं दायित्व :–

1. परिवार प्रतिनिधि, सदस्यों के साथ व्यवहार, आचरण, स्वास्थ्य, उत्पादन व उत्पादन संबंधी साधनों के संदर्भ में स्वयं प्रमाणिक रहते हुए, उनके अनुरूप सभी सदस्यों को होने के लिए प्रेरणा स्त्रोत बने रहेंगे।
2. परिवार प्रतिनिधि, परिवार के अन्य सदस्यों का मूल्यांकन करेंगे। परिवार प्रतिनिधि का मूल्यांकन, परिवार समूह सभा करेगा। आचरण के लिए मूल्यांकन का आधार स्वधन, स्वनारी/स्वपुरूष व दया पूर्ण कार्य रहेगा।
3. व्यवहार के मूल्यांकन का आधार मानव व नैसर्गिक संबंधों व उनमें निहित मूल्यों की पहचान व निर्वाह से है। साथ ही तन,मन, धन रूपी अर्थ के सदुपयोग, सुरक्षा के आधार पर नैतिकता का मूल्यांकन किया जायेगा।
4. परिवार में किसी से गलती होने की स्थिति में सुधारने का कर्तव्य, परिवार के सभी सदस्यों का होगा। इसमें परिवार प्रतिनिधि उभय पक्षीय प्रेरक का कार्य करेगा।
5. परिवार सम्बन्धी समस्त जानकारी, जिसके आधार पर परिवार के सदस्यों को शिक्षा–संस्कार, उत्पादन कार्य आदि में लगाना है, के लिए सभी तथ्यों को एकत्रित कर, ग्राम सभा को उपलब्ध कराने का कर्तव्य, परिवार प्रतिनिधि का होगा। परिवार में यदि कोई व्यक्ति, किसी विशेष योग्यता, हस्तकला, हस्त–शिल्प, कृषि व अन्य तकनीकी या साहित्य कला में माहिर है तो यह जानकारी भी, ग्राम की सम्बन्धित समिति को उपलब्ध कराएगा।

6. परस्पर परिवारों के विवादों व उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण का दायित्व उन परिवार के प्रतिनिधि व परिवार समूह सभा का होगा। परिवार समूह सभा द्वारा विवाद हल न होने की स्थिति में ही विवाद ''**न्याय सुरक्षा–समिति**'' के पास जायेगा। (अध्याय: 9, पृष्ठ नंबर: 267–268)

- न्याय–सुरक्षा व्यवस्था – (अध्याय: , पृष्ठ नंबर: 285–296)

न्याय–सुरक्षा समिति :– ग्राम सभा के द्वारा मनोनीत की जायेगी। यह समिति गाँव की सम्पूर्ण व्यवहार सम्बन्धी विवादों को हल करने के लिए स्वतंत्र होगी व बाह्य हस्तक्षेपों से मुक्त रहेगी। न्याय प्रक्रिया का स्वरुप स्वयं स्फूर्त सुधार प्रणाली पर आधारित रहेगा ग्राम–न्यायलय में सम्पूर्ण प्रक्रिया मानवीय संचेतना वादी व्यवहार पद्धति पर आधारित होगी। चूंकि प्रत्येक मानव को, मानवीयता पूर्ण पद्धति, प्रणाली व नीति पूर्वक जीने का अधिकार समान है। इसके अनुसार गाँव में मानवीयता पूर्ण आचरण पद्धति, मानवीयता पूर्ण व्यवहार प्रणाली व अर्थ (तन, मन, धन) की सुरक्षात्मक व सदुपयोगात्मक नीति रहेगी। जो भी व्यक्ति इस व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखने में हस्त–क्षेप करेगा, वह सुधरने के लिए बाध्य होगा। मानव अज्ञान, अत्याशा और अभाव वश ही गलती, अपराध तथा तन, मन, धन रुपी अर्थ का अपव्यय करता है। यह व्यवहार मानवीयता और सामाजिकता व व्यवस्था की दृष्टि से सहायक नहीं है। **न्याय–सुरक्षा** समिति, **न्याय सुलभता और सुरक्षा कार्य** में निष्ठान्वित तथा प्रतिज्ञाबद्ध रहेगी।

न्याय–सुरक्षा समिति, मानवीय आचार संहिता के अनुसार न्याय प्रदान करेगी। मानवीय आचार संहिता के अनुसार न्याय व्यवस्था के चार प्रधान आयाम है :–

1. चरित्र में न्याय
2. व्यवहार में न्याय
3. उत्पादन में न्याय
4. विनिमय में न्याय।

1.चरित्र में न्याय :–

स्वधन, स्वनारी/स्वपुरूष और दया पूर्ण कार्य का वर्तमान और उसका मूल्यांकन, चरित्र में न्याय का स्वरूप है। स्वधन का तात्पर्य श्रम नियोजन का प्रति फल, कला तकनीकी, विद्वत्ता विशेष प्रदर्शन, प्रकाशन किए जाने के फलस्वरूप प्राप्त पुरस्कार और उत्सवों के आधार पर किया गया आदान–प्रदान के रूप में प्राप्त, पारितोष रूप में प्राप्त धन या वस्तुएँ से है।

स्वनारी, स्वपुरूष :–

विवाह पूर्वक स्थापित दाम्पत्य संबंधी जिसका पंजीयन ग्राम सभा में होगा।

दया पूर्ण कार्य :–

1. अखण्ड समाज सूत्र सहज मानव मूल्य स्थापित मूल्य व शिष्ट मूल्यों की पहचान और उसका निर्वाह।
2. सम्बन्धों की पहिचान और निर्वाह क्रम में तन, मन, धन, रुपी अर्थ का अर्पण समर्पण।
3. निस्सहाय, कष्ट ग्रस्त, रोग ग्रस्त और प्राकृतिक प्रकोपों से प्रताड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना।
4. प्राकृतिक, सामाजिक और बौद्धिक नियमों का पालन आचरण पूर्वक प्रमाणित करते हुए मानवीय परंपरा के लिए प्रेरक होना।
5. जो जैसा जी रहा है, कार्य कर रहा है उसका मूल्यांकन करना। जहां–जहां सहायता की आवश्यकता है वहां सहायता प्रदान करना। समझा हुआ को समझाना, सीखा हुआ को सीखाना, एवं किया हुआ को करना ही सहायता का स्वरूप।
6. पात्रता हो उसके अनुरूप वस्तु न हो, उसके लिए वस्तु को उपलब्ध कराना ही दया है।

2. व्यवहार में न्याय (मानवीय व्यवहार) :–

(मानवीय व्यवहार) मानव तथा नैसर्गिक सम्बन्धों व उनमें निहित मूल्यों की पहिचान और उसका निर्वाह करना। मानव परंपरा में मानव सम्बन्ध प्रधानत: सात प्रकार से गण्य है:–

1. माता – पिता.
2. पुत्र – पुत्री.
3. गुरू – शिष्य.
4. भाई – बहन.
5. मित्र – मित्र.
6. पति – पत्नी.
7. स्वामी – सेवक (साथी सहयोगी)

उपरोक्त सम्बन्धों में निहित मूल्य निम्न है :–

स्थापित मूल्य	शिष्ट मूल्य
1. विश्वास	1. सौजन्यता
2. स्नेह	2. निष्ठा
3. कृतज्ञता	3. सौम्यता
4. गौरव	4. सरलता
5. ममता	5. उदारता
6. वात्सल्य	6. सहजता
7. सम्मान	7. सौहार्द्र
8. श्रद्धा	8. पूज्यता
9. प्रेम	9. अनन्यता

मानव सम्बन्धों में साम्य मूल्य विश्वास तथा पूर्ण मूल्य प्रेम है। बिना विश्वास के कोई भी सम्बन्ध का निर्वाह संभव नहीं है। सम्बन्धों में विश्वास का निर्वाह न कर पाना ही अन्याय है।

मानव के नैसर्गिक सम्बन्ध तीन प्रकार से गण्य है :–

1. पदार्थावस्था के साथ सम्बन्ध।
2. प्राणावस्था (अन्य, वनस्पति) के साथ सम्बन्ध।
3. जीवावस्था (पशु पक्षी आदि मानवेतर जीवों) के साथ सम्बन्ध।

उपरोक्त संबंधों में उपयोगिता मूल्य दो प्रकार से गण्य है:–

1. परस्पर उपयोगिता पूरकता, उदात्तीकरण के रूप में रचना–विरचना क्रम में उपयोगिता।
2. परमाणु में विकास क्रम में उपयोगिता।

उपयोगिता का स्वरूप निम्न है:–

1. प्राकृतिक सम्पदा (खनिज, वनस्पति) का उसके उत्पादन के अनुपात में उपयोग संतुलन के अर्थ में।
2. प्राकृतिक सम्पदा के उत्पादन में विघ्न न डालना एवं प्राकृतिक सम्पदा के उत्पादन में सहायक बनना। (नैसर्गिक पवित्रता को समृद्ध बनाए रखे बिना, मानव स्वयं समृद्ध नहीं हो सकता।)
3. उत्पादन में न्याय
   (i) प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना।

(ii) प्रत्येक व्यक्ति में आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने योग्य कुशलता व निपुणता को स्थापित करना, जिसका दायित्व शिक्षा–संस्कार समिति को होगा।

(iii) उत्पादन के लिए व्यक्ति में निहित क्षमता योग्यता के अनुरूप उसे प्रवृत करना जिसका दायित्व ''उत्पादन कार्य सलाहकार समिति'' का होगा।

(iv) उत्पादन के लिए आवश्यकीय साधनों को सुलभ करना इसका दायित्व '' सहकारी विनिमय कोष समिति'' का होगा।

(v) उत्पादन कार्य सामान्य आकांक्षी (आहार, आवास, अलंकार) महत्वाकांक्षी (दूर दर्शन, दूर गमन, दूर श्रवण) सम्बन्धी वस्तुओं के रुप में प्रमाणित होना।

(vi) '' उत्पादन कार्य सलाह समिति'' व ''विनिमय कोष समिति'' संयुक्त रुप से सम्पूर्ण ग्राम की उत्पादन सम्बन्धी तादात, गुणवत्ता व श्रम मूल्यों का निर्धारण करेगी।

विनिमय में न्याय:–

1. उत्पादित वस्तु के विक्रय के लिए क्रय आदान–प्रदान सुलभ करना।
2. विनिमय प्रक्रिया प्रथम चरण में, श्रम मूल्य को वर्तमान में प्रचलित प्रतीक मुद्रा के आधार पर मूल्यांकित करने की व्यवस्था रहेगी। जैसे स्थानीय उत्पादन को, जहां उसको बेचना है, उस मंडी की दरों पर आधारित उसका क्रय मूल्य निर्धारित होगा। ग्राम की आवश्यकता के लिए अन्य बाजारों से, वस्तुओं का विक्रय मूल्य, उन बाजारों के क्रय मूल्य पर आधारित होगा।
3. द्वितीय चरण के श्रम के आधार पर प्रतीक मुद्रा को मूल्यांकन करने की व्यवस्था होगी व उसी के आधार पर क्रय विक्रय कार्य सम्पन्न होगा।
4. तृतीय चरण में श्रम मूल्य के आधार पर, वस्तु मूल्य का मूल्यांकन होगा जिसका आधार उपयोगिता व कला मूल्य ही रहेगा व इसी के अनुसार लाभ, हानि, संग्रह मुक्त पद्धति से विनिमय प्रक्रिया संपन्न होगी। अर्थात् विनिमय प्रक्रिया श्रम मूल्य के आदान प्रदान के रूप में सम्पन्न होगी।

''**न्याय सुरक्षा समिति**'' सुरक्षा कार्य को ग्राम वासियों के तन, मन, धन रूपी अर्थ के सदुपयोग के आधार पर क्रियान्वयन करेगा। जैसे :–

1. ग्राम में सुरक्षा.
2. उत्पादन एवं विनिमय सुरक्षा.
3. परिवार सुरक्षा.
4. मानवीय शिक्षा–संस्कार सुरक्षा.
5. स्वास्थ्य संयम सुरक्षा.

6. नैसर्गिक सुरक्षा.
7. संगीत, साहित्य, कला की सुरक्षा.

''**न्याय सुरक्षा समिति**'' ग्राम की सभी प्रकार की सुरक्षाओं के प्रति जागरूक रहेगी।

ग्राम सुरक्षा :–

ग्राम सीमा में निहित भूमि का क्षेत्रफल और उस भू–भाग में निहित वन, खनिज, कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि, जल, जल स्रोत, जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, सामान्य सुविधा आदि कार्य को सदुपयोग के आधार पर सुरक्षित करना ग्राम सुरक्षा का तात्पर्य है।

ग्राम से संबंधित वन क्षेत्र और ग्राम की (सरकारी) भूमि और स्वामित्व की भूमि, ग्राम सभा के अधिकार व कार्य क्षेत्र में रहेगी। यदि कोई वन क्षेत्र व भू–खण्ड, किसी गाँव से सम्बद्ध न हो ऐसी स्थिति में उसको किसी न किसी गाँव से सम्बद्ध करने की व्यवस्था रहेगी। ऐसे ग्राम क्षेत्र की सुरक्षा का दायित्व भी ''**न्याय सुरक्षा समिति**'' का होगा।

उत्पादन और विनिमय सुरक्षा :–

उत्पादन सुरक्षा :–

1. गाँव में जितने भी प्रकार का उत्पादन सम्बन्धी मौलिकताएँ प्रमाणित होंगी उन सबकी सुरक्षा का दायित्व **न्याय सुरक्षा समिति** का होगा। जैसे किसी उत्पादन कार्य में विशेष प्रकार की मौलिकता अथवा मौलिक प्रणाली अथवा मौलिक औजार मौलिक विधि जो परंपरा में नहीं रही है, ऐसी स्थिति में उन सबको सुरक्षित किया जाएगा। इन सबसे सम्बन्धित मूल वाङ्ग्मय, (डिजाइन) चित्रण, नक्शा प्रक्रिया, प्रणाली और विधियों को लिपि बद्ध, सूत्रबद्ध कर सुरक्षित करेगा। आवश्यकता पड़ने पर पुरस्कार की व्यवस्था करेगा।
2. औषधियों का अनुसंधान, वनस्पतियों की पहिचान, ज्योतिष सम्बन्धी अनुसंधान, हस्तरेखा व सामुद्रिक शास्त्र सम्बन्धी साहित्य का अनुसंधान जो परंपरा में नहीं रहा है, उसको उपयोगिता के अनुसार उसकी सुरक्षा का दायित्व ''सुरक्षा समिति'' का होगा।
3. साहित्य, कला, संगीत, शिल्प में परंपरा की श्रेष्ठता का अनुसंधान, जो परंपरा में नहीं थी, ऐसी प्रस्तुति होने की स्थिति में उसका यथावत् संरक्षण करेगा।
4. खेलकूद व्यायाम आदि में परंपरा से अधिक श्रेष्ठता और अनुसंधानों को संरक्षित करेगा।

उपरोक्त कार्य के लिए ''**न्याय सुरक्षा समिति**'' क्रम से ''उत्पादन कार्य सलाहकार समिति'' स्वास्थ्य संयम समिति'' ''शिक्षा संस्कार समिति'' के सहयोग से मूल्यांकन प्रक्रिया सम्पादित करेगा।

विनिमय में सुरक्षा :–

1. श्रम मूल्यों को पहिचानने की दिशा में ''सुरक्षा समिति'' निरंतर सजग रहेगी। एक श्रम मूल्य का आकलन जो कुछ भी ग्राम स्वराज्य स्थापना दिवस में प्रमाणित रहेगा, उसकी गति के प्रति सतर्क रहेगा। निपुणता, कुशलता, कार्य गति, समय व साधन के कुल संयोग से श्रम का मूल्यांकन होगा। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में उत्पादन गति में वृद्धि करे, श्रम मूल्य में कमी और विनिमय में उसकी समृद्धि के अर्थ को सार्थक बनाने का कार्य समिति करेगी।
2. लाभ–हानि के सम्बन्ध में सतर्क रहना। (अनावश्यक लाभ और असहनीय हानि न होने के लिए सतर्क होना) उसके लिए सभी व्यवस्था प्रदान करना।
3. वस्तु की उत्पादकता के आधार पर मूल्यांकन करने में सतर्क रहना व कार्यरूप देना।
4. सभी विनिमय की संभावना को बनाए रखने में सतर्क रहना व प्रोत्साहित करना।

परिवार सुरक्षा :–

1. प्रत्येक परिवार की महिमा और गरिमा को ग्राम से बाह्य वातावरण से दूषित होने से बचाना। प्रचार तंत्र द्वारा भ्रमित करने वाली सभी पक्षों से सम्पूर्ण परिवार को सतर्क करते हुए संरक्षित करना।
2. साहित्य और कला को परिवार राज्य और ग्राम स्वराज्य के अर्थ में प्रदर्शन कार्य के लिए प्रोत्साहन पूर्वक प्रवृत्त करना।
3. परिवार गत अंतर्विरोध की संभावनाओं को दूर करने के रूप में परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना।
4. किसी एक परिवार की श्रेष्ठता को सभी परिवारों में, सुलभ करने के रूप में परिवार को सुरक्षा प्रदान करना।
5. किसी परिवार के साथ आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप से, असाध्य रोग से क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में, उनसे सान्त्वना व सहायता प्रदान करने के रूप में परिवार की सुरक्षा।

शिक्षा संस्कार सुरक्षा :–

1. **न्याय सुरक्षा** समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक ग्रामवासी को मानवीय शिक्षा (व्यवहार शिक्षा व व्यवसाय शिक्षा) ठीक से मिल रही है या नहीं। जो स्कूल छोड़ दिए हैं, स्कूल में नहीं आते हैं, उनके लिए उनके परिवार वालों से मिल जुलकर, शिक्षा संस्कार को सुलभ कराएगी।
2. मानवीय शिक्षा में कहीं से भी व्यतिरेक उत्पन्न होता है तो उसको दूर करने की व्यवस्था करेगी।
3. शिक्षकों का मूल्यांकन करेगी ठीक से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं या नहीं ? समय–समय पर आकर मार्ग दर्शन देगी।

स्वास्थ्य संयम सुरक्षा :-

1. ग्राम वासियों की बुरी आदतें, जैसे सिगरेट, बीड़ी, गाँजा, तम्बाकू जर्दा, शराब, अफीम, चरस, जुवा आदि समाज विरोधी बुरे प्रभावों के निराकरण के प्रति उन्हें जागृत कर सुधारना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।
2. पशु धन की सुरक्षा करना।
3. जान माल की हानि न हो ऐसी व्यवस्था करना।
4. वातावरण में यदि कोई प्रदूषण फैला रहा हो जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको रोकना।

नैसर्गिक सुरक्षा :-

सुरक्षा समिति नैसर्गिक सुरक्षा के लिए निम्न नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी :-

1. गाँव की प्राकृतिक सम्पदा का (खनिज, वनस्पति) उसके अनुपात के रूप में उपयोग करेगी।
2. प्राकृतिक सम्पदा के उत्पादन में, किसी के भी द्वारा विध्न न डालने देना।
3. प्राकृतिक सम्पदा के उत्पादन में सहायक होना, यह सुनिश्चित करना। **(अध्याय: 9, पृष्ठ नंबर: 285-296)**

- **''न्याय-सुरक्षा समिति'' का मूल्यांकन** :-

'' न्याय-सुरक्षा समिति'' का मूल्यांकन निम्न आधारों पर होगा :-

1. आचरण में न्याय सुलभता का मूल्यांकन।
2. व्यवहार में न्याय सुलभता का मूल्यांकन।
3. उत्पादन में न्याय सुलभता का मूल्यांकन।
4. विनिमय में न्याय सुलभता का मूल्यांकन।
5. तन, मन, धन, रूपी अर्थ की सुरक्षा का मूल्यांकन।
6. ग्राम व प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा का मूल्यांकन।
7. उत्पादन एवं विनिमय सुरक्षा का मूल्यांकन।
8. परिवार सुरक्षा का मूल्यांकन।
9. शिक्षा संस्कार सुरक्षा का मूल्यांकन।
10. स्वास्थ्य संयम सुरक्षा का मूल्यांकन।
11. नैसर्गिक सुरक्षा का मूल्यांकन। **(अध्याय: 9, पृष्ठ नंबर: 298-299)**

संदर्भ: मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान

(संस्करण: 2008)

- मानव, परम्परा सहज रूप में बहु–आयामी पहचान प्रवृत्ति वर्तमान है। अस्तित्व ही, सह–अस्तित्व होने के फलस्वरूप पदार्थावस्था ने परिणामानुषंगीय विधि से, विविध तत्वों के रूप में, संतुलन को व्यक्त किया है। प्राणावस्था ने, बीजानुषंगीय विधि से, विविध वनस्पतियों के रूप में संतुलन को व्यक्त किया है। जीवावस्था में वंशानुषंगीय विधि से, अनेक प्रकार की जीव परम्परा ने, संतुलन को व्यक्त किया है। मानव के लिए संस्कारानुषंगीय विधि से, समाधान, समृद्धि, अभय और सह–अस्तित्व को प्रमाणित करना सार्थकता है। इसे स्वराज्य व स्वतंत्रता पूर्वक, मानवीय संस्कृति (सम्बंधों की पहचान, स्थापित शिष्ट मूल्य का निर्वाह), मानवीय सभ्यता (मानव मूल्य व जीवन मूल्यों का वर्तमान में प्रमाणीकरण), विधि (मानवीयता पूर्ण आचारण संहिता) की रक्षा, व्यवसाय आवश्यकता से अधिक उत्पादन सहित (स्वयं व्यवस्था होने में विश्वास और परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था जो – (१) शिक्षा संस्कार (२) **न्याय–सुरक्षा** (३) उत्पादन कार्य (४) विनियम कोष (५) स्वास्थ्य–संयम व्यवस्था में भागीदारी को प्रमाणित करना, मानव परम्परा की सार्थकता है। मानव, परम्परा के रूप में अखंड है। मानवीयता पूर्ण संस्कार परम्परा में, मानवीय शिक्षा संस्कार सार्वभौम है। मानव परम्परा में स्व–राज्य, स्वतंत्रता सार्वभौम है। मानव परम्परा में **न्याय सुरक्षा**, श्रम नियोजन व श्रम विनियम रूपी विनियम कार्य, सार्वभौम प्रमाणित होता है। साथ ही मानव जाति में अखंडता मानव धर्म, इसके अनुसंधान का उद्देश्य, प्रामाणिकता और सर्वतोमुखी समाधान, सार्वभौम है। इसलिए मानव, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में सहज है। **(अध्याय: 5 (5.1), पृष्ठ नंबर: 101)**

- व्यवस्था में **न्याय सुरक्षा** सुलभता, विनिमय कोष सुलभता, उत्पादन कार्य सुलभता, स्वास्थ्य संयम सुलभता और मानवीय शिक्षा संस्कार सुलभता का संयुक्त रूप है। इसी व्यवस्था में जीने की कला, सम्बन्धों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, व्यवस्था में भागीदारी का, संयुक्त रूप में प्रकाशित होना पाया जाता है। यह मानव संस्कृति का मध्य बिंदु है। मानव अपनी संस्कृति को व्यक्त करता है। उस समय आवास, अलंकार, उत्सव, सम्मिलित उत्सव, मानवीयता का प्रकाशन, प्रदर्शन और प्रचार, ये सब प्रधान रूप में रहना स्वाभाविक है। **(अध्याय: 5 (5.21), पृष्ठ नंबर: 140)**

- परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की अक्षुण्णता के लिए मानवीय शिक्षा संस्कार व स्वास्थ्य संयम की अनिवार्यता है। तभी **न्याय सुरक्षा**, उत्पादन कार्य और विनियम कोष कार्य सुचारू रूप में संचालित हो पाता है, यही पाँचों आयाम परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की नित्य गति है। यह समझदारी और जागृति पूर्वक ही सार्थक होना पाया जाता है। मानवीय शिक्षा संस्कार अस्तित्व मूलक, मानव केन्द्रित चिन्तन–ज्ञान सहज उद्यम है, जिससे पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था व ज्ञानावस्था (मनुष्य) का अध्ययन, सह–अस्तित्ववादी विधि से सम्पन्न होता है। स्वास्थ्य संयम का तात्पर्य मानवीयता पूर्ण मानसिकता बनाम मानव संचेतना सहज रूप में, शरीर के द्वारा प्रकाशित, संप्रेषित, अभिव्यक्त होने योग्य शरीर व्यवस्था से है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन समृद्धि के रूप में प्रमाणित होता है। तन–मन–धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा है न्याय के रूप में प्रमाणित होता है। ऐसी स्वराज्य व्यवस्था सहज ही कल्पनाशीलता की संतृप्ति और मानव परम्परा में उसकी पुष्टि सहज है। **(अध्याय:5 (5.21) , पृष्ठ नंबर: 181)**

संदर्भ: मानवीय संविधान सूत्र व्याख्या

(संस्करण:प्रथम, मुद्रण:2007)

- प्रभुसत्ता

1. प्रबुद्धतापूर्ण सत्ता।
2. समझदारी सहित व्यवस्था।
3. प्रबुद्धतापूर्ण शिक्षा–संस्कार, **न्याय–सुरक्षा**, आचरण–व्यवहार, उत्पादन, विनिमय, स्वास्थ्य–संयम व्यवस्था रूपी सत्ता (परंपरा)।
4. प्रामाणिकता व समाधान पूर्ण विचार, समाधान व न्यायपूर्ण व्यवहार, न्याय व नियम पूर्ण आचरण, नियम व नियंत्रणपूर्ण उत्पादन और उपयोगिता सहित पूरक सिद्धि रूपी विनिमय क्रियाओं को करने, कराने और करने के लिए सहमत होने की प्रक्रिया। **(अध्याय: 2, पृष्ठ नंबर: 13)**

- स्वराज्य

1. जागृत मानव परिवार मूलक समाधान–समृद्धि सहज वैभव।
2. मानवीय शिक्षा–संस्कार, **न्याय सुरक्षा**, विनिमय–कोष, उत्पादन–कार्य, स्वास्थ्य संयम सुलभता का अविभाज्य वर्तमान और उसकी परम्परा।
3. मानव चेतना सम्पन्न मानव परंपरा में मानवीय शिक्षा–संस्कार, स्वास्थ्य–संयम, **न्याय–सुरक्षा**, उत्पादन में दिशा और निपुणता, कुशलता, पांडित्य सहित व उत्पादित वस्तु, विनिमय कोष, व्यवस्थाओं का अविभाज्य वर्तमान और उसकी परंपरा वैभव है। **(अध्याय: 2, पृष्ठ नंबर: 19)**

- राष्ट्र

राष्ट्र अपनी सम्पूर्णता में चारों अवस्था व पदों में यथा स्थिति उपयोगिता–पूरकता विधि सहज वैभव है।

तात्विक = अखण्ड समाज सार्वभौम व्यवस्था का संयुक्त स्थिति गति ही राष्ट्र है।

बौद्धिक = जागृत मानव परम्परा, मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान सर्वसुलभ होना, वर्तमान है।

व्यवहारिक = अस्तित्व मूलक मानव केन्द्रित चिन्तन मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्व–वाद–शास्त्र एवं विगत से प्राप्त मानवोपयोगी उत्पादन कार्यों में प्रयुक्त होने का सम्पूर्ण तकनीकी समेत शिक्षा– संस्कार, **न्याय–सुरक्षा**, उत्पादन–कार्य, विनिमय–कोष और स्वास्थ्य–संयम सहित अखण्ड समाज सार्वभौम व्यवस्था रूप में परम्परा का होना। **(अध्याय: 4, पृष्ठ नंबर: 36–37)**

- **प्रभुसत्ता**

  तात्विक = प्रबुद्धता पूर्ण सत्ता ज्ञान विवेक विज्ञान सहज परम्परा सूत्र व्यख्या।

  बौद्धिक = प्रबुद्धता सहज निरंतर प्रमाण सहज सत्ता में जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने का क्रिया।

  व्यवहारिक = प्रबुद्धता पूर्ण मानव परम्परा ही पीढ़ी से पीढ़ी में शिक्षा–दीक्षा संस्कार रुप में सत्ता= अखण्डता सार्वभौमता रुपी वैभव परंपरा।

  प्रभुसत्ता सहज निरन्तरता ही जागृत मानव चेतना सहज परम्परा है। शिक्षा–संस्कार, उत्पादन–कार्य, **न्याय–सुरक्षा**, स्वास्थ्य–संयम, विनिमय –कोष कार्य ही जागृत मानव परम्परा है। (**अध्याय: 4, पृष्ठ नंबर: 38**)

- राष्ट्रीयता

  तात्विक = अखण्ड समाज के अर्थ में सार्वभौम व्यवस्था सहज परम्परा।

  बौद्धिक = मानवीयतापूर्ण शिक्षा–संस्कार **न्याय सुरक्षा** सुलभता।

  व्यवहारिक = सर्व मानव में–से–के लिए मानवीयता पूर्ण आचरण व्यवस्था सहज प्रमाण परम्परा।

  मानव परम्परा में सर्व शुभ कार्य व्यवहार और व्यवस्था क्रम ही सर्व शुभ रूपी समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व सहज प्रमाण सुलभता है।

  राष्ट्र का प्रमाण वर्तमान में सर्वतोमुखी समाधान और निरन्तरता ही राष्ट्रीयता है। (**अध्याय: 4, पृष्ठ नंबर: 38–39**)

- राष्ट्रीय–चरित्र
  - मानवीय शिक्षा–संस्कार सुलभता प्रमाण परम्परा,
  - **न्याय–सुरक्षा** सुलभता प्रमाण परम्परा,
  - उत्पादन–कार्य सुलभता प्रमाण परम्परा,
  - विनिमय–कोष सुलभता प्रमाण परम्परा,
  - स्वास्थ्य संयम सुलभता प्रमाण परम्परा,
  - मानवीयता पूर्व आचरण सुलभता प्रमाण परम्परा,
  - परस्पर निश्चित संबंधों, निश्चित मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन सुलभता प्रमाण परंपरा,
  - परस्पर तृप्ति समाधान–समृद्धि, वर्तमान में विश्वास (अभय), सहअस्तित्व में प्रमाण सहज परम्परा,
  - नैसर्गिक और ऋतु संतुलन सुलभता में भागीदारी परम्परा ही राष्ट्रीय चरित्र है। जागृत मानव परम्परा ही सार्वभौम व्यवस्था सहज विधि से प्राकृतिक संतुलन सहित सूत्र व्याख्या का जिम्मेदार है। (**अध्याय: 4, पृष्ठ नंबर: 39**)

- **न्याय सुरक्षा** का अधिकार

  न्याय–सुरक्षा

  तात्विक = नियति क्रम अर्थात् नियम नियंत्रण संतुलन में जागृति पूर्वक आचरण **न्याय सुरक्षा** है।

नियति क्रम–नियम	नियंत्रण	संतुलन
में	में	में
जागृति	जागृति,	जागृति
प्राकृतिक,	प्राकृतिक	वन,
बौद्धिक,	संतुलन,	खनिज,
सामाजिक	रोगोपचार ,	ऋतु संतुलन
रुप में	भ्रम	धरती में पदार्थ,
सदा समाया	का उन्मूलन	प्राण, जीव, ज्ञान,
समाधान	व समाधान	अवस्थाओं में
		संतुलन समाधान

  बौद्धिक = जागृति सहज प्रमाण परंपरा ही **न्याय सुरक्षा** है।

  व्यवहारिक = ज्ञान–विवेक–विज्ञान सम्पन्नता पूर्वक किया गया कार्य–व्यवहार, परिवार व्यवस्था व समग्र व्यवस्था में भागीदारी सहज रूप में **न्याय सुरक्षा** है। (**अध्याय: 6, पृष्ठ नंबर: 70**)

- ग्राम मोहल्ला में हर मानव में मौलिक अधिकारों का वैभव

  परिवार मूलक स्वराज्य कार्य व्यवस्था स्वरूप

  स्वरूप

  मानवीय शिक्षा संस्कार सुलभता, **न्याय सुरक्षा** सुलभता, उत्पादन कार्य सुलभता, विनिमय कोष सुलभता, स्वास्थ्य संयम सुलभता, यही सार्वभौम व्यवस्था स्वरूप अखण्ड समाज के अर्थ में ही सार्थक होता है। (**अध्याय: 6, पृष्ठ नंबर: 95**)

- मानवीय शिक्षा–संस्कार, **न्याय–सुरक्षा**, उत्पादन कार्य सुलभता, विनिमय–कोष सुलभता, स्वास्थ्य–संयम सुलभता, यही प्रधानत: कार्य सहज उद्देश्य–दायित्व–कर्तव्य है। इनमें समानाधिकार है। (**अध्याय:6 , पृष्ठ नंबर: 97**)

- **परिवार सभा का स्वरूप :–**

  दस समझदार मानव जिसमें हर नर–नारी सह–अस्तित्व सहज समझदारी–ईमानदारी–जिम्मेदारी–भागीदारी में समानता, जिसका अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन करने में समान अधिकार सम्पन्न परिवार है।

  शिक्षा संस्कार कार्य व्यवस्था, **न्याय सुरक्षा कार्य व्यवस्था**, परस्परता में उत्पादन कार्य व्यवस्था, आवश्यकता से अधिक उत्पादन कार्य व्यवस्था, विनिमय कार्य व्यवस्था–श्रममूल्य के आधार पर लेन–देन रूप में विनिमय कार्य व्यवस्था, स्वास्थ्य संयम कार्य व्यवस्था सहज समान कर्तव्य दायित्व अधिकार रहेगा।

  अस्तित्व में इकाइयों के होने का प्रमाण सर्वतोमुखी प्रतिबिम्ब है। परस्पर पहचान ही प्रक्रिया प्रमाण है।

  परस्परता में पहचान कार्य–व्यवहार का आधार है एवं प्रेरणा सहित कर्तव्य व दायित्व सूत्र व्याख्या है। पूरकता उपयोगिता सहज प्रमाण है।

  नेत्रों में प्रतिबिंबित उद्धृत दृश्य स्थिति गति रूप में समाती है। जबकि बिंब का प्रतिबिंब भी आंखों में समाती है। गुण, स्वभाव, धर्म समझ में आता है। अध्ययन पूर्वक शोध विधि से समझ में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म समाया रहता है यही समझदारी है। **(अध्याय: 7, पृष्ठ नंबर: 100–101)**

- व्यवस्था के कार्यक्रम (समितियाँ)
  1. शिक्षा–संस्कार कार्य–व्यवस्था समिति
  2. सार्वभौम **न्याय–सुरक्षा** कार्य–व्यवस्था समिति
  3. उत्पादन–कार्य–व्यवस्था समिति
  4. विनिमय–कोष कार्य–व्यवस्था समिति
  5. स्वास्थ्य–संयम कार्य–व्यवस्था समिति **(अध्याय: 7, पृष्ठ नंबर: 101)**

- **सार्वभौम न्याय सुरक्षा व्यवस्था समिति (अध्याय: 7, पृष्ठ नंबर: 107–136)**

  सर्वमानव स्वीकृति स्थिति व विधि जो अखण्ड समाज रूप में सार्वभौमता पूर्ण व्यवस्था सहज प्रमाण है।

  ❖ सार्वभौमता मानव सहज जागृति है। चारों अवस्थाओं के साथ समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी पूर्वक जीना सार्वभौमता है।

  ❖ जागृत चेतना ही मानव चेतना है यह सार्वभौम है।

  ❖ जागृत चेतना ही मानव परंपरा में ज्ञान–विवेक–विज्ञान सहज विधि से जिम्मेदारी, भागीदारी के रूप में स्पष्ट है।

  ❖ सार्वभौमतापूर्ण व्यवस्था परंपरा ही मानव सहज वैभव है।

❖ मानवीयता पूर्ण परंपरा ही जागृत परम्परा है, जिसमें –

मानवीयतापूर्ण व्यवहार कार्य–शिक्षा संस्कार ज्ञान–विवेक–विज्ञान गति पूर्वक नित्य वैभव है।

मानवीयतापूर्ण–व्यवस्था दस सोपानीय गति में नित्य वैभव है।

मानवीयतापूर्ण–संविधान सहअस्तित्व सहज गति प्रतिष्ठा है।

मानवीयतापूर्ण–आचरण–मूल्यांकन परस्परता में –संविधान की धारक–वाहकता है।

मानवीयतापूर्ण–संस्कृति–समाज गति में स्पष्ट है।

मानवीयतापूर्ण–सभ्यता–व्यवस्था गति में स्पष्ट है।

(1) न्याय

सम्बन्धों सहज अनुबन्ध मूल्य निर्वाह करने में प्रतिज्ञा उपयोगिता–पूरकता विधि से पहचान, मूल्यों का निर्वाह फलस्वरूप मानव सम्बन्धों में परस्पर तृप्ति, मानवेत्तर–प्रकृति सहज संबंधों में संतुलन, अखण्ड समाज दस सोपानीय व्यवस्था, सार्वभौम – सर्व मानव स्वीकृत अथवा स्वीकृति योग्य है।

सहअस्तित्व सम्बन्ध

भौतिक–रासायनिक–जागृत–जीवन क्रिया का सम्बन्ध पूर्वक मानव सम्बन्ध सार्थक प्रयोजन सहज गति है।

(2) सुरक्षा

जागृत मानव सहज तन–मन–धन रुपी अर्थ का सदुपयोग विधि से ही सुरक्षा प्रमाणित होता है। हर नर–नारी जागृति पूर्वक अखण्ड समाज, सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या परंपरा में होना सार्वभौम **न्याय सुरक्षा** है।

(3) न्याय–सुरक्षा–सार्थकता मूल्यांकन–विधि

1. सहअस्तित्व में हर मानव जागृति सहज वर्तमान ही ज्ञान–सम्मत इच्छा–क्रिया व व्यवहार प्रमाण न्याय सुरक्षा है।
2. सहअस्तित्व में जागृति सहज प्रमाण परंपरा ही सम्बन्ध, मूल्य, मूल्यांकन, परस्पर तृप्ति सन्तुलन न्याय सुरक्षा है।
3. सहअस्तित्व में–से–के लिए विकास क्रम, भौतिक–रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया–कलाप, जीवनी क्रम जागृति क्रम, भ्रमित मानव क्रिया, जागृति मानव चेतना सहज मानव व्यवहार कार्य को समझने के उपरान्त ही दृष्टा–पद प्रमाणित होता है।

4. सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान
जीवन–ज्ञान
मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान
} → सम्पूर्ण ज्ञान

अनुभव मूलक विधि से अभ्युदय के अर्थ में प्रमाणित होना ही सत्य प्रमाण है। यही विवेक–विज्ञान सम्मत विधि से सर्वतोमुखी समाधान ही मानव धर्म का प्रमाण, अखण्ड समाज सूत्र के अर्थ में सार्वभौम व्यवस्था सहज परंपरा ही सम्बन्ध, मूल्य, मूल्यांकन विधि से न्याय सुरक्षा प्रमाणित होता है। यही जागृत परंपरा का वैभव है।

(4) न्याय–सुरक्षा

1. जागृत मानव परंपरा में ही सर्वतोमुखी न्याय सुरक्षा प्रमाणित होता है। सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व में न्याय जागृति सहज नित्य वर्तमान है। यही जागृत होने, ज्ञान शक्ति संपन्न होने का प्रमाण और सार्वभौम व्यवस्था में प्रमाणित होने का सूत्र, दृष्टा–पद प्रतिष्ठा पीढ़ी से पीढ़ी में होना परंपरा है।
2. दृष्टा पद में जागृत मानव ही है। दृष्टा पद में समझदारी (ज्ञान–विवेक–विज्ञान सम्पन्नता) जागृति प्रमाण परंपरा है।
3. दृष्टा–पद में ही मानव में–से–के लिए सम्पूर्ण पदार्थावस्था मृदा–पाषाण–मणि–धातुएं परिणामानुगामी विधि से यथा स्थिति में पूरकता–उपयोगिता उदात्तीकरण क्रिया कलाप में दृष्टव्य है।
4. सम्पूर्ण प्राणावस्था में क्रिया–कलाप यौगिक विधि सहित रसायन द्रव्य, प्राण–सूत्र–रचना–विधि सम्पन्नता, प्राण–कोशा से उन प्रजातियों के रूप में बीज–वृक्ष विधि से परम्परा सम्पन्न रचनायें होना दृष्टव्य है।
5. सम्पूर्ण जीव–संसार अनेक प्रजातियों के रूप में सप्त धातु से सम्पन्न शरीर–रचना और समृद्ध मेधस सम्पन्नता युक्त शरीर रचना और जीने की आशा सहित जीवन का संयुक्त रूप में होना दृष्टव्य है। जिन जीवों में मानव संकेत ग्रहण होता है यह जीवन का पहचान है।

   सम्पूर्ण मानव ज्ञान सम्पन्नता में होना हर जागृत मानव में–से–के लिये दृष्टव्य–ज्ञातव्य कर्तव्य बोध होना पाया जाता है। फलस्वरूप न्याय व सुरक्षा सर्व सुलभ होता है।

न्याय–सुरक्षा

1. पूर्ण जागृति सम्पन्न मानव सर्वदेश व काल में सम्पूर्ण आयाम–कोण–परिप्रेक्ष्यों में न्याय–सुरक्षा, कार्य–व्यवहार, सोच विचार करता, कराता है, करने के लिए सहमत रहता है।
2. जागृति के अनन्तर ही हर नर–नारी में–से–के लिए न्याय सुरक्षा सहज आवश्यकता सहअस्तित्व विधि से स्वीकृत रहता है, व्यवहार में प्रमाणित होता है।

3. जागृत मानव लक्ष्य के साथ संपूर्ण आवश्यकतायें आवश्यकता से अधिक संभावनाएं सूत्रित रहना पाया जाता है। यह शिक्षा विधि से हर मानव समझना सहज है।
4. अनुभव मूलक विधि से जागृति प्रमाणित होती है। समझ में–से–के लिये अनुभव होता है। समझ अध्ययन–विधि से बोध गम्य होता है। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन बोध, जीवन बोध, दृष्टा रूप में मानवीयता पूर्ण आचरण बोध पूर्वक अनुभव सहित प्रमाणित होने की प्रवृतिवश अनुभव होना प्रमाणित होता है। फलस्वरूप मानव–लक्ष्य, जीवन–मूल्य सार्थक होता है। इससे मानव–लक्ष्य–परंपरा में प्रमाणित होना परम आवश्यकता, स्वयं स्फूर्त विधि से अखण्ड समाज सहज कार्यक्रम परंपरा प्रमाणित होता है। यही जागृत मानव परंपरा है। फलस्वरूप न्याय–सुरक्षा फलित होता है।

न्याय–सुरक्षा

1. हर मानव जागृति पूर्वक जीने के क्रम में न्याय प्रमाणित होता ही है। ऐसे नर–नारियों की परस्परता में न्याय–सुरक्षा सुरक्षित रहता है क्योंकि मानवीयतापूर्ण आचरण जागृति का प्रमाण है जिसके फलन में न्याय–सुरक्षा वर्तमान रूप में सफल होता है।
2. जागृत मानव में–से–के लिए सहअस्तित्व प्रमाणित होना और 'जीवन' ही दृष्टा–पद में होने का साक्ष्य सदा बना रहता है।

   'जीवन' जागृति पूर्वक दृष्टा–पद प्रतिष्ठा होता है।

   हर जागृत नर–नारी न्याय–सुरक्षा कार्य में भागीदारी करने का प्रमाण ही परंपरा सहज सूत्र है।

   जागृत मानव सहज कार्य–व्यवहार व्याख्या ही सर्वतोमुखी समाधान प्रमाण और वर्तमान परंपरा है।

   जागृत मानव परंपरा ही अखण्ड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, विधि–विधान नीति सहज स्थिति गति है।

   ''समुदाय समाज नहीं, समाज समुदाय नहीं ''

   (हर समुदाय दूसरे समुदाय से मतभेद–बैर–विरोध पूर्वक ही समुदाय अपने में पहचान है।)

   अखण्ड समाज व्यवस्था में भागीदारी ही सार्वभौमता और न्याय सुरक्षा है।

न्याय–सुरक्षा

1. सर्व मानव, चारों अवस्थाओं की परस्परता में होना दृष्टव्य है। यही सहअस्तित्व सहज नित्य प्रभावी, प्रमाण व वर्तमान है।
2. हर अवस्था में वैभव रत हर एक–एक अपने 'त्व' व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी सहित उपयोगिता, पूरकता, उदात्तीकरण सहज प्रमाण व वर्तमान है।

3. सहअस्तित्व में पदार्थावस्था परिणामानुषंगीय यथा स्थिति सहज क्रिया के रूप में, प्राणावस्था बीजानुषंगीय विधि से यथा स्थिति में होना, जीवावस्था सहज वैभव वंशानुषंगीय विधि रूप में होना और ज्ञानावस्था में मानव संस्कारानुषंगीय व्यवस्था अर्थात् ज्ञान–विवेक–विज्ञान सम्पन्नता पूर्वक व्यवस्था सहज प्रमाण व वर्तमान है। अस्तु, जागृति पूर्वक अखण्ड समाज, सार्वभौम व्यवस्था यही समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाणित होता है। मानव परंपरा में 'न्याय' सदा–सदा समीचीन है।

(5) न्याय का स्वरूप

मानव सम्बन्धों में निहित मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन, परस्परता में समाधान, समृद्धि, अभय (वर्तमान में विश्वास), सहअस्तित्व सहज आचरण प्रमाण और निरन्तरता ही वैभव न्याय सहज स्वरूप है।

मानवेत्तर अर्थात् जीव, वनस्पति, पदार्थ संसार के साथ नियम–नियंत्रण पूर्वक संतुलन और निरन्तरता ही नित्य वैभव स्वरूप है।

अखण्ड समाज व सार्वभौम व्यवस्था सूत्रित व्याख्यायित रहना न्याय का स्वरूप है।

समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी व भागीदारी सहज परंपरा न्याय का स्वरूप है।

(6) आचरण में न्याय

मानवीयता पूर्ण आचरण

पुत्र–पुत्री का माता–पिता के साथ विश्वास निर्वाह निरंतरता:–गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, सरलता, सौम्यता, अनन्यता भावपूर्वक वस्तु व सेवा अर्पण–समर्पण रूप में

माता–पिता का पुत्र–पुत्री के साथ विश्वास निर्वाह निरंतरता:– ममता, वात्सल्य, प्रेम, आदर, सहजता, अनन्यता भावपूर्वक वस्तु व सेवा अर्पण–समर्पण रूप में

गुरु शिष्य के साथ विश्वास निर्वाह निरंतरता :– प्रेम, वात्सल्य, ममता, अनन्यता, सहजता, आदर भावपूर्वक प्रबोधन प्रक्रिया सहित वस्तु व सेवा अर्पण–समर्पण रूप में

शिष्य गुरु के साथ विश्वास निर्वाह निरंतरता :– गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, सरलता, सौजन्यता, अनन्यता भावपूर्वक जिज्ञासा सहित वस्तु व सेवा अर्पण–समर्पण रूप में

बहन–भाई भाई–बहन के साथ विश्वास निर्वाह निरंतरता :– सम्मान, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, सौहर्द्रता, सरलता, सौजन्यता, अनन्यता भावपूर्वक वस्तु व सेवा अर्पण–समर्पण रूप में

मित्र मित्र के साथ विश्वास निर्वाह निरंतरता :– स्नेह, प्रेम, सम्मान, निष्ठा, अनन्यता, सौहर्द्रता भावपूर्वक वस्तु व सेवा अर्पण–समर्पण रूप में

साथी सहयोगी के साथ विश्वास निर्वाह निरंतरता:– स्नेह, सौजन्यता, निष्ठापूर्वक वस्तु व सेवा प्रदान रूप में

सहयोगी साथी के साथ विश्वास निर्वाह निरंतरता :– गौरव, सम्मान, कृतज्ञता, सौहर्द्रता, सौम्यता, सरलता भावपूर्वक वस्तु व सेवा अर्पण–समर्पण रूप में

पति पत्नी के साथ विश्वास निर्वाह निरंतरता :– स्नेह, गौरव, सम्मान, प्रेम, निष्ठा, सौहर्द्रता, अनन्यता पूर्वक सद् चरित्रता सहित वस्तु व सेवा अर्पण–समर्पण रूप में

पत्नी पति के साथ विश्वास निर्वाह निरंतरता :– स्नेह, गौरव, सम्मान, प्रेम, निष्ठा, सौहर्द्रता, अनन्यता पूर्वक सद् चरित्रता सहित वस्तु व सेवा अर्पण–समर्पण रूप में

ये सभी स्वयं स्फूर्त–विधि से व्यवस्था व समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में है।

उक्त सम्बन्धों के सदृश्य मामा–चाचा–भाई–मित्र और मामी–चाची–बहन–सहेली के रूप में पहचान सम्बोधन दूर–दूर तक अथवा इस धरती के सम्पूर्ण मानव पर्यन्त सम्बोधन सहज है। यह सामाजिक अखण्डता सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में सार्थक है।

सम्बन्धों की पहचान के साथ ही निर्वाह प्रवृत्ति उदय होती है।

(7) आचरण–व्यवहार–कार्य

मानवीयता पूर्ण आचरण ही सम्पूर्ण विधाओं में न्याय सहज स्रोत है।

जागृत मानव ही मानवीयता पूर्ण आचरण में–से–के लिए प्रमाण है।

परंपरा सहज परस्परता में हर नर–नारी प्रमाण होना पाया जाता है।

- सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन – ज्ञान (अनुभव)
- चैतन्य इकाई रूपी जीवन – ज्ञान (अनुभव)
- मानवीयता पूर्ण आचरण सहित – ज्ञान (अनुभव)
- मानव–लक्ष्य, जीवन–मूल्य सहज विवेचना रूपी – विवेक

लक्ष्य को प्रमाणित करने तर्क संगत

दिशा निश्चयन रूपी – विज्ञान सम्पन्नता सहित

जीवन–मूल्य, मानव–मूल्य,

स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य – सम्बन्धों सहित

मानव परंपरा

वस्तु मूल्य को नियम–नियंत्रण – सम्बन्धों में प्रमाणित

संतुलन विधि पूर्वक जीव–प्राण– कायिक–वाचिक,

पदार्थ वैभव को संतुलित बनाए मानसिक विधि से

रखते हुए स्थापित करना करना, कराना, करने के लिए सहमत होना है।

सम्पूर्ण तर्क नियम, नियंत्रण, सन्तुलन, न्याय, धर्म, समाधान, सत्य सहज अध्ययन, अनुभव, प्रमाण वर्तमान में–से–के लिए कारण, गुण, गणित विधि से भाषा प्रयोग

(8) व्यवहार में न्याय

मानवीयता पूर्ण आचरण पूर्वक कार्य–व्यवहार में हर जागृत मानव प्रमाण है। हर जागृत मानव परस्पर सम्बन्धों की पहचान सहित व्यवहार करता है।

1. सम्बन्धों में पहचान व निर्वाह निरन्तरता –न्याय है।
2. सम्बन्धों में निहित मूल्य –न्याय है।
   निर्वाह–निरन्तरता
3. सम्बन्धों में मूल्य सहज पहचान, –न्याय है।
   निर्वाह निरन्तरता सहित मूल्यांकन,

   परस्परता में मानवत्व सहज सिद्धांत –न्याय है।
   स्वीकृति, अनुभूति, तृप्ति सहज निरन्तरता
4. हर मानव सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन –न्याय है।
   ज्ञान संपन्न होना रहना
5. जागृत परंपरा पीढ़ी से पीढ़ी में –न्याय है।
   सुलभ होना

6. पीढ़ी से पीढ़ी में मानवीयता पूर्ण आचरण सुलभ होना – न्याय है।
7. सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व ज्ञान सर्वसुलभ होना – न्याय है।
8. परंपरा में जीवन ज्ञान सुलभ होना – न्याय है।
9. मानव परंपरा में अखण्ड समाज ज्ञान सुलभ होना, सार्वभौम व्यवस्था ज्ञान सुलभ होना – न्याय है।
10. मानव परंपरा में सार्वभौम व्यवस्था ज्ञान सर्वसुलभ होना – न्याय है।
11. चेतना विकास मूल्य शिक्षा रूप में परंपरा में मानवीय शिक्षा संस्कार सुलभ होना – न्याय है।
12. परंपरा में सुरक्षा सुलभ होना – न्याय है।
13. परंपरा में तन–मन–धन रूपी अर्थ का सदुपयोग व मूल्यांकन सुलभ होना – न्याय है।
14. परंपरा में हर परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन सुलभ होना – न्याय है।
15. परंपरा में श्रम मूल्य के आधार पर विनिमय सुलभ होना – न्याय है।

व्यवहार परम्परा में न्याय

1. परंपरा में यथार्थता सुलभ रहना न्याय है।
2. परम्परा में वास्तविकता सुलभ रहना न्याय है।
3. परम्परा में सत्यता सुलभ रहना न्याय है।
4. परंपरा में स्थिति सत्य बोध सुलभ रहना न्याय है।
5. परंपरा में वस्तुगत सत्य बोध सुलभ रहना न्याय है।
6. परंपरा में सहअस्तित्व सहज प्रमाण सुलभ रहना न्याय है।
7. परंपरा में सहअस्तित्व में विकास–क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति बोध सुलभ रहना न्याय है।

8. परंपरा में जीवन सहज प्रयोजन, शरीर सहज आवश्यकता स्पष्ट रहना न्याय है।
9. परंपरा में जागृत मानव स्वभाव सुलभ रहना न्याय है।
10. परंपरा में सर्वतोमुखी समाधान सुलभ रहना न्याय है।
11. परंपरा में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व सुलभ व प्रमाणित रहना न्याय है।
12. परंपरा में अखण्ड समाज सहज अर्थ में सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित रहना न्याय है।
13. परंपरा में स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार सहज स्वराज्य प्रमाणित रहना न्याय है।
14. परंपरा में परिवार मूलक स्वराज्य वैभव सुलभ रहना न्याय है।
15. परंपरा में जागृति सहज वैभव सुलभ रहना न्याय है।
16. परंपरा में मानवत्व प्रमाण रूप में वर्तमान रहना न्याय है।
17. परंपरा में परिवारों में स्वास्थ्य–संयम सुलभता रहना न्याय है।
18. परंपरा में मानवीयता पूर्ण आचरण, जागृति पूर्वक व्यवहार किया जाना ही न्याय है।
19. परंपरा में अनुभव मूलक, शिक्षा–दीक्षा, दीक्षान्त (परम्परागत) विवाहोत्सव कार्यक्रम न्याय और स्वतंत्रता है।
20. परंपरा में विवाहोत्सव में परस्पर जागृत होने रहने का सत्यापन सहज प्रमाण, व्यवस्था में जीने का संकल्प सहित दाम्पत्य स्वीकृति न्याय है।
21. परंपरा में ऋतु–काल–संतुलन उत्सव न्याय है।
22. परंपरा में मानव संस्कृति–सभ्यता, विधि–व्यवस्था और व्यवस्था सहज आयोजनोत्सव न्याय है।

(9) उत्पादन कार्य में न्याय

हर परिवार में आवश्यकता से अधिक तादात में उत्पादन, उत्पादन का स्रोत मनुष्य द्वारा मनुष्येत्तर प्रकृति में संतुलन जिसकी पूरकता, उपयोगिता, उदात्तीकरण प्रणाली वर्तमान रहे, इन तथ्यों पर जागृत रहते हुए उत्पादन कार्य में हर परिवार का स्वावलम्बी रहना आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन सहज प्रमाण भी न्याय है।

हर परिवार में सामान्य व महत्वाकाँक्षा सम्बन्धी वस्तुओं की आवश्यकता निर्धारित होती है। इसी क्रम में दस सोपानीय आवश्यकतायें व्यवस्था में आवश्यकतायें उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता स्पष्ट हो जाती है। यह न्याय है।

1. शरीर पोषण–संरक्षण व समाज–गति के लिये आवश्यकीय वस्तुओं का उत्पादन करना न्याय है।
2. हर परिवार द्वारा आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना न्याय है।
3. कृषि–पशुपालन रत परिवार में पानी उपचार का संरक्षण एवं फसल का उपचार (फसल संरक्षण), बीज खाद स्वायत्तता का होना न्याय है।

4. कृषि–पशुपालन कार्यरत हर परिवार अपने से उत्पादित वस्तुओं का श्रम नियोजन व उपयोगिता के आधार पर मूल्यांकन करना व विनिमय करना न्याय है।
5. जागृत मानव परिवार में ही स्वायत्तता, स्वतंत्रता, समाधान सहित आवश्यकता से अधिक उत्पादन रूप में स्वावलम्बन समृद्धि सहज रुप में प्रमाणित होना न्याय है।
6. कृषि–पशुपालन के साथ हस्त कला, ग्राम शिल्प, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग मानवीयता पूर्ण कला साहित्य सर्जन–सम्प्रेषणा में अधिकार सम्पन्नता न्याय है।
7. समझदारी सहित कृषि–पशुपालन पूर्वक समाधान, समृद्धि का प्रमाण होना न्याय है।
8. कृषि–पशुपालन रत हर परिवार जन का निपुणता–कुशलता–पांडित्य सम्पन्न रहना न्याय है।
9. कृषि–पशुपालन रत हर परिवार परंपरा को बनाये रखना न्याय है।
10. सामान्य व महत्वाकाँक्षी उत्पादन सेवा रत हर नर–नारी अपने श्रम मूल्य का मूल्यांकन करना न्याय है।
11. मूल्यांकन परिवार से परिवार समूह, परिवार समूह से ग्राम मोहल्ला, ग्राम मोहल्ला से विश्व परिवार तक समन्वय, संतुलन प्रमाण न्याय है।

उत्पादन कार्य में न्याय

1. सभी ग्राम–परिवार में–से–के लिए आवश्यकता में से के लिए सामान्य आकाँक्षा संबंधी वस्तुओं को आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना और औषधि सम्बन्धी जड़ी बूटियों को उपजाना न्याय है।
2. उत्पादित वस्तुओं का मूल्यांकन ग्राम मोहल्ला–व्यापी समन्वित रूप में होना न्याय है।
3. परिवार में किया गया मूल्यांकन परिवार समूह में समन्वित होना न्याय है।
4. सभी समन्वित मूल्यांकन ग्राम–परिवार–सभा में समन्वित होना न्याय है।
5. समन्वित मूल्यांकन सम्पन्न हर ग्राम, ग्राम–समूह–सभा के साथ समन्वित होना न्याय है।
6. हर ग्राम–समूह–सभा मूल्यांकन विधा से समन्वित रहते हुए क्षेत्र–सभा में समन्वित रहना न्याय है।
7. हर क्षेत्र परिवार सभा में मूल्यांकन विधा से समन्वित रहते हुए मण्डल–परिवार–सभा में समन्वित रहना न्याय है।
8. समन्वित मूल्यांकन सम्पन्न हर मण्डल परिवार–सभा, मण्डल–समूह–सभा के साथ समन्वित रहना न्याय है।
9. मुख्य राज्य सभा मूल्यांकन सहित मंडल सभा परिवार सभा के साथ समन्वित रहना न्याय है।
10. समन्वित मूल्यांकन सम्पन्न मुख्य राज्य सभायें, प्रधान राज्य–परिवार–सभा के साथ समन्वित रहना न्याय है।
11. समन्वित मूल्यांकन सम्पन्न सभी प्रधान राज्य–सभायें विश्व राज्य –सभा के साथ समन्वित रहना न्याय है।
12. विश्व परिवार सभा सहज मूल्यांकन दसों सोपानों के साथ समन्वित रहना न्याय है।

उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन न्याय (मूल्यांकन)

परिवार में उपयोग, सार्वभौम–दस सोपानीय अखण्ड समाज में सदुपयोग, व्यवस्था में प्रयोजन है।

1. वस्तुओं का सदुपयोग करना, कराना, करने के लिए सहमत होना न्याय है।
2. वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना, कराना, करने के लिए सहमत होना न्याय है।
3. उत्पादन सुगमता के लिए शोध पूर्वक प्रमाणित करना न्याय है।
4. उत्पादन में गति व गुणवत्ता में वृद्धि को प्रमाणित करना न्याय है।
5. जागृत परिवार में आवश्यकतायें सीमित होना न्याय है।
6. वस्तुओं का उपयोग शरीर पोषण –संरक्षण के अर्थ में न्याय है।
7. वस्तुओं का सदुपयोग अखण्ड समाज के अर्थ में मानवीयता पूर्ण संस्कृति–सभ्यता–सहज गति के रूप में होना न्याय है।
8. वस्तुओं का प्रयोजन सार्वभौम दस सोपानीय व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में नियोजन है। यह प्रमाणित होना न्याय है।
9. हर जागृत मानव परिवार उपयोग–सदुपयोग–प्रयोजनीयता विधि पूर्वक समृद्धि का प्रमाण है। यह न्याय है।

(10) संस्कृति–संस्कार में न्याय

- अखण्ड समाज के अर्थ में मूल्यों को प्रमाणित करना न्याय है।
- सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी मूल्यों का प्रमाण न्याय है।
- मानवीयतापूर्ण आचरण मूल्यों का प्रमाण न्याय है।
- गठनपूर्णता सहज जीवन क्रियापूर्णता के अर्थ में कायिक–वाचिक–मानसिक, कृत–कारित–अनुमोदित विधियों से की गई सम्पूर्ण कृतियाँ, मानव संस्कृति–सभ्यता सहज रुप में न्याय है।

1. सहअस्तित्व विधि से मानवत्व सहित जीना संस्कृति न्याय है।
2. अखण्ड समाज–सूत्र–व्याख्या रूप में जीना सभ्यता सहज न्याय है।
3. स्वयं में ज्ञान–विवेक–विज्ञान रूप में व्यवस्था सहज विधि से रूप जीना न्याय है।
4. जानना–मानना–पहचानना–निर्वाह करना के रूप में जीना न्याय है।
5. सर्वतोमुखी समाधान सूत्र व्याख्या में जीना न्याय है।
6. मानवीयता पूर्ण सूत्र व्याख्या में जीना न्याय है।
7. दस सोपानीय व्यवस्था सूत्र व्याख्या में जीना न्याय है।
8. समाधान–समृद्धि–अभय–सहअस्तित्व सूत्र व्याख्या में जीना न्याय है।
9. स्वयं में विश्वास सूत्र व्याख्या में जीना न्याय है।

10. श्रेष्ठता का सम्मान–सूत्र–व्याख्या में जीना न्याय है।

11. प्रतिभा सहज सूत्र–व्याख्या में जीना न्याय है।

12. मानवीयता पूर्ण व्यक्तित्व सहज सूत्र व्याख्या में जीना न्याय है।

13. मूल्य चरित्र नैतिकता सूत्र–व्याख्या में जीना न्याय है।

14. आवश्यकता से अधिक उत्पादन कार्य का नियम–नियंत्रण–संतुलन सूत्र व्याख्या में जीना न्याय है।

15. जागृति सहज प्रमाण में–से–के लिये समाधानात्मक सूत्र व्याख्या के रूप जीना न्याय है।

16. संस्कृति सभ्यता को, सभ्यता विधि को, विधि व्यवस्था को, व्यवस्था संस्कृति को अनुप्राणित करता हुआ सूत्र व्याख्या के रूप में जीना न्याय है।

17. मानवीय चेतना सहज शिक्षा से अनुप्राणित शिक्षा–दीक्षा, शिक्षा–दीक्षा से संविधान, संविधान से व्यवस्था, व्यवस्था से आचरण सूत्र व्याख्या रूप में जीना न्याय है।

18. हर नर–नारी समझदारी–ईमानदारी–जिम्मेदारी–भागीदारी सहज सूत्र व्याख्या के रूप में जीना न्याय है।

(11) विनिमय में न्याय

तात्विक रूप में परिभाषा विनिमय :– नियम–नियंत्रण–संतुलन पूर्वक उत्पादित वस्तुओं का उपयोगिता–पूरकता विधि से आदान–प्रदान समाधान एवं न्याय है।

बौद्धिक रूप में परिभाषा विनिमय :– विकास व जागृति संगत उपयोगिता पूरकता सहज निरन्तरता में–से–के लिए नियम–नियन्त्रण–सन्तुलन विधि से उत्पादित वस्तुओं का श्रम मूल्य के आधार पर आदान–प्रदान समाधान एवं न्याय है।

व्यवहारिक रूप में परिभाषा विनिमय :– श्रम नियोजन, उपयोगिता प्रमाण, मूल्यांकन उपयोगिता के आधार पर श्रम मूल्य का आदान–प्रदान समाधान एवं न्याय है।

प्रणाली :– दस सोपानीय व्यवस्था में श्रम मूल्य का मूल्यांकन सामान्यीकरण परंपरा समाधान एवं न्याय है।

पद्धति :– विनिमय–कोष परंपरा एवं कोषों के परस्परता में समन्वयता समाधान एवं न्याय है।

नीति :– दस सोपानीय परिवार–सभा में समन्वय निश्चयन परंपरा समाधान एवं न्याय है।

प्रयोजन :– लाभ–हानि मुक्त विनिमय और प्रत्येक परिवार में समृद्धि सहज प्रमाण, ज्यादा–कम से मुक्ति समाधान एवं न्याय है। समृद्धि ज्यादा–कम से मुक्ति है।

विनिमय में न्याय

1. हर जागृत मानव–परिवार सहज आवश्यकता की पहचान न्याय है।
2. हर जागृत मानव परिवार में सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना न्याय है।
3. जागृत मानव परिवार में उत्पादित वस्तुओं का मूल्यांकन (श्रम+उपयोगिता = वस्तु मूल्य) करना न्याय है।
4. जागृत मानव–परिवार में उत्पादित वस्तुओं का श्रम, उपयोगिता के आधार पर विनिमय करना न्याय है।
5. श्रम–शीलता को निपुणता–कुशलता–पांडित्य के रूप में स्वीकार करना न्याय है।
6. निपुणता–कुशलता पूर्वक श्रम–नियोजन की स्वीकृति पाण्डित्य सहज विधि से मूल्यांकन करना न्याय है।
7. पांडित्य पूर्वक किया गया मूल्यांकन होने की स्वीकृति व प्रक्रिया न्याय है।
8. मूल्यांकन पूर्वक समाधानित रहने का प्रमाण न्याय है।
9. सामान्य आकाँक्षा सम्बन्धी वस्तुओं को पाकर समृद्धि का, महत्वाकाँक्षा सम्बन्धी वस्तुओं को आवश्यकता के अनुरूप पाकर समाज गति में सदुपयोग सहज प्रमाण रूप में सत्यापन करना न्याय है।

(12) स्वावलंबन आत्मनिर्भरता (समाधान) में न्याय

1. हर मानव जागृत परंपरा में अनुभव व अनुभव सहज प्रमाण क्रिया के रूप में प्रतिष्ठा है।
2. अनुभव ही प्रमाण परम है। यही समाधान है।
3. अनुभव मूलक विधि से ही आत्म–निर्भरता सहज सूत्र व्यवस्था स्पष्ट है।
4. सहअस्तित्व में अनुभव होना जागृत मानव परंपरा में समाधान वैभव है।
5. अनुभव पूर्वक ही हर नर–नारी समझदारी–ईमानदारी–जिम्मेदारी–भागीदारी करना प्रमाण है। यही आत्म–निर्भरता है। यही न्याय है।
6. समझदारी के आधार पर विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत विवेक पूर्वक हर नर–नारी समाधान सम्पन्न होते हैं। तभी उत्पादन से स्वावलम्बन न्याय है।
7. समाधान पूर्वक ही हर आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्य में सफलता सहित निर्णय लिया जाता है। यह आत्मनिर्भरता न्याय है।
8. सहअस्तित्व, समृद्धि, अभयता पूर्वक जीने के लिये समाधान पूर्वक निर्णय लिया जाता है। यह आत्म निर्भरता न्याय है।
9. परिवार–व्यवस्था में जीने के लिए हर नर–नारी समाधान पूर्वक निर्णय लेना सहज है। यह आत्म निर्भरता न्याय है।
10. हर परिवार अपने सन्तान को आत्मनिर्भर सम्पन्न होने के लिए पोषण–संरक्षण पूर्वक अनुभवगामी प्रेरणा स्रोत है। यह आत्म निर्भरता न्याय है।

11. आत्मनिर्भरता पूर्वक ही हर नर–नारी मानवीयता पूर्ण आचरण करते हैं। यह आत्म निर्भरता समाधान व न्याय है।
12. शिक्षा–संस्कार, न्याय–सुरक्षा, उत्पादन–कार्य विनिमय–कोष, स्वास्थ्य– संयम कार्यों को प्रमाणित करना आत्मनिर्भरता न्याय है।
13. अखण्ड समाज, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना आत्म निर्भरता सर्वतोमुखी समाधान न्याय है।

(13) शिक्षा–संस्कार में न्याय

शिक्षा :– शिष्टता पूर्ण दृष्टि का उदय होना।

शिष्टतापूर्ण दृष्टि :– अस्तित्व मूलक मानव केन्द्रित चिन्तन रूपी दृष्टि दृष्टा पद प्रतिष्ठा में पारंगत क्रियाशील रहना।

संस्कार :– ज्ञान–विवेक–विज्ञान सहज स्वीकृति, अनुभव प्रमाण परंपरा, जिसका प्रमाण ही अखण्ड समाज, सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या में पारंगत होना प्रमाण परंपरा है।

परंपरा :– परंपरा में मानव सहज मानवीयता पीढ़ी से पीढ़ी में अन्तरित होना न्याय है।

मानवीयता :– मूल्य–चरित्र–नैतिकता सहज संयुक्त अभिव्यक्ति, सम्प्रेषणा, प्रकाशन परंपरा होना न्याय है।

1. शिक्षा में मानव का अध्ययन सम्पन्न होना न्याय है।
2. भौतिक–रासायनिक और जीवन वस्तु का अध्ययन होना न्याय है।
3. सहअस्तित्व में अध्ययन न्याय है।
4. हर मानव में–से–के लिये आत्मनिर्भर होने योग्य शिक्षा सर्वसुलभ होना न्याय है।
5. शिक्षा–संस्कार में मानव–लक्ष्य, जीवन मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य व वस्तु मूल्य बोध होना न्याय है।
6. मानव संस्कृति–सभ्यता, विधि–व्यवस्था बोध होना न्याय है।

(14) परिवार में न्याय

1. परिवार में सम्बन्धों की पहचान सहित मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन, परस्परता में तृप्ति न्याय है।
2. परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन समृद्धि का प्रमाण न्याय है।
3. समाधान–समृद्धि सम्पन्न व्यवस्था सहज प्रमाण न्याय है।
4. जागृत मानव परिवार में समझदारी, ईमानदारी, भागीदारी सहज एकरूपता सामाजिक अखण्डता सूत्र है। यह समाधान व न्याय है।
5. जिम्मेदारी, भागीदारी में निष्ठा सहज प्रमाण न्याय है।
6. परिवार सहज व्यवस्था परंपरा का प्रमाण न्याय है।

7. जागृत मानव परिवार में–से–के लिये एक सदस्य का समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के लिये निर्वाचित होना न्याय है।
8. परिवार सहज व्यवहार व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए हर नर–नारी आत्म निर्भर, स्वतंत्र, स्वयं स्फूर्त उत्साहित रहना न्याय है।
9. परिवार व ग्राम सहज वैभव की पहचान बनाये रखना, आगन्तुकों की पहचान करना न्याय है।

(15) परिवार–समूह–सभा में न्याय

1. दस जागृत मानव परिवार में से निर्वाचित दस सदस्य के परिवार समूह–सभा का गठन न्याय है।
2. हर परिवार–समूह–सभा कार्य कर्तव्य रत हर सदस्य आत्म निर्भर रहना न्याय है।
3. दस परिवार सहज संस्कृति–सभ्यता, विधि–व्यवस्था संबंधी पहचान किये रहना न्याय है।
4. हर सदस्य दस परिवार में सम्बन्धों की सन्तुष्टि, समाधान–समृद्धि सहज प्रमाणों के प्रति जागृत रहना न्याय है।
5. कोई आगन्तुक व्यक्ति गाँव–मोहल्ले में होने का परिवार–ग्राम–मोहल्ला समितियों को पहचान करने का अधिकार न्याय है।
6. हर सदस्य दसों परिवार के लोगों का समस्त उत्पादन–विनिमय–कार्य में जागरूक–पूरक रहना न्याय है।
7. हर सदस्य सभी परिवार जन का जागृत रहने में ध्यान देना, आवश्यकता के अनुसार पूरक–उपयोगी होना न्याय है।
8. हर सदस्य का निपुणता–कुशलता–पाण्डित्य में पारंगत रहना न्याय है।
9. हर परिवार समूह सभा में से एक–एक सदस्य का निर्वाचन ग्राम–मोहल्ला–परिवार सभा गठन के लिये निश्चित करना न्याय है।

(16) ग्राम–मोहल्ला परिवार सभा में न्याय

1. दस परिवार समूह सभा से निर्वाचित दस सदस्यों की सभा गठित होगी जिसका नाम ग्राम–मोहल्ला–परिवार सभा होगा। हर ग्राम–मोहल्ला का नाम रहता ही है। यह समाधान व न्याय है।
2. ग्राम–मोहल्ला–परिवार सभा के लिये निर्वाचित सभी सदस्य समान स्वत्व, स्वतंत्रता अधिकार सम्पन्न रहेंगे और आत्म निर्भर रहेंगे। यह न्याय है।
3. आत्म निर्भरता प्रत्येक जन प्रतिनिधि में समाधान–समृद्धि सम्पन्नता सहित स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा व व्यक्तित्व में सन्तुलन, व्यवहार में सामाजिक, उत्पादन रूपी व्यवसाय में स्वावलम्बी परिवार प्रतिनिधि रहेंगे। यह समाधान व न्याय है।

4. गांव मोहल्ले में कोई व्यक्ति पहुँचे तो वे पहले से पहचान अथवा चिन्हित अथवा सूचित रहेंगे। इसके अतिरिक्ति जो अपरिचित होंगे उनका परिचय पाने का अधिकार ग्राम–मोहल्ला–परिवार सभा के सभी सदस्यों को होगा। ऐसे लोगों की पहचान प्रमाण प्राप्त करने का अधिकार रहेगा यह न्याय है।
5. ग्राम सभा अपने स्व विवेक से पाँच समितियों के लिए स्थानीय प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों को मनोनीत करेगी। वे सब आत्म निर्भर परिवार के सदस्य होंगे। ये समितियां शिक्षा–संस्कार, न्याय–सुरक्षा, उत्पादन–कार्य , विनिमय–कोष, स्वास्थ्य–संयम के कार्य संपादित करेंगे, यह न्याय है।
6. सभायें समितियों की कार्य प्रणालियों व कर्तव्यों का निर्धारण–निर्देशन करेगी। उसे हर समितियाँ स्वीकार पूर्वक कार्य व मूल्यांकन करने तथा निरीक्षण करने के अधिकार से सम्पन्न रहेगी, यह न्याय है।

ग्राम–मोहल्ला परिवार सभा में न्याय

1. (सभा–गठन) सदस्य :– दस परिवार समूह सभा में–से एक–एक व्यक्ति निर्वाचित रहेंगे। ये सभी दस सदस्य आत्मनिर्भर परिवार में से होगें , यह न्याय है।
2. आत्मनिर्भरता का स्वरूप समाधान–समृद्धि–अभय–सहअस्तित्व में प्रमाण सहज सम्पन्न परिवार है। यह आचरणपूर्वक न्याय है।
3. ग्राम–मोहल्ला नाम पहले से रहता है अथवा नाम रख सकते हैं, यह न्याय है।
4. हर सदस्य मानवीयता पूर्ण आचरण सहज प्रमाण रूप में रहेंगे। यह न्याय है।
5. हर सदस्य स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा अर्थात् ज्ञान–विवेक–विज्ञान संपन्नता और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, उत्पादन कार्य रूपी व्यवसाय में स्वावलम्बन संपन्न परिवार प्रतिनिधि होना न्याय है।
    1) ज्ञान सम्पन्नता = सहअस्तित्व रूपी अस्तित्वदर्शन–ज्ञान, जीवन–ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान प्रमाणित होना न्याय है।
    2) विवेक सम्पन्नता = मानव लक्ष्य सहज स्वीकृति संपन्नता न्याय है।
    3) विज्ञान = मानव लक्ष्य सर्वसुलभ होने में–से–के लिये निश्चित दिशा सहज पारंगत प्रमाण स्पष्ट रहना न्याय है।
6. सर्व मानव ज्ञानावस्था में गण्य है। अनुभवपूर्वक ज्ञान सम्पन्न रहना प्रमाण के रूप में सर्व शुभ के अर्थ में आवश्यक है यह न्याय है।

सभा सदस्यों में अधिकार समानता स्वरूप

सर्वतोमुखी समाधान समृद्धि प्रमाण सहित पाँचों समिति सहज कार्य गति में घटित समस्या का समाधान प्रस्तुत करने में निर्वाचित सभी दस सदस्यों का समानाधिकार स्वत्व स्वतंत्रता पूर्वक क्रियान्वयन न्याय है।

समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी पारंगत प्रमाण होने का सत्यापन हर निर्वाचित सदस्य सत्यापित करेगा। परिवार के सभी सदस्य, निर्वाचित सदस्य मानवत्व सहित व्यवस्था सहज प्रमाण, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने में सक्षम होने का सहजता सहित निर्वाचन किये रहेंगे।

पाँचों आयामों का निरन्तर गति प्रयोजन सहज वर्तमान ही स्वराज्य है। यही जागृति सम्पन्न मानव परंपरा है।

मानव प्रधानता = समाधान, समृद्धि सहित भागीदारी करना न्याय है।

7. सर्वमानव शुभ में व्यक्ति का स्व शुभ समाया है। यह न्याय है।
8. मानव–लक्ष्य सर्व सुलभ होना ही सर्व शुभ है। यही सहज और न्याय है।
9. सभा के दसों सदस्य सर्व शुभ के अर्थ में प्रवर्तित,कार्यरत प्रमाणित रहेंगे। यह समाधान व न्याय है।

(17) **ग्राम–मोहल्ला परिवार सभा संगठन**

1. स्वराज्य सभा गठन प्रक्रिया के मूल में निर्वाचन विधि न्याय है।
2. निर्वाचन पूर्वक दस सदस्यों में अधिकार, स्वत्व, स्वतंत्रता समान है। यह गठन सूत्र है। यह स्वराज्य गति नित्य वर्तमान होना न्याय है।
3. निर्वाचन प्रक्रिया के मूल में सर्वशुभ ज्ञान–विवेक–विज्ञान सम्बद्धता न्याय है।
4. सदस्यों में स्वतंत्रता, अधिकार, समानता ही गठन गुण सूत्र और वैभव है। यह न्याय है।
5. हर सदस्य में समझदारी–ईमानदारी–जिम्मेदारी–भागीदारी समान यह गठन–गुण–सूत्र है यह न्याय है।
6. हर सदस्य में मानवीयता पूर्ण आचरण प्रमाणित रहना गठन–गुण–सूत्र है। यह न्याय है।
7. समझदारी–ईमानदारी को ज्ञान–विवेक–विज्ञान स्वत्व सहज रूप में, जिम्मेदारी को स्वतंत्र सहज रूप में और भागीदारी अधिकार सहज रूप में है। यह न्याय है।
8. व्यवहार–कार्य में ही भागीदारी, दायित्व–कर्तव्यों का निर्वाह का प्रमाण है। यह न्याय है।
9. मानवीय शिक्षा का प्रयोजन संस्कार मानवीयता में–से–के लिए स्वीकृति को कार्य–व्यवहार में, कार्य–व्यवहार सामाजिक अखण्डता व सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होता है। यह दायित्व हर सदस्यों में समान रहेगा, यही सर्वशुभ है। यही न्याय है।
10. ज्ञान–विवेक–विज्ञान संपन्नता ही स्वत्व है। यह न्याय है।
11. ज्ञान–विवेक–विज्ञान पूर्वक दायित्वों की स्वीकृति निश्चय निर्वाह करने में स्वतंत्रता (स्वयं स्फूर्त होना), दायित्व के साथ कर्त्तव्यों का निर्वाह करना न्याय है।

दायित्व

ग्राम–मोहल्ला–परिवार सभा प्रधानत: पाँच विधाओं में प्रमाणित होना प्रमाण वैभव है। यह न्याय है। अन्य सभी विधायें इनमें समायी रहती हैं। यह न्याय है।

1. मानवीय–शिक्षा–संस्कार ग्राम मोहल्ला वासियों को सुलभ हो सके, यह न्याय है।
2. मानवीय–शिक्षा–संस्कार पूर्वक हर मानव सन्तान का स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में सन्तुलन, व्यवहार में सामाजिक, उत्पादन में स्वावलंबी होना न्याय है।
3. मानवीयतापूर्ण आचरण में पारंगत होना न्याय है।
4. सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन में पारंगत होना न्याय है।
5. जीवन सहज क्रियायें जागृति पूर्वक प्रमाणित होना न्याय है।
6. भौतिक क्रिया–कलाप में पारंगत होना न्याय है।
7. रासायनिक–क्रिया–कलाप में पारंगत होना न्याय है।
8. व्यापक वस्तु (सत्ता) में सम्पूर्ण ग्रह गोल, सौर–व्यूह, ग्रह–व्यूह, आकाश–गंगा, चारों अवस्था, चारों पद व्यापक सत्ता में सम्पृक्त अविभाज्य है – में पारंगत होना न्याय है।
9. ज्ञानावस्था में मानवीय शिक्षा–संस्कार सम्पन्न मानव को, जीवावस्था में जीने की आशा सम्पन्न जीवों को, प्राणावस्था में रसायन–उर्मी, पुष्टि एवं रचना तत्व सहित प्राण कोषाओं से रचित रचना में पौधों के रूप में कार्य–विधियों को, यौगिक विधि से प्रकट रसायन द्रव्यों को, इनके ठोस–तरल–विरलता को, पदार्थावस्था में मृत–पाषाण–मणि धातु के ठोस व विरल रूप को जानना, मानना, पहचानना व निर्वाह करने में पारंगत होना न्याय है।
10. ज्ञानावस्था को भ्रान्ताभ्रान्त पद में मानव, देव–पद, दिव्य–पद में, भ्रान्त मानव और जीवों को भ्रान्त पद में, प्राणावस्था व पदार्थावस्था को प्राण–पद में जानना–मानना–पहचानना व निर्वाह करना न्याय है। (**प्रथम संस्करण में**)

    मानव, देव मानव देव पद में, दिव्य मानव दिव्य –पद में, भ्रांत मानव और जीवों को भ्रांत पद में, प्राणावस्था व पदार्थवस्था को प्राण–पद में जानना –मानना–पहचानना व निर्वाह करना न्याय है। (**संस्करण –2007**)

दायित्व

मानवीय शिक्षा स्वीकृति अर्थात् सहअस्तित्व तथ्य को सहज जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करने के रूप में दायित्व होना न्याय है।

स्वीकृतियाँ जानने व मानने के रूप में, सोच–विचार–निर्णय विवेक–विज्ञान के रूप में, आचरण (कार्य–व्यवहार) मानवीयता के रूप में पहचान–निर्वाह के रूप में, व्यवस्था स्वयं स्फूर्त कर्तव्य–दायित्व रूप में, संस्कृति उत्सव के रूप में, स्वीकृतियाँ जागृत समाज परस्पर अर्पण समर्पण के रूप में, सभ्यता व्यवस्था में भागीदारी के रूप में, संविधान आचरण के अर्थ में, व्यवस्था सार्वभौमता (सर्व शुभ व स्वीकृति) के रूप में न्याय है। **(अध्याय: 7, पृष्ठ नंबर: 107–136)**

- **न्याय सुरक्षा** में भागीदारी करना समाधान है। **(अध्याय: 7, पृष्ठ नंबर: 154)**

- **(ग्राम/ मोहल्ला व्यवस्था)**

  कार्यशैली :–

प्रत्येक ग्राम सभा, ''ग्राम स्वराज्य व्यवस्था'' को स्थापित करने के लिए निम्न 5 समितियों का गठन ग्राम सभा से मनोनीत सदस्य करेंगे :–

1. मानवीय शिक्षा संस्कार समिति
2. उत्पादन कार्य व सलाहकार समिति
3. वस्तु विनिमय कोष समिति
4. स्वास्थ्य संयम समिति
5. **मानवीय न्याय सुरक्षा समिति**

उपर्युक्त समितियां ग्राम सभा के मार्ग दर्शन के आधार पर कार्य करेंगी। उपरोक्त समितियां क्रम से ग्राम में शिक्षा संस्कार व्यवस्था, उत्पादन कार्य व्यवस्था, विनिमय कोष व्यवस्था, स्वास्थ्य संयम व्यवस्था व **न्याय सुरक्षा** व्यवस्था को सर्व सुलभ करेगी। उपरोक्त समिति के सदस्यों का मनोनयन ग्राम सभा करेगी। प्रत्येक मनोनीत सदस्य इन समितियों के लिए अंश–कालिक सदस्य होगा एवं वह अपनी समिति का कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वाह अपने निजी व्यवसाय के अलावा करेगा। वयोवृद्ध स्त्री व पुरुष, जो जीवन–विद्या व वस्तु–विद्या में पारंगत होंगे, उनको समितियों के अंश कालिक व पूर्ण कालिक सदस्य होने का अवसर रहेगा। प्रत्येक समिति का विस्तृत कार्यक्रम अगले खंडों में विस्तार से दिया गया है ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के लक्ष्य निम्न होंगे :–

1. गाँव के प्रत्येक मानव को मानवीय शिक्षा–संस्कार से संपन्न करना।
2. प्रत्येक व्यक्ति को तकनीकी में निपुणता–कुशलता को सजह सुलभ करना।
3. प्रत्येक व्यक्ति को व्यवहार में सामाजिक होने के लिए ज्ञान–विवेक–विज्ञान सहज शिक्षा संस्कार सर्व सुलभ करना जिससे **न्याय सुरक्षा** प्रमाणित हो।
4. प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी उत्पादन कार्य में प्रवृत्त प्रोत्साहित करना।
5. उत्पादित वस्तुओं को विनिमय–कोष द्वारा लाभ–हानि मुक्त पद्धति से लेन–देन करने की व्यवस्था प्रदान करना और ग्राम वासियों के लिए आवश्यकीय वस्तुओं को उपलब्ध कराना विनिमय कोष कर्तव्य रहेगा।
6. प्रत्येक व्यक्ति को **न्याय व सुरक्षा** सहज सुलभ कराना। साथ ही सुधारवादी–प्रक्रिया से गलती व अपराध प्रवृत्तियों का निराकरण करना।
7. प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति स्वस्थ रहने का अवधारणापूर्वक संकल्प बद्ध करना, व्यायाम व खेलों के लिए प्रोत्साहित करना, संक्रामक रोग–निरोधी उपायों की उपयोगिता से अवगत कराना। साथ ही हर परिवार में सहज व उपकारी चिकित्सा की व्यवस्था करना।
8. प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, ग्राम जीवन, परिवार–व्यवस्था के प्रति विश्वास व निष्ठा उत्पन्न करना। प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन रहने में निष्ठा स्थापित करना।
9. प्रत्येक व्यक्ति / परिवार अपनी आवश्कता से अधिक उत्पादन करे, ऐसा सुनिश्चित उपाय करना।
10. ग्राम के लिए सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करना।
11. व्यक्तित्व व प्रतिभा का संतुलित उदय हो, ऐसा सुनिश्चित उपाय करना। इसके लिए समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी पूर्वक जीने में निष्ठा सम्पन्न करना।
12. प्रत्येक परिवार में भौतिक समृद्धि व बौद्धिक समाधान साक्षित होने का उपाय करना, समस्त ग्राम वासियों की परस्परता में अभयता व सह–अस्तित्व चरितार्थ होने का सभी उपाय करना। **(अध्याय: 8, पृष्ठ नंबर: 166–168)**

- **समझदार परिवार समूह व परिवार सदस्य के कर्तव्य व दायित्व :–**

5. परस्पर परिवारों के विवादों व उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण का दायित्व उन परिवार के प्रधानों व परिवार समूह सभा का होगा। परिवार समूह सभा द्वारा विवाद हल न होने की स्थिति में ही विवाद ''**न्याय सुरक्षा समिति**'' के पास जायेगा। **(अध्याय: 8, पृष्ठ नंबर: 172)**

- ग्राम परिवार सभा की समितियाँ :–

(3) न्याय सुरक्षा समिति

ग्राम न्याय सुरक्षा समिति :– ग्राम सभा के द्वारा मनोनीत की जायेगी। यह समिति गाँव की सम्पूर्ण व्यवहार कार्य सम्बन्धी विवादों को हल करने के लिए स्वतंत्र होगी व बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त रहेगी। न्याय प्रक्रिया का स्वरूप सुधार–प्रणाली पर आधारित रहेगा ताकि ग्राम–न्यायालय में सम्पूर्ण प्रक्रिया मानवीय संचेतनावादी व्यवहार पद्धति पर आधारित होगी। चूंकि प्रत्येक मानव को, मानवीयता पूर्ण पद्धति व प्रणाली व नीति पूर्वक जीने का अधिकार समान है। इसके अनुसार गाँव में मानवीयता पूर्ण आचरण पद्धति, मानवीयता पूर्ण व्यवहार प्रणाली व अर्थ (तन, मन, धन) की सुरक्षात्मक व सदुपयोगात्मक नीति रहेगी। जो भी व्यक्ति इस व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखने में असमर्थ रहेगा, वह सुधरने के लिए बाध्य होगा। मानव अज्ञान, अत्याशा और अभाव वश ही गलती, अपराध तथा तन, मन, धन रूपी अर्थ का अपव्यय करता है। यह व्यवहार मानवीयता और सामाजिकता व व्यवस्था सहज गति के लिए सहायक नहीं है। **न्याय सुरक्षा समिति**, न्याय सुलभता और **सुरक्षा** कार्य में निष्ठान्वित तथा प्रतिज्ञाबद्ध रहेगी।

न्याय सुरक्षा समिति मानवीय आचार संहिता के अनुसार न्याय प्रदान करेगी। मानवीय आचार संहिता के अनुसार न्याय व्यवस्था के चार प्रधान आयाम है :– (1) आचरण में न्याय (2) व्यवहार में न्याय (3) उत्पादन में न्याय (4) विनिमय में न्याय।

1. आचरण में न्याय :–

स्वधन, स्वनारी/स्वपुरूष और दया पूर्ण कार्य का वर्तमान और उसका मूल्यांकन आचरण में न्याय का स्वरूप है। स्वधन का तात्पर्य श्रम नियोजन का प्रति फल, कला तकनीकी, विद्वत्ता विशेष प्रदर्शन, प्रकाशन किए जाने के फलस्वरूप प्राप्त पुरस्कार और उत्सवों के आधार पर किया गया आदान–प्रदान के रूप में प्राप्त पारितोष रूप में प्राप्त धन या वस्तुएँ से हैं।

स्वनारी, स्वपुरूष :–

विवाह पूर्वक स्थापित दाम्पत्य संबंध जिसका पंजीयन ग्राम सभा में होगा।

दया पूर्ण कार्य :–

1. समाज मूल्यों की पहचान और उसका निर्वाह।
2. सम्बन्धों की पहचान और निर्वाह क्रम में तन, मन, धन रूपी अर्थ का अर्पण समर्पण।
3. नि:सहाय, कष्ट ग्रस्त, रोग ग्रस्त और प्राकृतिक प्रकोपों से प्रताड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना।

4. प्राकृतिक, सामाजिक और बौद्धिक नियमों का पालन आचरण पूर्वक प्रमाणित करते हुए मानवीय परंपरा के लिए प्रेरक होना।
5. जो जैसा जी रहा है, कार्य कर रहा है उसका मूल्यांकन करना। जहाँ–जहाँ सहायता की आवश्यकता है वहाँ सहायता प्रदान करना।
6. पात्रता हो उसके अनुरूप वस्तु न हो, उसके लिए वस्तु को उपलब्ध कराना ही दया है।

2. व्यवहार में न्याय (मानवीय व्यवहार) :–

मानवीय व्यवहार मानव तथा नैसर्गिक सम्बन्धों व उनमें निहित मूल्यों की पहचान और उसका निर्वाह करना है। मानव परंपरा में मानव सम्बन्ध प्रधानतः सात प्रकार से गण्य है :–

1. माता – पिता
2. पुत्र – पुत्री
3. गुरू – शिष्य
4. भाई – बहिन
5. मित्र – मित्र
6. पति – पत्नी
7. स्वामी – सेवक (साथी–सहयोगी)

उपरोक्त सम्बन्धों में निहित मूल्य निम्न है :–

	स्थापित मूल्य	शिष्ट मूल्य
1.	विश्वास	सौजन्यता
2.	स्नेह	निष्ठा
3.	कृतज्ञता	सौम्यता
4.	गौरव	वंदना
5.	ममता	उदारता
6.	वात्सल्य	अरहस्यता
7.	सम्मान	सौहर्द्रता (स्पष्टता)
8.	श्रद्धा	पूज्यता
9.	प्रेम	अनन्यता (सरलता)

मानव सम्बन्धों में साम्य मूल्य विश्वास तथा पूर्ण मूल्य प्रेम है। बिना विश्वास के कोई भी सम्बन्ध का निर्वाह संभव नहीं है। सम्बन्धों में विश्वास का निर्वाह न कर पाना ही अन्याय है, जिसका सुधार भावी है।

मानव के नैसर्गिक सम्बन्ध तीन प्रकार से गण्य है :–

1. पदार्थावस्था के साथ सम्बन्ध
2. प्राणावस्था (अन्न , वनस्पति) के साथ सम्बन्ध
3. जीवावस्था (पशु पक्षी आदि मानवेतर जीवों) के साथ सम्बन्ध

उपरोक्त संबंधों में उपयोगिता मूल्य दो प्रकार से गण्य है:–

1. परस्पर पूरकता, उदात्तीकरण के रूप में रचना–विरचना क्रम में उपयोगिता।
2. परमाणु में विकास क्रम में उपयोगिता।

उपयोगिता का स्वरूप निम्न है :–

1. प्राकृतिक सम्पदा (खनिज, वनस्पति तथा पशु–पक्षी) का उनके उत्पादन के अनुपात में उपयोग।
2. प्राकृतिक सम्पदा में विघ्न न डालना।
3. प्राकृतिक सम्पदा के उत्पादन में सहायक बनना।

(नैसर्गिक पवित्रता को समृद्ध बनाए रखे बिना मानव स्वयं समृद्ध नहीं हो सकता।)

3. उत्पादन में न्याय :–

1. प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना।
2. प्रत्येक व्यक्ति में आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने योग्य कुशलता व निपुणता को स्थापित करना, जिसका दायित्व शिक्षा संस्कार समिति को होगा।
3. उत्पादन के लिए व्यक्ति में निहित क्षमता योग्यता के अनुरूप उसे प्रवृत्त करना जिसका दायित्व ''उत्पादन कार्य सलाह समिति'' का होगा।
4. उत्पादन के लिए आवश्यकीय साधनों को सुलभ करना इसका दायित्व ''विनिमय कोष समिति'' का होगा।
5. उत्पादन कार्य सामान्य आकाँक्षा (आहार, आवास, अलंकार) महत्वाकाँक्षा (दूर दर्शन, दूर गमन, दूर श्रवण) सम्बन्धी वस्तुओं के रूप में प्रमाणित होना।
6. ''उत्पादन कार्य सलाह समिति'' व ''विनिमय कोष समिति'' संयुक्त रूप में सम्पूर्ण ग्राम की उत्पादन सम्बन्धी तादाद, गुणवत्ता व श्रम मूल्यों का निर्धारण करेगी।

विनिमय में न्याय :–

1. उत्पादित वस्तु के विनिमय कार्य सुलभ करना।
2. विनिमय प्रक्रिया प्रथम चरण में, श्रम मूल्य को वर्तमान में प्रचलित प्रतीक मुद्रा के आधार पर मूल्यांकित करने की व्यवस्था रहेगी। जैसे स्थानीय उत्पादन को, जहाँ उसको बेचना है, उस मंडी की दरों पर आधारित उसका क्रय मूल्य निर्धारित होगा। ग्राम की आवश्यकता के लिए अन्य बाजारों से, वस्तुओं का विक्रय मूल्य, उन बाजारों के क्रय मूल्य पर आधारित होगा।
3. द्वितीय चरण में श्रम के आधार पर प्रतीक मुद्रा को मूल्यांकन करने की व्यवस्था होगी व उसी के आधार पर क्रय विक्रय कार्य सम्पन्न होगा।
4. तृतीय चरण में श्रम मूल्य के आधार पर वस्तु मूल्य का मूल्यांकन होगा जिसका आधार उपयोगिता व कला मूल्य ही रहेगा व इसी के अनुसार लाभ–हानि–संग्रह मुक्त पद्धति से विनिमय प्रक्रिया संपन्न होगी। अर्थात् विनिमय प्रक्रिया श्रम मूल्य के आदान प्रदान के रूप में सम्पन्न होगी।

''न्याय सुरक्षा समिति'' सुरक्षा कार्य को ग्राम वासियों के तन, मन, धन रूपी अर्थ के सदुपयोग के आधार पर क्रियान्वयन करेगा। जैसे :–

1. ग्राम में न्याय सुरक्षा
2. उत्पादन एवं विनिमय सुरक्षा
3. परिवार सुरक्षा
4. मानवीय शिक्षा – संस्कार सुरक्षा
5. स्वास्थ्य संयम सुरक्षा
6. नैसर्गिक सुरक्षा
7. संगीत, साहित्य, कला की सुरक्षा

''न्याय सुरक्षा समिति'' ग्राम की सभी प्रकार की सुरक्षाओं के प्रति जागरूक रहेगी।

ग्राम सुरक्षा :–

ग्राम सीमा में निहित भूमि का क्षेत्रफल और उस भू–भाग में निहित वन, खनिज, कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि, जल, जल– स्रोत, जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, सामान्य सुविधा कार्य को सदुपयोग के आधार पर सुरक्षित करना ग्राम सुरक्षा का तात्पर्य है।

ग्राम से संबंधित वन क्षेत्र और उपयोगी भूमि और स्वामित्व की भूमि ग्राम सभा के अधिकार व कार्य क्षेत्र में रहेगी। यदि कोई वन क्षेत्र व भू–खण्ड किसी गाँव से सम्बद्ध न हो ऐसी स्थिति में उसको किसी न किसी गाँव से सम्बद्ध करने की व्यवस्था रहेगी। ऐसे ग्राम क्षेत्र की सुरक्षा का दायित्व भी ''न्याय सुरक्षा समिति'' का होगा।

उत्पादन और विनिमय सुरक्षा :–

1. उत्पादन सुरक्षा :– गाँव में जितने भी प्रकार के उत्पादन सम्बन्धी मौलिकताएँ प्रमाणित होंगी उन सबके सुरक्षा का दायित्व न्याय सुरक्षा समिति का होगा। जैसे किसी उत्पादन कार्य में विशेष प्रकार की मौलिकता अथवा मौलिक प्रणाली अथवा मौलिक औजार, मौलिक विधि जो परंपरा में नहीं रही है, ऐसी स्थिति में उन सबको सुरक्षित किया जाएगा। इन सबसे सम्बन्धित मूल वाङ्‌मय, डिजाइन, चित्रण, नक्शा, प्रक्रिया, प्रणाली और विधियों को लिपि बद्ध, सूत्र बद्ध कर सुरक्षित करेगा। आवश्यकता पड़ने पर लोकव्यापीकरण कराएगा व पुरस्कार की व्यवस्था करेगा।
2. औषधियों का अनुसंधान, वनस्पतियों का पहचान, ज्योतिष सम्बन्धी अनुसंधान, हस्तरेखा व सामुद्रिक शास्त्र सम्बन्धी साहित्य का अनुसंधान जो परंपरा में नहीं रहा है, उसको उपयोगिता के अनुसार उसकी सुरक्षा का दायित्व ''सुरक्षा समिति'' का होगा।
3. साहित्य, कला, संगीत, शिल्प में परंपरा की श्रेष्ठता का अनुसंधान, जो परंपरा में नहीं थी, ऐसी प्रस्तुति होने की स्थिति में उसका यथावत् संरक्षण करेगा।
4. खेलकूद, व्यायाम, अभ्यास में परंपरा से अधिक श्रेष्ठता और अनुसंधानों को संरक्षित करेगा।

उपरोक्त कार्य के लिए ''न्याय सुरक्षा समिति'' क्रम से उत्पादन कार्य सलाह समिति, ''स्वास्थ्य संयम समिति'' ''शिक्षा संस्कार समिति'' के सहयोग से मूल्यांकन प्रक्रिया सम्पादित करेगा।

विनिमय में सुरक्षा :–

1. श्रम मूल्यों को उपयोगिता व कला मूल्य के आधार पर पहचानने की दिशा में ''सुरक्षा समिति'' निरंतर सजग रहेगी। एक श्रम मूल्य का आंकलन जो कुछ भी ग्राम स्वराज्य स्थापना दिवस में प्रमाणित रहेगा, उसकी गति के प्रति सतर्क रहेगा। निपुणता, कुशलता, कार्य गति, समय व साधन के कुल संयोग से श्रम का मूल्यांकन होगा। जैसे किसी एक वस्तु के निर्माण कार्य से, जिसका फलन स्थापना दिवस पर यदि एक रहा और बाद में यदि दो, तीन या चार हो गया, ऐसी अर्हता को ग्राम में सर्व सुलभ कराने का दायित्व ''सुरक्षा समिति'' का होगा। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में उत्पादन गति में वृद्धि करने और विनिमय में उसकी समृद्धि के अर्थ को सार्थक बनने का दिशा में कार्य सुरक्षा समिति करेगा।

2. लाभ–हानि के सम्बन्ध में सतर्क रहना। (अनावश्यक लाभ और असहनीय हानि न होने के लिए सतर्क होना) उसके लिए सभी व्यवस्था प्रदान करना।
3. वस्तु की उत्पादन के आधार पर मूल्यांकन करने में सतर्क रहना व कार्य रूप देना।
4. सभी विनिमय की संभावना को बनाए रखने में सतर्क रहना व प्रोत्साहित करना।

परिवार सुरक्षा :–

1. प्रत्येक परिवार की महिमा और गरिमा को ग्राम से बाह्य वातावरण से दूषित होने से बचाना। प्रचार तंत्र द्वारा भ्रमित करने वाले सभी पक्षों से सम्पूर्ण परिवार को सतर्क करते हुए संरक्षित करना।
2. साहित्य और कला को परिवार राज्य और ग्राम स्वराज्य के अर्थ में प्रदर्शन कार्य के लिए प्रवृत्त करना।
3. परिवार गत अंतर्विरोध की संभावनाओं को दूर करने के रूप में परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना।
4. किसी एक परिवार की श्रेष्ठता को सभी परिवारों में सुलभ करने के रूप में परिवार को सुरक्षा प्रदान करना।
5. किसी परिवार के साथ आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप से, असाध्य रोग से क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में, उनमें सान्त्वना व सहायता प्रदान करने के रूप में परिवार को सुरक्षा प्रदान करना।

शिक्षा संस्कार सुरक्षा :–

1. न्याय सुरक्षा समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक ग्रामवासी को मानवीय शिक्षा (व्यवहार शिक्षा व व्यवसाय शिक्षा) ठीक से मिल रही है या नहीं। जो स्कूल छोड़ दिए हैं, स्कूल में नहीं आते हैं, उनके लिए उनके परिवार वालों से मिल जुलकर शिक्षा संस्कार को सुलभ कराएगी।
2. मानवीय शिक्षा में कहीं से भी व्यतिरेक उत्पन्न होता है तो उसको दूर करने की व्यवस्था करेगी।
3. शिक्षकों का मूल्यांकन करेगी कि वे ठीक से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं या नहीं ? समय–समय पर आकर निरीक्षण–परीक्षण पूर्वक मार्ग दर्शन देगी।

स्वास्थ्य संयम सुरक्षा :–

1. ग्राम वासियों की बुरी आदतें, जैसे सिगरेट, बीड़ी, गाँजा, तम्बाकू, जर्दा, शराब, अफीम, चरस, जुआ आदि समाज विरोधी बुरे प्रभावों के निराकरण के प्रति उन्हें जागृत कर सुधारना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।
2. पशु धन की सुरक्षा करना।
3. जान माल की हानि न हो ऐसी व्यवस्था करना।
4. वातावरण में यदि कोई प्रदूषण फैला रहा हो जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको रोकना।

नैसर्गिक सुरक्षा :– सुरक्षा समिति नैसर्गिक सुरक्षा के लिए निम्न नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी:–

1. गाँव की प्राकृतिक सम्पदा का (खनिज, वनस्पति, जीव) उसके अनुपात के रूप में उपयोग करेगी।
2. प्राकृतिक सम्पदा के उत्पादन में किसी के भी द्वारा विघ्न न डालने देना।
3. प्राकृतिक सम्पदा के उत्पादन में सहायक होना, यह सुनिश्चित करना है। **(अध्याय: 8, पृष्ठ नंबर: 177–187)**

- **न्याय सुरक्षा समिति का मूल्यांकन**

''न्याय सुरक्षा समिति'' का मूल्यांकन निम्न आधारों पर होगा

1. आचरण में न्याय सुलभता का मूल्यांकन।
2. व्यवहार में न्याय सुलभता का मूल्यांकन।
3. उत्पादन में न्याय सुलभता का मूल्यांकन।
4. विनिमय में न्याय सुलभता का मूल्यांकन।
5. तन,मन, धन रूपी अर्थ की सुरक्षा का मूल्यांकन।
6. ग्राम में प्राकृतिक वातावरण सहज सुरक्षा का मूल्यांकन।
7. उत्पादन एवं विनिमय सुरक्षा का मूल्यांकन।
8. परिवार सुरक्षा का मूल्यांकन।
9. शिक्षा संस्कार सुरक्षा का मूल्यांकन।
10. स्वास्थ्य संयम सुरक्षा का मूल्यांकन।
11. नैसर्गिक सुरक्षा का मूल्यांकन। **(अध्याय:8 , पृष्ठ नंबर: 191–192)**

- **(कार्यक्रम सत्यापन घोषणा) –कार्यक्रम–3**

न्याय सुरक्षा समिति से सत्यापन

ग्राम में न्याय सुरक्षा सर्व सुलभ होने का सत्यापन निरीक्षण–परीक्षण पूर्वक परिवार–समूह–सभा व समिति सदस्य करेंगे कार्यक्रम रहेगा।

1. न्याय–सुरक्षा हर परिवार में प्रमाण वर्तमान होने का सत्यापन

   परिवार–समूह–सभा सदस्य व समिति निरीक्षण परीक्षण पूर्वक सत्यापित करने का कार्यक्रम निहित रहेगा।

2. न्याय सुरक्षा में किसी परिवार के साथ न्यून होने की स्थिति में उसे सम्पन्न करने का कार्यक्रम परिवार–समूह–सभा व समिति में निहित रहेगा और न्याय सुरक्षा समिति व सभा इसके लिये दायी रहेगी। **(अध्याय: 9, पृष्ठ नंबर: 194)**

- **ग्राम व्यवस्था :– (17) शरद–हेमंत –शिशिर–कालोत्सव सार्थकता सहज घोषणा**

1. जल व्यवस्था पर आवश्यकीय कार्यक्रम।
2. औषधि सम्बन्धी कार्यक्रम।
3. वनोपजों का संग्रहण कार्यक्रम।
4. वन–औषधियों का बोनी एवं फसलों का संग्रहण का उत्सव।
5. मानवीय शिक्षा संस्कार समिति की सार्थकता का मूल्यांकन हर परिवार समूह सभा में सम्पन्न ग्राम–सभा के पटल में प्रस्तुत करना।
6. मानवीय शिक्षा–संस्कार सहज प्रयोजन का मूल्यांकन परिवार समूह सभा सदस्य, समिति सदस्य संयुक्त रूप से करेंगे जिसकी सूचना ग्राम सभा के पटल में रहेगी।
7. **न्याय–सुरक्षा** का मूल्यांकन परिवार समूह व समिति सदस्यों का संयुक्त रूप में मूल्यांकन होगा। **(अध्याय:9, पृष्ठ नंबर: 209)**

- **ग्राम व्यवस्था :–**

(21) न्याय–सुरक्षा सर्व सुलभ होने का घोषणा

1. ग्राम में रहने वाले सभी परिवारों में न्याय–सुरक्षा सुलभता का परीक्षण, निरीक्षण कार्य समिति–सदस्य, परिवार–समूह–सभा के सदस्यों का संयुक्त कर्तव्य रहेगा। ग्राम मोहल्ला परिवारों में हुए न्याय सुरक्षा सुलभता सफलता का हर परिवार में–से–के लिए सत्यापन और शोध संभावना आवश्यकताओं पर कार्य गोष्ठी परिवार समूह सभा के द्वारा निर्णयों को लिपिबद्ध करना।
2. मानवत्व मानवीयता पूर्ण आचरण और दस सोपानीय अथवा मानव व्यवस्था का सर्व सुलभ होना ही ज्ञानावस्था सहज, मानव सहज अपेक्षा व आवश्यकता व प्रयोजन है। इसलिये इसकी प्रमाण–परंपरा ही स्वराज्य व स्वतंत्रता पूर्ण वैभव है।
3. प्रत्येक परिवार में न्याय–सुरक्षा, समझदारी सहित ईमानदारी जिम्मेदारी व भागीदारी का संयुक्त रूप में मूल्यांकन है।
4. कहीं भी सुधार की आवश्यकता होने पर परिवार में सुधार हो इसके लिए परिवार–समूह–सभा व ग्राम–सभा क्रम से दायी है।
5. हर वर्ष अथवा वर्ष में दो बार उत्सव न्याय–सुरक्षा उत्सव सम्पन्न होना रहेगा। **(अध्याय: 9, पृष्ठ नंबर: 211)**

- **ग्राम व्यवस्था :–**

(23) **शोध – नित्य उत्सव – अनुसन्धान**

1. व्यवहार व आचरण सुगमता के अर्थ में
2. मानवीय शिक्षा–संस्कार सुगम परंपरा के अर्थ में
3. **न्याय–सुरक्षा** में सुगमता के अर्थ में
4. उत्पादन कार्य में सुगमता के अर्थ में
5. विनिमय कार्य में सुगमता के अर्थ में
6. स्वास्थ्य–संयम कार्य में सुगमता के अर्थ में लोक व्यापीकरण पूर्वक प्रयोजन–प्रमाण नित्य उत्सव है।
   (अध्याय:9, पृष्ठ नंबर: 212)

- **स्वराज्य व्यवस्था सहज गति**

''अखण्ड समाज सूत्र व्याख्या पर आधारित ग्राम मोहल्ला स्वराज्य है''

ग्राम स्वराज्य की मूलभूत इकाई समझदार परिवार है। परिवार स्वयं मानव चेतना मूल्य शिक्षा सम्पन्न मानवीयता पूर्ण व्यवस्था सहज मौलिक रूप है। मानवीयता स्वयं स्वराज्य एवं स्वतंत्रता का सूत्र स्वरुप है। स्वराज्य का तात्पर्य न्याय–सुलभता, उत्पादन–सुलभता और विनिमय–सुलभता है। इसके पूरकता में शिक्षा – संस्कार, स्वास्थ्य आवश्यक है। स्वतंत्रता का तात्पर्य प्रत्येक मानव का स्वानुशासन सहज प्रामाणिकता और समाधान पूर्वक अभिव्यक्त, संप्रेषित व प्रकाशित होने से है, जो सहअस्तित्व रूपी परम सत्य अनुभव पूर्वक विधि से जानने व मानने से है अर्थात् सह–अस्तित्व में परस्पर संबंधों व मूल्यों को पहचानने व निर्वाह करने से है। यही शिक्षा–संस्कार, **न्याय –सुरक्षा** सुलभता स्त्रोत है। **(अध्याय: 10, पृष्ठ नंबर: 216)**

- **ग्राम स्वराज्य योजना के लिए पूर्व आंकलन**

(6) **न्याय सुरक्षा सम्बन्धी आंकलन :–**

1. ग्राम का प्रत्येक वयस्क व्यक्ति समझदारी सम्पन्न है या नहीं अपनी योग्यता और पात्रता के अनुसार उत्पादन व समाधान करता है या उत्पादन में भागीदार है या नहीं? के रूप में उत्पादन न्याय का आंकलन।
2. उत्पादित वस्तुओं का शोषण विहीन पद्धति से कहाँ तक विनिमय, आदान–प्रदान हो रहा है – के रूप में विनिमय न्याय का आंकलन।

3. स्वधन, स्वपुरूष/स्वनारी, दया पूर्ण कार्यों और तन, मन, धन रूपी अर्थ के सदुपयोग के आधार पर संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, आचरण–न्याय का आंकलन।
4. सम्बन्धों के साथ विश्वास निर्वाह के रूप में व्यवहार–न्याय का आंकलन।
5. न्याय, समाधान समृद्धि पूर्वक जीने में कठिनाइयों का निराकरण।
6. न्याय व्यवस्था में मूल्यांकन समीक्षा एवं आंकलन।
7. गाँव मोहल्ला सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का आंकलन व वर्तमान में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है ? **(अध्याय:10, पृष्ठ नंबर: 222–223)**

- **4. प्रधान राज्य परिवार सभाओं का अधिकार**

1. हर प्रधान राज्य परिवार में पाँचों आयामों के कार्य गति सहित अन्य आठों सभाओं और परिवारों से संबन्धित सभी समस्याओं (राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक) का समाधान प्रस्तुत करेंगे।
2. सभी मुख्य राज्य सभाओं के साथ परामर्श यथास्थिति आवश्यकता, पूरकता, उपयोगिता के आधार पर कार्यक्रमों को विश्व परिवार सभा से मनोनीति **न्याय सुरक्षा** समिति के हाथों में सम्पूर्ण अधिकारों को अर्पित करने का प्रस्ताव तैयार करेंगे, तदुपरान्त सौंपेंगे। **(अध्याय: 10, पृष्ठ नंबर: 224)**

- **5. विश्व राज्य परिवार सभा का अधिकार**

(3) विश्व राज्य सभा में यह सुस्पष्ट हो चुकी है कि व्यवस्था के पाँचों आयामों को सुगमता के लिए शोध अनुसंधान पूर्वक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मौलिक अधिकार रहेगा ही। उसमें प्रधान रूप में **न्याय सुरक्षा** को ध्यान में रखते हुए दूसरी भाषा में विश्व राज्य सभा के सदस्यों की दृष्टि में विश्व की सभी देशों की सीमाओं जब तक उन–उन देशों में निवासियों के अपने–पराया मन में बसा रहेगा तब तक उन–उन देशों की सीमा सुरक्षा का जिम्मेदारी और उन–उन देशों में पूरा धरती मानव देश होने का सत्य स्थापित करने का मौलिक अधिकार समाया रहेगा।

(4) जैसा–जैसा हर देशों में सीमित सीमा सुरक्षा की परिकल्पना रहेगी तब तक सबको भरोसा देने के लिए अथवा सीमा सुरक्षा का अधिकार विश्व राज्य सभा परिवार में अर्पित कर चुके हैं उन–उन देशों के निवासियों को भरोसा दिलाने के लिए विश्व राज्य परिवार सभा में समाहित सुरक्षा परिषद दूसरी भाषा में **न्याय सुरक्षा** समिति में सामरिक शक्तियाँकेन्द्रीकृत रहेगी। सुरक्षा समिति में हर प्रधान राज्य सभा का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। यह जनसंख्या विधि से प्रतिनिधियों की संख्या स्वीकारना आवश्यक रहेगा। **(अध्याय:10 , पृष्ठ नंबर:224–225)**

- **हर व्यक्ति में परीक्षण सूत्र :–**

  11(7) मूल्य

  ❖ सम्पूर्ण संबंध निश्चित है।

  ❖ परिवार सभा सम्बन्ध, शिक्षा–संस्कार–सम्बन्ध, **न्याय–सुरक्षा सम्बन्ध**, उत्पादन कार्य विनिमय कार्य सम्बन्ध , स्वास्थ्य संयम सम्बन्ध **(अध्याय:11 , पृष्ठ नंबर: 229–230)**

- मानव लक्ष्य मानवत्व के योगफल में ही जागृति मूलक शिक्षा, **न्याय सुरक्षा**, उत्पादन कार्य, विनिमय कार्य, स्वास्थ्य संयम कार्य है। **(अध्याय:12 , पृष्ठ नंबर: 241)**

संदर्भ: जीवन विद्या – एक परिचय

(**संस्करण**: 2010: **मुद्रण**: 2017)

- मानव अभी तक मूल्यों के पास गया ही नहीं। मूल्यों के पास गया होता तो मूल्य अभिव्यक्त होता, मूल्य प्रमाणित होता,मूल्यंकित होता और स्वाभाविक रूप में न्याय होता। न्यायालयों में फैसला होता है न्याय नहीं। इन फैसलों से एक पक्ष भयवश और एक पक्ष प्रलोभन वश सहमत होता है।उभयतृप्ति इसमें कभी हुआ नहीं, हो ही नहीं सकता, न्याय को पाने में हम सर्वदा असमर्थ रहे हैं। इसके बावजूद भी विकास का दावा करते हैं। विकास का क्या अर्थ होता है आप ही सोच लीजिए। भय और प्रलोभन से हर मानव छूटना चाहता है यह नियति सहज है। इसे मानव का भी कल्याण है। नैसर्गिकता का भी कल्याण है। इस तरह प्रयोजन के आधार पर संबंध है। प्रयोजन समाधान, समृद्धि, अभय, सह–अस्तित्व है इसके लिए प्रक्रिया है व्यवस्था में जीना। व्यवस्था में जीने का मतलब है कि पाँचों आयामों में भागीदारी करना है। पाँच आयाम है: 1.शिक्षा संस्कार, 2. **न्याय सुरक्षा**, 3. स्वास्थ्य संयम, 4.उत्पादन कार्य, 5. विनिमय कोष (**अध्याय: 3, पृष्ठ नंबर: 76–77**)

- हर अभिभावक अपने बच्चों को सिखाता ही है उसके बाद शिक्षण संस्थाओं में सिखाते हैं फिर राजगद्दी, धर्म गद्दी अपने ढंग से सिखाते हैं। इस शिक्षा से हम जो भी शिक्षा पाए उससे मानव बने नहीं है। अब विचार इतना ही है, प्रयत्न इतना ही हैं, प्रमाण इतना ही है कि हम मानव बन सके। मानव परंपरा बन सकें। इससे फायदा होगा नैसर्गिकता का संतुलन और मानव में न्याय स्थापित हो जाएगा। न्यायपूर्वक व्यवस्था में जीना ही है। यह कौन सा बड़ा दुर्गम कार्य है? किंतु मानव को इसकी आवश्यकता महसूस होने की जरूरत है। अभी तक जो भी किए हैं संवेदनाओं के आधार पर किए हैं। जिससे हमारी जरूरत पूरी होने वाली नहीं इसी से धरती बर्बाद हो गई आदमी तो बर्बाद है ही। इसीलिए आबाद होना है तो मानवीयता को पहचानना ही होगा। मानवीयतापूर्ण व्यवस्था में जीना होगा और उसकी निरंतरता की संभावना है। वर्तमान में मुद्दा है कि नैसर्गिकता के साथ अपराध रुक जाए। व्यवस्था का स्वरूप है:–

  1. शिक्षा– संस्कार में भागीदारी 2. **न्याय सुरक्षा** में भागीदारी 3. उत्पादन– कार्य में भागीदारी 4.विनिमय– कोष में भागीदारी 5. स्वास्थ्य संयम में भागीदारी

  इन पांचों आयामों में भागीदारी की व्यवस्था में भागीदारी है। यह जागृति के बाद ऐसी व्यवस्था हर आदमी से उद्गमीट होती है हर आदमी में प्रमाणित होती है। इस प्रकार सार संक्षेप में व्यवस्था की प्रस्तुति पूरी हुई। हर बुद्धिमान इसे स्वीकार सकता है। (**अध्याय: 4, पृष्ठ नंबर: 100**)

संदर्भ: विकल्प

(**संस्करण**:2011,**मुद्रण**: 2016)

- 37.जागृति सहज मानव परंपरा :– समझदारी सहज सर्वतोमुखी समाधान के रुप में प्रमाणित करने का परंपरा। शिक्षा – संस्कार, **न्याय सुरक्षा**, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष, स्वास्थ्य संयम विधि से प्रमाण। (**अध्याय: , पृष्ठ नंबर**: 40)
- 111. सार्वभौम व्याख्या :– दस सोपानीय परिवारमूलक स्वराज्य व्यवस्था जिसमें बिना धन व्यय के जनप्रतिनिधि सुलभ होना। सभी प्रतिनिधि समझदारी समृद्धि से सम्पन्न होना। समझदारी सम्पन्न समृद्धि सहित परिवार का प्रतिनिधि होना एवं मानवीय शिक्षा संस्कार, **न्याय सुरक्षा** संस्कार, उत्पादन कार्य संस्कार, विनिमय कार्य संस्कार, स्वास्थ्य संयम संस्कार, कार्य में भागीदारी सहज परिवार प्रतिनिधि निर्वाचित परंपरा रुप में वर्तमान होना। (अध्याय: , पृष्ठ नंबर: 47)

संदर्भ: जीवन विद्या– अध्ययन बिन्दु

(संस्करण:2011, मुद्रण:2016)

- (38) व्यवस्था सहज 5 आयामों का स्पष्ट बोध एवं हृदयंगम
    1. शिक्षा–संस्कार व्यवस्था
    2. न्याय–सुरक्षा व्यवस्था
    3. उत्पादन–कार्य व्यवस्था
    4. विनिमय–कोष व्यवस्था
    5. स्वास्थ्य–संयम व्यवस्था (अध्याय: , पृष्ठ नंबर: 27–28)

- (39)–2 (1) अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन पूर्वक सहअस्तित्व वादी विधि से –

परिवार समूह सभा

= दस परिवार सभा में से निर्वाचित

= दस जन प्रतिनिधि परिवार समूह सभा

मानवीयतापूर्ण आचरण सम्पन्न

= परिवार अखण्ड समाज सूत्र व्याख्या

परिवार सभा, सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या अनुसार पंचमुखी कार्यक्रम प्रवृत्ति यथा

1. मानवीय शिक्षा–संस्कार कार्य
2. मानवीय न्याय–सुरक्षा कार्य
3. मानवीय उत्पादन–कार्य
4. मानवीय विनिमय–कार्य
5. मानवीय स्वास्थ्य–संयम कार्य

प्रवृत्तियों का परीक्षण, निरीक्षण, समृद्धिकरण, आंकलन कर्त्तव्य संयुक्त सत्यापन (अध्याय:, पृष्ठ नंबर: 29–30)

- **39–2 (3) अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन पूर्वक सहअस्तित्ववादी व्यवस्था विधि से मोहल्ला, ग्राम, परिवार सभा**

दस परिवार समूह सभा में से निर्वाचित प्रतिनिधि

दस जन प्रतिनिधि परिवार सभा से मनोनीत पाँच समितियाँ, यथा –

(i) मानवीय शिक्षा–संस्कार समिति

(ii) मानवीय **न्याय–सुरक्षा** समिति

(iii) मानवीय उत्पादन–कार्य समिति

(iv) मानवीय विनिमय–कोष समिति

(v) मानवीय स्वास्थ्य–संयम समिति

मोहल्ला, ग्राम परिवार सभा सहज प्रयोजनों के अर्थ में – और दस परिवार समूह सहज आवश्यकता के अनुसार समिति में कार्यरत व्यक्ति का दायित्व निश्चयन रहेगा **(अध्याय: , पृष्ठ नंबर: 30)**

संदर्भ: मानवीय आचरण सूत्र

(संस्करण: प्रथम, मुद्रण: 2003)

- 1.6 समझदारी पाँच प्रकार अर्थात् मानवीय शिक्षा–संस्कार, **न्याय–सुरक्षा**, उत्पादन–कार्य, विनिमय–कोष, स्वास्थ्य–संयम कार्य से – पहचान प्रकट रहता है। यह हर नर–नारियों में, से, के लिए मौलिक अधिकार व समाधान है। समझ न होने की स्थिति में भ्रम प्रवृत्तियाँ प्रभावकारी रहती हैं जो हर नर–नारियों में, से, के लिए समस्या, क्लेश, कष्ट के रूप में पाई जाती हैं। **(अध्याय: 1, पृष्ठ नंबर: 2)**
- 2.12 मानव–लक्ष्य मानवत्व के योगफल में ही जागृति मूलक शिक्षा, **न्याय सुरक्षा**, उत्पादन कार्य, विनिमय कार्य स्वास्थ्य संयम कार्य है।

संतुलन	नियंत्रण	नियम	(न्याय, धर्म, सत्य)
↓	↓	↓	↓
स्वास्थ्य के रूप में	उत्पादित वस्तुओं के मूल्यांकन के रूप में	उत्पादन कार्य में	शिक्षा संस्कार **न्याय, सुरक्षा में**

(अध्याय: 2, पृष्ठ नंबर: 13)

- 3.21 जागृत परम्परा में ही मानवीय शिक्षा संस्कार, मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान मानवीयता पूर्ण परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था सहित सह–अस्तित्व में अनुभव मूलक व्यवहार व प्रयोग उत्पादन कार्य, विनिमय कार्य, स्वास्थ्य संयम कार्य, **न्याय सुरक्षा** कार्य, मानवीय शिक्षा–संस्कार कार्य सहज प्रमाण सम्पन्नता का बोध सहित स्वयं में विश्वास सम्पन्न होना है। **(अध्याय: 3, पृष्ठ नंबर: 18)**
- 4.5 **न्याय सुरक्षा** कार्य की सार्थकता उभय अथवा परस्पर तृप्ति के अर्थ में है। **(अध्याय: 4, पृष्ठ नंबर: 25)**
- 6.12 सर्व मानव का सम्पूर्ण कार्य–व्यवहार उत्पादन विनिमय, स्वास्थ्य, संयम, **न्याय, सुरक्षा**, शिक्षा संस्कार सहित अखण्ड समाज सार्वभौम व्यवस्था में प्रमाण प्रस्तुत करना ही जागृत परम्परा है। **(अध्याय: 6, पृष्ठ नंबर: 40)**

संदर्भ: संवाद भाग १

(संस्करण: प्रथम, मुद्रण: 2011)

- सार्वभौम व्यवस्था हो जाने पर क्या होगा?

सार्वभौम व्यवस्था में हम सत्य को प्रमाणित करते हैं। सह–अस्तित्व परम सत्य है। सह–अस्तित्व को हम व्यवस्था में प्रमाणित करते हैं। इस तरह मानव प्रकृति सहज विधि से, अस्तित्व सहज विधि से, सह–अस्तित्व सहज विधि से जीता है। इसको हर व्यक्ति सोच सकता है, समझ सकता है, जी सकता है, प्रमाणों को प्रस्तुत कर सकता है। सार्वभौम व्यवस्था में हम पाँच आयामों में बहुत अच्छे तरह जी पाते हैं। "सार्वभौम व्यवस्था" में मानव के जीने के पाँच आयाम है:–

1. शिक्षा– संस्कार 2.**न्याय सुरक्षा** 3.स्वास्थ्य– संयम 4. उत्पादन –कार्य 5. विनिमय कोष **(अध्याय: , पृष्ठ नंबर: 246–247)**

संदर्भ: संवाद भाग २

(संस्करण:2013)

- दस व्यक्तियों के समझदार परिवार में समाधान समृद्धि का वैभव होता है। ऐसे दस समझदार परिवार एक एक व्यक्ति को अपने में से निर्वाचित करते हैं जो परिवार समूह सभा को गठित करता है ऐसे दसों व्यक्तियों का अधिकार समान होगा, उसका कोई एक मुखिया होगा ऐसा नहीं है। इन दसों परिवारों के जीने के पाँचों आयामों शिक्षा संस्कार कार्य, न्याय सुरक्षा कार्य, स्वास्थ्य संयम कार्य, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष कार्य में जब भी कोई काम आया उसको पूरा करना, इनका काम रहेगा। जैसे सभी 10 परिवार शिक्षा संस्कार में पारंगत है या नहीं? उसमें जो कमी है उसको पूरा करना। सभी दस परिवार न्याय पूर्वक जी पा रहे हैं या नहीं यदि नहीं? यदि नहीं जी पा रहे हैं तो उसको पूरा कर करना। सभी दस परिवार उत्पादन कार्य में प्रवीण है या नहीं? आवश्यक उत्पादन कर पा रहे हैं या नहीं ? इसका परिशीलन करना और उसकी कमियों को पूरा करना। सभी स्वास्थ्य को लेकर स्वायत्त है या नहीं? इसका परिशीलन करना और उसकी कमियों को पूरा करना। व्यवस्था के अर्थ में ही कमियों का आंकलन होता है और उसको पूरा करने के लिए प्रयास होता है।

इस तरह एक परिवार से एक परिवार समूह तक पहुँचते हैं ऐसे दस परिवार समूह मिलकर 1 ग्राम परिवार सभा को तैयार करते हैं। ग्राम परिवार सभा में भी यही पाँचों आयाम शिक्षा संस्कार, **न्याय सुरक्षा**, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन और विनिमय काम करते हैं। इन 100 परिवारों के बीच विनिमय कोष कार्य पूरा होता है, संतुलित होता है।

इसके आगे ग्राम समूह परिवार सभा में 10 ग्राम परिवार सभाओं से एक–एक व्यक्ति निर्वाचित होकर पहुँचते हैं। इस प्रकार उत्पादन के 10 गांवों तक पहुंचने की व्यवस्था बनती है। इस तरह हजार परिवारों के बीच संतुलन की व्यवस्था बनती है।

इसके आगे 10 ग्राम समूह सभाओं से एक–एक व्यक्ति निर्वाचित होकर मंडल परिवार सभा तक पहुँचते हैं। 10 मंडल समूह परिवार सभा से एक एक व्यक्ति निर्वाचित होकर मुख्य राज्य परिवार सभा बनता है। इस विधि से आगे प्रधान राज्य परिवार सभा और विश्व परिवार सभा के होने का प्रावधान है इस तरह “10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था” का स्वरूप निकलता है जिससे विश्व शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन और विनिमय कोष कार्यों को व्यवस्था के अर्थ में संपादित किया जाता है उनमें कमियों को पूरा किया जाता है। व्यवस्था का काम यह है, न कि आदमी को फांसी पर लटकाना, बंदूक दिखाकर बस में रखना। शक्ति केंद्रीय शासन मानव को स्वीकार नहीं है। व्यवस्था ही मानव को स्वीकार होती है। सार्वभौम व्यवस्था के लिए सह अस्तित्व ज्ञान, विवेक, विज्ञान में पारंगत होने की आवश्यकता बनती है। पारंगत होने के लिए शिक्षा विधि ही है।

उसके लिए हम छत्तीसगढ़ में कुछ प्रयास कर रहे हैं। आगे चल कर सभी जगह पहुंचेंगे। **(अध्याय: 1.2, पृष्ठ नंबर: 37–39)**

- **न्याय–सुरक्षा, संविधान, संप्रभुता**

न्याय का केंद्र बिंदु है – उभय तृप्ति. न्याय को बनाए रखने के लिए 'सुरक्षा' है. अन्याय की दूर–दूर तक संभावना को दूर करने/रोकने के लिए सुरक्षा. अव्यवस्था या आकस्मिक दुर्घटना से बचाव के साथ चलने का नाम है – "सुरक्षा".

प्रश्न: आपने "मानवीय संविधान" जो प्रस्तुत किया है, उसका क्या आधार है?

उत्तर: मानवीय संविधान का मूल बिंदु है – मानवीयता पूर्ण आचरण. मानवीयता पूर्ण आचरण जागृति के आधार पर होता है. इस आचरण को हर देश–काल में प्रयोग करने की स्वतंत्रता ही मानवीय संविधान है.

वर्तमान में जो संविधान है वह "शक्ति केन्द्रित शासन" की व्याख्या करता है. शक्ति केन्द्रित शासन का अर्थ है – गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, युद्ध को युद्ध से रोकना.

संविधान के लिए "संप्रभुता" को पहचानने की आवश्यकता होती है. (राज युग में) संप्रभुता को "जो गलती नहीं करता" के स्वरूप में पहचाना गया. ईश्वर गलती नहीं करता – इसलिए ईश्वर को संप्रभुता का आधार माना गया. फिर राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मान कर कहा – राजा गलती नहीं करता, और राजा को संप्रभुता का आधार माना गया. फिर गुरु गलती नहीं करता, कह कर गुरु को संप्रभुता का आधार माना गया.

गणतंत्र आने पर संप्रभुता को पहचानने की आवश्यकता हुई. तो कहा गया – वोटर के पास संप्रभुता है. वोटर गलती नहीं करता, ऐसा सोचा गया. वोटर के गलती नहीं करने की क्या गारंटी है? इसका नहीं में उत्तर मिलने पर सोचा गया – "वोटर वोट देते समय गलती नहीं करता". इस पर हमारे (भारत के) संविधान की "संप्रभुता" टिका हुआ है! संविधान में यह तय नहीं है कि राष्ट्रपति गलती नहीं कर सकता या प्रधानमंत्री गलती नहीं कर सकता.

मानवीय संविधान में कहा –

- प्रबोधन करने योग्य, प्रमाणित करने योग्य अधिकार सम्पन्नता ही प्रबुद्धता या समझदारी है.
- समझदारी को व्यवस्था में जी कर प्रमाणित करना संप्रभुता है. न्याय, समाधान और समृद्धि को प्रमाणित करना संप्रभुता है.
- मानवीयता पूर्ण आचरण को सर्व देश–काल में उपयोग करना सर्वमानव का मौलिक अधिकार है.
- मानव द्वारा अपने मौलिक अधिकार को प्रमाणित करना ही राज्य है.

हर व्यक्ति मानवीयता पूर्ण आचरण को अपने जीने में ला सकता है. हर व्यक्ति का संप्रभुता संपन्न व्यक्तित्व हो सकता है. **(अध्याय: , पृष्ठ नंबर:)**

– श्री ए नागराज के साथ संवाद पर आधारित (सितम्बर १९९९, आन्वरी आश्रम)
https://www.youtube.com/watch?v=FXndGEzThf4
साभार– मध्यस्थ दर्शन ब्लॉग (जीवन विद्या – सह अस्तित्व में अध्ययन)
http://madhyasth-darshan.blogspot.in/2017/10/blog-post.html

10 सोपानीय व्यवस्था के अंतर्गत न्याय सुरक्षा व्यवस्था

व्यवहारात्मक जनवाद (संस्करण: 2009, मुद्रण: 2017)

- (1) तीसरे सोपान में न्याय सुरक्षा व्यवस्था

इस प्रकार से **तीसरे सोपान** के लिए दस जनप्रतिनिधि परिवार समूह सभा से निर्वाचित होकर ग्राम सभा के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके निर्वाचन की कालावधि को हर ग्राम सभा अपनी अनुकूलता के आधार पर अथवा सबकी अनुकूलता के आधार पर निर्णय लेगी। उस कालावधि तक मूलत: परिवार से निर्वाचित होकर परिवार समूह से निर्वाचित होकर ग्राम परिवार सभा कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए पहुँचे रहते है। इनके लिए कोई मानदेय या वेतन स्वीकार नहीं होता है। क्योंकि हर परिवार समृद्ध रहता ही है। समाधान समद्धि के आधार पर ही जनप्रतिनिधि निर्वाचन होना पाया जाता है। जब दसो जनप्रतिनिधि एकत्रित होते है ये सभी प्रतिनिधि हर कार्य करने योग्य रहते हैं। व्यवस्था कार्य में ऐसा कोई भाग नहीं रहेगा जिसे यह कर नहीं पायेगे। दूसरा हर कार्य के लिए समय और प्रक्रिया को निर्धारित करने में समर्थ रहेंगे। इस शोध के आधार पर मानवीय शिक्षा– संस्कार में पारंगत जैसे एक गॉव में प्राथमिक शिक्षा का आवश्यकता तो रहता ही है उसमें पारंगत रहेंगे। **न्याय–सुरक्षा** कार्य में पारंगत रहेंगे। उत्पादन–कार्य में पारंगत रहेंगे। विनिमय कार्य में पारंगत रहेंगे। स्वास्थ्य संयम कार्य में भी पारंगत रहेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य विधा में सभी पारंगत रहेंगे। (**अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:112–113**)

(**तीसरे सोपान**) व्यवस्था की दूसरी कड़ी में **सुरक्षा कार्य** सम्पन्न होगे। इसमें ग्राम परिवार सभा के लिए निर्वाचित दसो सदस्य सुस्पष्ट ज्ञान सम्पन्न, विवेचना, विश्लेषण में पारंगत रहेंगे। हर परिवार समझदार परिवार होने के आधार पर गलती और अपराध की कोई संभावना नहीं रहती। फिर भी ऐसी कोई प्रवृत्ति उदय होने से घटना तक पहुंचने के पहले सुधार होने की व्यवस्था रहेगी। ऐसी व्यवस्था का प्रभावशीलन परिवार से ही आरम्भ होकर परिवार समूह, ग्राम परिवार सभा में कार्यरत निष्णात व्यक्तिगण सुधार के दायी रहेंगे। जो अनुचित है अनावश्यक है अथवा गलती अपराध है ऐसी मानसिकता को पहचानने का दायित्व सर्वप्रथम परिवार में उसके अनन्तर परिवार समूह सभा में और ग्राम परिवार में रहेगी। ग्राम के सम्पूर्ण सौ परिवार दायी रहेंगे। जैसे ही ऐसी मानसिकता देखने मिले तुरन्त सुधारने का कार्य करेंगे। और पूरा गाँव के सौ परिवारो का मूल्यांकन, वर्ष में एक बार अथवा छ: महीने में एक बार, आवश्यकता पड़ने से महीने में एक बार होना स्वाभाविक रहेगी। इसकी सुगमता हर दस परिवार के प्रतिनिधि करेंगे। हर परिवार अपना मूल्यांकन स्वयं करेगा। इन दोनो आधार पर ग्राम सभा अपना ध्यान देकर मूल्यांकन की घोषणा करेगा। इनमें से कोई भी परिवार में श्रेष्ठता की आवश्यकता होने पर अथवा परिवार समूह में श्रेष्ठता की आवश्यकता होने पर ग्राम सभा उसकी भरपाई करने का कार्य करेंगे। मूल्यांकन का ध्रुव बिन्दु समाधान, समृद्धि सम्पन्नता होगा। तीसरा बिन्दु उपकार कार्य में प्रवर्तन समाज गति के रूप में मूल्यांकित होगी। (**अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:114**)

- (2) चौथा सोपान में न्याय सुरक्षा व्यवस्था

सर्वमानव अपने में शुभ चाहने वाला होने के आधार पर और सर्वमानव समझदार होने के आधार पर और सर्वमानव व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के आधार पर मूल्याँकन होता रहेगा। ग्राम समूह सभा में शिक्षा–संस्कार पहली कड़ी है, दूसरी कड़ी में **न्याय–सुरक्षा** कार्य संपन्न होना पाया जाता है। न्याय सुरक्षा कार्य में निष्णात व्यक्तित्व का इसके पूर्व की सोपानीय कार्यो के आधार पर पहचान हुआ रहता ही है। यह हर निर्वाचित व्यक्ति का साधारण रूप में पहचान होना स्वाभाविक है। पीछे कहे गये तीन सेपान में मानव न्याय जो अनसुलझा रह जाता है उसको सुलझाने के लिए ग्राम समूह सभा का महिमा मंडित कार्य रहेगा। यह 1000 परिवार के साथ न्याय दृष्टि को, सत्य दृष्टि को सजग बनाए रखने का अनुपम सौभाग्य है। इस विधि से न्याय सुरक्षा आश्वस्त होने का कार्यक्रम विस्तृत होना समझ में आता है। इसका मूल्याँकन हर ग्राम मौहल्ला सभा के माध्यम से क्रियान्वयन होना व्यवहारिक हो पाता है। ग्राम समूह सभा अपने न्याय सुरक्षा कार्य का समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया को सम्पादित करेगा।जिससे सभी मानव संतुष्ट रहने का गवाही अथवा प्रमाण तैयार होगा। यह मानव इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर: 118)**

- (3) छठवाँ सोपान में न्याय सुरक्षा व्यवस्था –

दूसरी कड़ी में न्याय–सुरक्षा अपने में एक वैभवशाली कार्यक्रम होना स्वाभाविक रहेगा। पीछे की पांचो कड़ियों में कोई समस्या शेष रहने की स्थिति में इस सोपान के निष्णात व्यक्ति उसे समाधान करने के दायी रहेंगे। **न्याय–सुरक्षा** एक बहुमूल्य कार्यक्रम है यही विश्वास का, अभयता का प्रधान कार्यक्रम है। पूरे मंडल का **न्याय–सुरक्षा** विधा में जागृत रहना मंडल सभा का अति प्रमुख कार्य रहेगा। मंडल परिवार सभा की जितनी भी समितियाँ होती है सभी सोपानीय सभाओं का **न्याय सुरक्षा** विधा का पूर्ण चित्रण, समीक्षा, मूल्याँकन कार्य सम्पादित होगा साथ में प्रस्ताव भी रहेगा। हर सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी के लिए आगे सीढ़ी से पीछे सीढ़ी के लिए, **न्याय–सुरक्षा** का प्रस्ताव बना रहना यह मानव अधिकार है। इसके आधार पर ही व्यवहारान्वय और मूल्याँकन होना स्वाभाविक है। **न्याय–सुरक्षा** सहअस्तित्व वादी विधि से सम्पन्न होना पाया जाता है। इसके लिए दूसरी कोई विधि भी नहीं है। मानवत्व अथवा मानवीयता सहअस्तित्ववादी विधि से प्रमाणित हो पाती है। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर: 120–121)**

- (4) सातवीं सोपान में न्याय सुरक्षा व्यवस्था –

दूसरी कड़ी **न्याय–सुरक्षा** है। **न्याय–सुरक्षा** विधा में मंडल समूह परिवार सभा में पहुंचे हुए सभी विद्वान जागृत मानव कोटि के ही होंगे। जिनके अधिकार में **न्याय सुरक्षा** के लिए आवश्यकीय सभी दूर संचार उपलब्ध रहेगा ही। फलस्वरूप दस मंडलों में **न्याय सुरक्षा** विधा से जुड़कर **न्याय सुरक्षा** की स्थिति गति का पूरा आँकलन बना ही रहेगा। इसमें से मंडल परिवार सभा में कार्यरत **न्याय सुरक्षा** कार्य में कोई समस्या हो उसे पूर्णतया समाधान प्रस्तुत

करने का कार्य करेगा। प्रधान रूप से पाँचों कड़ियो में एक तारतम्यता किये रहेंगे। हर विद्वान जो परिवार सभा में भागीदारी करने के लिए प्रस्तुत होते है वे सब स्वायत्त परिवार के प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे। जहाँ तक दूर संचार तंत्र रहेगी वह सब मंडल समूह परिवार सभा के स्वायत्त में रहेगी। इसका प्रावधानीकरण मंडल परिवार सभा में कार्यरत या संचालित उत्पादन कार्य के चलते सम्पन्न हुआ रहना पाया जाता है। इस क्रम में मंडल समूह परिवार सभा अपना पहचान सदा सदा के लिए बनाने का कार्य करेगा। मंडल समूह परिवार सभा में जितने भी **न्याय सुरक्षा** के दस मंडल से प्रस्तुत होता है यह सब को समाधानित करेंगे। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर: 122–123)**

- (5) आठवीं सोपान में न्याय सुरक्षा व्यवस्था –

  दूसरी कड़ी **न्याय–सुरक्षा** यथावत रहेगी विशेषकर परस्पर सीढ़ियो के बीच विसंगतियों को समाधानित करती रहेगी। राज्य सुरक्षा के सम्बन्ध में शोध कार्य सम्पन्न होता रहेगा। ग्राम सुरक्षा से मुख्य राज्य सुरक्षा तक एक मधुरिम एक सूत्र विधियों को जाँचते रहेंगे। इन में मजबूती को बनाते रहेंगे। साथ में मार्गदर्शन सभी सोपानों के साथ आदान प्रदान विधि से सम्पन्न होता रहेगा। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर: 124)**

- (6) नवें सोपान में न्याय सुरक्षा व्यवस्था –

  इस सभा की दूसरी कड़ी **न्याय– सुरक्षा** कार्य रहेगी इसे पड़ोंसी राज्यों में अर्थात परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को पड़ोंसी राज्यों में प्रवाहित करने के लिए सभी उपायों का प्रयोग करेगी। इस विधि से लोकव्यापीकरण प्रवृत्ति का प्रमाण प्रधान राज्य सभा के दायित्व में रहेगी। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:125)**

- (7) दसवीं सोपान में न्याय सुरक्षा व्यवस्था –

  इस सभा की दूसरी कड़ी **न्याय सुरक्षा** है। **न्याय सुरक्षा** में सर्वाधिक रूप में मानव न्याय अथवा समाज न्याय, लोककल्याण कार्यो में श्रेष्ठता गति और सन्तुष्टि का आँकलन करना रहेगा। उसमें से किसी भी श्रेष्ठता की, गति की आवश्यकता है उसके लिए समुचित मार्गदर्शन करना इस सभा का अधिकार रहेगा। इसी के साथ साथ प्राकृतिक संतुलन, जीव संतुलन, वनस्पति संतुलन, खनिज संतुलन, ऋतु संतुलन के सम्बंध में समुचित मार्गदर्शन को प्रस्तुत करना, अध्ययन योग्य विधि से स्वस्थ रखने के लिए सर्वाधिक ध्यान देना उसके लिए समुचित मार्गदर्शन अध्ययन विधि से प्रस्तुत करना रहेगा। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर: 126)**